

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

और

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

के बीच

हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

के

विकास, निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण

हेतु

रियायत समझौता

20 दिसंबर 2004

खंड	विषय	पृष्ठ
1	परिभाषाएँ और व्याख्या	7
1.1	परिभाषाएँ	7
1.2	व्याख्या	13
2	रियायत	14
2.1	परियोजना का दायरा	14
3	रियायत प्रदान करना	14
3.1	रियायत	14
3.2	अधिकारों की मान्यता	15
3.3	रियायत शुल्क	15
4	पूर्ववर्ती शर्तें	17
4.1	परियोजना के लिए पूर्ववर्ती शर्तें	17
4.2	पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के दायित्व	17
4.3	पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होना	18
4.4	प्रभावी तिथि	18
5	भारत सरकार के दायित्व	18
5.1	भारत सरकार के दायित्व	18
5.2	विशिष्टता	19
5.3	समतुल्य व्यवहार	19
5.4	सहायता	19
5.5	मौजूदा हवाईअड्डा	19
6	अभ्यावेदन और वारंटियाँ	20
6.1	अभ्यावेदन और वारंटियाँ	20
6.2	लॉक-इन	22
6.3	अनुमोदन	22
6.4	अस्वीकरण	22
7	हवाईअड्डे का निर्माण	23
7.1	मास्टर प्लान	23
7.2	निर्माण और विस्तार	23
7.3	स्वतंत्र अभियंता	23
7.4	स्थल और सामग्री	24
7.5	हवाईअड्डे का उद्घाटन	24
7.6	लाइसेंस	25
7.7	कमीशनिंग	26
8	परिचालन और अनुरक्षण	26
8.1	हवाईअड्डे का परिचालन और अनुरक्षण	26

खंड	विषय	पृष्ठ
8.2	संयुक्त समन्वय समिति	26
8.3	आरक्षित गतिविधियाँ	26
8.4	सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध	26
8.5	सुरक्षा	27
8.6	मौसम विज्ञान सेवा	28
8.7	वीआईपी लाउंज	29
8.8	मानक	29
8.9	हवाईअड्डा व्यवसाय का प्रबंधन	29
8.10	सामान्य दायित्व	29
8.11	स्लॉट	29
8.12	गैर-भेदभाव	30
8.13	परिचालन में व्यवधान	30
8.14	निर्माण या परिचालन में व्यवधान	30
8.15	द्विपक्षीय समझौते	30
8.16	दिन और रात्रि परिचालन	30
8.17	अधिकारियों के लिए पहुँच	31
9	परिचालन और अनुरक्षण की निगरानी	31
9.1	निष्पादन मानक	31
9.2	निष्पादन मानकों की निगरानी	31
9.3	अभिलेख	32
10	प्रभार	33
10.1	प्रभार लगाने का अधिकार रखने वाले पक्षकार	33
10.2	हवाईअड्डा प्रभार	33
10.3	अन्य प्रभार	33
10.4	करों का भुगतान	34
11	बीमा का अनुरक्षण	34
11.1	रियायत अवधि के दौरान बीमा	34
11.2	बीमा पॉलिसियाँ	34
11.3	बीमा कराने में विफलता के लिए उपाय	34
11.4	बीमा राशि का उपयोग	34
12	लेखे और लेखापरीक्षा	34
13	फोर्स मेज्योर और समाप्ति	34
13.1	फोर्स मेज्योर	34
13.2	फोर्स मेज्योर के परिणाम	35
13.3	चूक	35

खंड	विषय	पृष्ठ
13.4	चूक के परिणाम	37
13.5	हवाईअड्डे का अंतरण	38
13.6	पूर्व-समाप्ति दायित्व	39
13.7	अवधि	39
13.8	समाप्ति के अन्य अधिकार	40
13.9	उत्तरजीविता	40
13.10	निलंबन	40
14	अन्य प्रावधान	40
14.1	समनुदेशन और प्रतिभूति	40
15	दायित्व और क्षतिपूर्ति	41
15.1	एचआईएल का दायित्व	41
15.2	भारत सरकार का दायित्व	41
15.3	सूचना	41
15.4	भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति	41
15.5	कानून में परिवर्तन	42
15.6	अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि	42
15.7	दायित्व	43
15.8	शमन	43
16	विवाद समाधान	43
16.1	बातचीत और सुलह	43
16.2	मध्यस्थ को संदर्भित करना	43
16.3	विविध	43
16.4	निर्णय/पंचाट	44
17	जन शिकायतों का निवारण	44
17.1	शिकायत रजिस्टर	44
17.2	शिकायतों का निवारण	44
17.3	आरक्षित गतिविधियाँ	44
18	विविध	45
18.1	उपचार, अधिकार-त्याग, संशोधन और सहमतियाँ	45
18.2	संशोधन, अधिकार-त्याग और सहमतियाँ	45
18.3	संपूर्ण समझौता	46
18.4	आगे की पुष्टि	46
18.5	आंशिक अमान्यता	46
18.6	कोई साझेदारी नहीं	47
18.7	समय अत्यंत महत्वपूर्ण है	47

खंड	विषय	पृष्ठ
18.8	समय की गणना	47
18.9	सूचनाएँ	47
18.10	मानी गई सुपुर्दगी	48
18.11	प्रामाणिक भाषा	48
18.12	लागू कानून	48
18.13	संप्रभु उन्मुक्ति	48
18.14	चूक पर ब्याज	49

अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 : स्वीकृतियाँ	— 50
अनुसूची 2 : हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण	— 51
अनुसूची 3 : भाग 1 – हवाईअड्डा गतिविधियाँ	— 58
अनुसूची 3 : भाग 2 – गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ	— 60
अनुसूची 4 : फोर्स मेज्योर की परिभाषा	— 61
अनुसूची 5 : भारत सरकार के प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप	— 63
अनुसूची 6 : विनियमित प्रभार	— 66
अनुसूची 7 : निपटान राशि	— 68
अनुसूची 8 : आरक्षित गतिविधियाँ	— 69
अनुसूची 9 : भाग 1 – विनिर्देश	— 70
अनुसूची 9 : भाग 2 – मानक	— 81
अनुसूची 10 : पूर्णता प्रमाणपत्र	— 83
अनुसूची 11 : बीमा	— 84
अनुसूची 12 : कर लाभ	— 85
अनुलग्नक 1 : मास्टर प्लान	— 86

रियायत समझौता

यह समझौता 20 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में किया गया।

के बीच:

(1) **भारत के राष्ट्रपति**, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए, नई दिल्ली (जिसे आगे "भारत सरकार" कहा जाएगा, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती भी शामिल होंगे); और

(2) **हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-3-866/1/G2, ग्रीनलैंड्स, बेगमपेट, हैदराबाद 500 016 में स्थित है (जिसे आगे "एचआईएएल" कहा जाएगा, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती भी शामिल होंगे)।

जबकि:

(क) एचआईएएल की स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से संयुक्त क्षेत्र की कंपनी के रूप में की गई है।

(ख) पक्षकार यह मानते और स्वीकार करते हैं कि हवाईअड्डा अवसंरचना और नागरिक विमानन के मामलों में भारत सरकार की विमानन क्षेत्र के लिए रूपरेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका और उत्तरदायित्व है और आगे भी होना चाहिए।

(ग) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण के माध्यम से संचालित की जा रही परियोजना के संदर्भ में, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की जाएँ और इसलिए पक्षकार इस रियायत समझौते ("समझौता" या "रियायत समझौता") में प्रवेश कर रहे हैं।

(घ) पक्षकारों का प्रयास है कि एक अंतरराष्ट्रीय मानक का हवाईअड्डा विकसित किया जाए, जहाँ सभी हवाईअड्डा गतिविधियाँ अपेक्षित निष्पादन मानकों के साथ समयबद्ध रूप से संचालित की जाएँ।

अब, एतद्वारा निम्नलिखित पर सहमति हुई है:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

"एएआई" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है।

"एएआई एक्ट" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 है।

"हवाई अड्डा गतिविधियाँ" का अर्थ हवाईअड्डे पर या हवाईअड्डे के संबंध में अनुसूची 3, भाग 1 में निर्धारित गतिविधियों का प्रावधान है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए, और यह

आईसीएओ के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा, बशर्ते कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो अनुसूची 3, भाग 1 में परिकल्पित गतिविधियों के समान महत्वपूर्ण रूप से न हो, उसके लिए पक्षकारों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

“प्रभावित पार्टी” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 13.1 में दिया गया है।

“हवाईअड्डा” का अर्थ शमशाबाद, हैदराबाद के निकट, आंध्र प्रदेश राज्य में एचआईएएल द्वारा निर्मित और संचालित किया जाने वाला प्रारंभिक चरण वाला ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा है और इसमें इसके सभी भवन, उपकरण, सुविधाएँ और प्रणालियाँ तथा, जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करें, मास्टर प्लान के अनुसार इसका कोई भी विस्तार शामिल होगा।

“हवाईअड्डा शुल्क” का अर्थ है:

(i) हवाईअड्डा गतिविधियों में सम्मिलित सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान या उपयोग के संबंध में एचआईएएल द्वारा लगाए या निर्धारित किए गए शुल्क;

(ii) यात्रियों और माल की आवाजाही अथवा हवाईअड्डे में, हवाईअड्डे पर, हवाईअड्डे से या हवाईअड्डे के लिए विमान यातायात के संबंध में एचआईएएल द्वारा लगाए या निर्धारित किए गए शुल्क; और

(iii) इस समझौते द्वारा हवाईअड्डा प्रभार मानी गई कोई अन्य राशि, जिसमें भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या एएआई की ओर से एचआईएएल द्वारा वसूल की जाने वाली कोई भी राशि शामिल है।

“हवाईअड्डा खुल रहा है” का अर्थ प्रारंभिक चरण का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होना है।

“हवाईअड्डा खोलने की तारीख” का अर्थ वह तारीख है जिस दिन हवाईअड्डा खुलता है।

“हवाई अड्डा उद्घाटन लक्ष्य तिथि” का अर्थ वित्तीय समापन के ठीक छत्तीस (36) महीने बाद आने वाली तारीख है, जिसे इस समझौते की शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

“लागू कानून” का अर्थ भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए सभी कानून, उनके अधीन बनाए गए नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ तथा इस समझौते की अवधि के दौरान प्रभावी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निषेधाज्ञाएँ, रिट और आदेश हैं।

“अनुमोदन” का अर्थ इस समझौते के लिए या इसके संबंध में, जिसमें किसी पक्षकार द्वारा किसी दायित्व के निष्पादन या किसी अधिकार के प्रयोग के लिए भी शामिल है, लागू कानून के अधीन किसी प्राधिकरण से प्राप्त किए जाने वाले या उसके समक्ष किए जाने वाले सभी प्राधिकरण, सहमतियाँ, अनुमोदन, अधिसूचनाएँ और अनुमतियाँ तथा किसी भी प्रकार का लाइसेंस, परमिट, निर्णय, छूट या अन्य प्राधिकरण है, लेकिन इसमें “समाशोधन” शामिल नहीं है।

“बीसीएस” का अर्थ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है।

“व्यापार दिवस” का अर्थ ऐसा दिन है जो शनिवार या रविवार न हो और जिस दिन मुंबई और/या हैदराबाद में प्रमुख वाणिज्यिक बैंक सामान्य बैंकिंग घंटों के दौरान कारोबार के लिए खुले हों।

“कानून में बदलाव”

“कानून में बदलाव” का अर्थ निम्नलिखित में से किसी घटना का होना है, सिवाय आंध्र प्रदेश सरकार के किसी कानून, किसी कर कानून (उन कानूनों को छोड़कर जो भारत सरकार की अवसंरचना नीति के अंतर्गत एचआईएल और/या हवाईअड्डे को प्रदान किए गए कर लाभों से संबंधित हैं और जो अनुसूची 12 में अधिक विशिष्ट रूप से निर्धारित हैं), पर्यावरण संबंधी कानूनों या श्रम कानूनों के संबंध में, और यह इस समझौते की तारीख के बाद परियोजना के कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली घटना होगी:

(i) किसी मौजूदा भारतीय कानून का संशोधन, संशोधन द्वारा परिवर्तन, परिवर्तन, रूपांतरण या निरसन अथवा किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन;

(ii) ऐसे किसी भारतीय कानून का प्रभावी होना जो अभी तक लागू नहीं हुआ था, सिवाय उस स्थिति के जहाँ ऐसा भारतीय कानून इस समझौते की तारीख से पहले अधिनियमित किया गया हो, जिसकी प्रारंभ तिथि इस समझौते की तारीख के बाद हो और ऐसा भारतीय कानून बिना किसी महत्वपूर्ण संशोधन के उस प्रारंभ तिथि को प्रभावी हो; और

(iii) किसी समाशोधन प्रदान किए जाने की तारीख के बाद उस समाशोधन से जुड़ी शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन या नई महत्वपूर्ण शर्तों का लगाया जाना अथवा उस समाशोधन का आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावी न रहना।

बशर्ते कि सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का सृजन या स्थापना, जिसमें उससे संबंधित या उसके अधीन नियम और विनियम बनाना भी शामिल है, लेकिन संदेह दूर करने के लिए विनियमित प्रभारों से संबंधित किसी संशोधन और/या परिवर्तन को छोड़कर, “कानून में बदलाव” नहीं माना जाएगा।

“शिकागो कन्वेंशन” का अर्थ 1944 का शिकागो कन्वेंशन है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया हो; और शिकागो कन्वेंशन के किसी “अनुलग्नक” के संदर्भ का अर्थ ऐसे अनुलग्नक से होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया हो।

“समाशोधन” का अर्थ परियोजना के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त किया जाने वाला और/या भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला लिखित सहमति-पत्र, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, निर्णय, छूट, अधिसूचना, अनापत्ति प्रमाण-पत्र या किसी भी प्रकार का अन्य प्राधिकरण अथवा अनुमति है, जिसमें इससे संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित समाशोधन भी शामिल हैं।

“सीएनएस/एटीएम समझौता” का अर्थ एचआईएल और एएआई के बीच किया गया या किया जाने वाला वह समझौता है, जिसके अंतर्गत एएआई द्वारा एचआईएल को संचार, नेविगेशन, निगरानी/सर्विलांस तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएँ प्रदान की जानी हैं।

“क्षतिपूर्ति” का अर्थ अनुच्छेद 15.4 के अनुसार भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति है।

“पूर्णता प्रमाण पत्र” का अर्थ अनुच्छेद 7.3 में परिभाषित पूर्णता प्रमाणपत्र है।

“रियायत शुल्क” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3.1 में दिया गया है।

“ऋण” का अर्थ परियोजना के लिए वित्तपोषण समझौतों के अंतर्गत एचआईएएल के ऋणदाताओं को देय बकाया ऋण है और इस समझौते के प्रयोजनों के लिए इसमें राज्य सहायता समझौते के अंतर्गत एचआईएएल द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को देय कोई ऋण शामिल नहीं है।

“विलंबित भुगतान” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3.5 में दिया गया है।

“डीजीसीए” का अर्थ भारत सरकार के नागरिक विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक से है।

“घरेलू हवाईअड्डा” का अर्थ ऐसा हवाईअड्डा है जो भारत के भीतर किसी उद्गम स्थल से संबंधित हवाईअड्डे तक या संबंधित हवाईअड्डे से किसी गंतव्य स्थल तक उड़ान भरने वाले वाणिज्यिक रूप से संचालित विमान की सेवा करता है।

“प्रभावी तारीख” का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 4.4 में निर्धारित है।

“मौजूदा हवाईअड्डा” का अर्थ हैदराबाद में स्थित मौजूदा हवाईअड्डा है, जिसे बेगमपेट, हैदराबाद स्थित हैदराबाद हवाईअड्डे के रूप में जाना जाता है।

“विस्तार” का अर्थ मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर हवाईअड्डे की सुविधाओं का विस्तार है।

“वित्तीय समापन” का अर्थ वह तारीख है जिस दिन प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित वित्तपोषण समझौते उनके सभी पक्षकारों द्वारा निष्पादित और सुपुर्द कर दिए गए हों तथा उनके अधीन पूर्ववर्ती शर्तें उस सीमा तक पूरी कर दी गई हों, जो एचआईएएल को केवल उसमें अपेक्षित आहरण सूचना देने के अधीन, एचआईएएल द्वारा आवश्यक वित्तपोषण तक तत्काल पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

“वित्तीय वर्ष” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3.3 में दिया गया है।

“वित्तपोषण समझौते” का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी है:

(i) ऋणदाताओं के साथ एचआईएएल के वे समझौते, जिनके अंतर्गत एचआईएएल को ऋण उपलब्ध कराया जाता है; और

(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित समझौतों के अनुसार ऋणदाताओं के पक्ष में अपेक्षित प्रतिभूति दस्तावेज, प्रत्यक्ष समझौते और अन्य सहायक उपक्रम।

“अप्रत्याशित घटना” का वही अर्थ है जो अनुसूची 4 में निर्धारित है।

“सामान्य विमानन सेवाएँ” का अर्थ वाणिज्यिक हवाई परिवहन परिचालन के अलावा किसी विमान का परिचालन है।

“भारत सरकार” का अर्थ भारत सरकार तथा उसकी कोई विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या व्यक्ति है, चाहे वह स्वायत्त हो या नहीं, जो नागरिक विमानन मंत्रालय के वैध और प्रभावी नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन हो।

“भारत सरकार की डिफ़ॉल्ट घटना” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 13.3.2 में दिया गया है।

“आंध्र प्रदेश सरकार” का अर्थ आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा उसकी कोई विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षणालय या व्यक्ति है, चाहे वह स्वायत्त हो या नहीं, जो आंध्र प्रदेश सरकार के वैध और प्रभावी नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन हो।

“उद्योग का अच्छा माध्यम” का अर्थ उस स्तर के कौशल, परिश्रम और विवेक का प्रयोग है जिसकी उसी प्रकार के उपक्रम में कार्यरत किसी कुशल और अनुभवी ऑपरेटर से युक्तिसंगत रूप से और सामान्यतः अपेक्षा की जाती है और, एचआईएएल के मामले में, हवाईअड्डे के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा ऑपरेटरों द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने वाले मानकों का अनुपालन तथा हवाईअड्डे के परिचालन और अनुरक्षण में ऐसे उपयोगिता प्रदाताओं द्वारा सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रथाओं का अनुपालन, परिचालन कर्मियों की सेवा की शर्तों को छोड़कर, तथा जहाँ तक यह लागू कानून या सीएनएस/एटीएम समझौते के अंतर्गत एचआईए द्वारा संचालित और अनुरक्षित की जाने वाली प्रणालियों या उपकरणों के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के साथ असंगत न हो।

“कुल राजस्व” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3.2 में दिया गया है।

“एचआईएएल” का अर्थ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है।

“एचआईएएल डिफॉल्ट इवेंट” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 13.3.1 में दिया गया है।

“आईसीएओ” का अर्थ शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन या उसका कोई उत्तराधिकारी है।

“आईसीएओ नीतियां” का अर्थ “हवाईअड्डों और हवाई दिक्चलन सेवाओं के लिए शुल्क पर आईसीएओ नीतियां” में निहित आईसीएओ परिषद का पहला वक्तव्य है, जिसे आईसीएओ परिषद द्वारा 22 जून 1992 को उसके 136वें सत्र की 14वीं बैठक में अपनाया गया था और जिसे बाद में 8 दिसंबर 2000 को 161वें सत्र की 18वीं बैठक में संशोधित किया गया तथा जिसे आईसीएओ दस्तावेज 9082/6 के रूप में प्रकाशित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

“स्वतंत्र इंजीनियर” का अर्थ वित्तपोषण समझौतों की शर्तों के अधीन ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता है।

“स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण” या **“आईआरए”** का अर्थ हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण या हवाईअड्डा गतिविधियों के किसी पहलू को विनियमित करने के लिए स्थापित कोई अन्य विनियामक प्राधिकरण है, जो:

(i) कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया हो, बशर्ते आईआरए का कार्य भारत सरकार के नियंत्रण में न हो; या

(ii) संसद के अधिनियम या अध्यादेश अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा स्थापित किया गया हो।

“सूचकांकित” का अर्थ भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित “थोक मूल्य सूचकांक” के सूचकांक मूल्य के संदर्भ में संबंधित राशि का समायोजन है और इसमें ऐसा कोई सूचकांक भी शामिल होगा जो उक्त सूचकांक का स्थान ले। जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “सूचकांकित” का प्रत्येक संदर्भ उस समायोजन के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसमें उस महीने से ठीक पहले

समाप्त होने वाले महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखा गया हो, जिस महीने में ऐसे सूचकांक का उपयोग किया जाना है।

“प्रारंभिक चरण” का अर्थ अनुसूची 2 में वर्णित सुविधाओं का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग है, जिसे लागू कानून और/या भारत सरकार द्वारा स्वीकार और/या अपनाए गए मानकों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

“अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा” का अर्थ ऐसा हवाईअड्डा है जो भारत के किसी संबंधित हवाईअड्डे पर भारत के बाहर स्थित किसी उद्गम स्थल से आने वाले या भारत के संबंधित हवाईअड्डे से भारत के बाहर स्थित किसी गंतव्य स्थल तक उड़ान भरने वाले वाणिज्यिक रूप से संचालित विमानों की सेवा करता है।

“भूमि पट्टा समझौता” का अर्थ 30 सितंबर 2003 को किया गया वह दस्तावेज और/या लिखत है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार ने एचआईएएल को साइट में पट्टाधिकार और हित प्रदान किए हैं।

“उधारदाता” का अर्थ बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, एनबीएफसी और समान निकाय हैं, जिन्हें प्रारंभिक चरण और किसी भी विस्तार के वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण समझौतों के अंतर्गत ऋण देय है, जिसमें इन प्रयोजनों के लिए किसी भी पुनर्वित्तपोषण को भी शामिल किया जाएगा।

“प्रमुख हवाईअड्डा” का अर्थ ऐसा कोई हवाईअड्डा है जिसमें वार्षिक यात्री आवागमन डेढ़ (1.5) मिलियन से अधिक है या जिसे इससे अधिक वार्षिक यात्री आवागमन के लिए डिजाइन किया गया है।

“मास्टर प्लान” का अर्थ एचआईएएल द्वारा तैयार मास्टर प्लान है, जो इसके साथ अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है और जिसे इस समझौते के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

“नेट वर्थ” का अर्थ बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 में परिभाषित नेट वर्थ है।

“गैर-हवाई अड्डा गतिविधियाँ” का अर्थ हवाईअड्डे पर या हवाईअड्डे के संबंध में अनुसूची 3, भाग 2 में निर्धारित सेवाओं का प्रावधान है।

“पार्टी” का अर्थ, जैसा संदर्भ से अपेक्षित हो, भारत सरकार या एचआईएएल तथा इस समझौते के अनुसार उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी हैं और “पार्टी” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

“व्यक्ति” में, जैसा संदर्भ से अपेक्षित हो, कोई प्राकृतिक और/या विधिक इकाई शामिल है, जिसमें भारत सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार भी शामिल है।

“परियोजना” का अर्थ हवाईअड्डे का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, अनुरक्षण, परिचालन, प्रबंधन और विकास है।

“संदर्भ तिथि” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 3.3.5 में दिया गया है।

“विनियमित प्रभार” को अनुच्छेद 10.2.1 में परिभाषित किया गया है।

“प्रासंगिक प्राधिकरण” में भारत सरकार, एएआई,डीजीसीए,बीसीएस गृह मंत्रालय का आव्रजन विभाग, वित्त मंत्रालय का सीमा शुल्क विभाग या उनका कोई अन्य उप-विभाग या निकाय, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा लागू कानूनों के अधीन सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है।

“आरक्षित गतिविधियां” का अर्थ वे कार्य और गतिविधियाँ हैं जिन्हें किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा हवाईअड्डे पर अनुच्छेद 8.4, 8.5 और 8.6 में निर्धारित कार्यों सहित किया जाना है।

“सुरक्षा” में कोई बंधक, गिरवी, धारणाधिकार, प्रतिभूति हित या अन्य प्रभार अथवा भार तथा कोई अन्य ऐसा समझौता या व्यवस्था शामिल है जिसका आर्थिक प्रभाव मूलतः समान हो।

“सेवा प्रदाता अधिकार धारक” का अर्थ अनुच्छेद 3.2.2 के अनुसार एचआईएल या किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक द्वारा प्रदान किया गया कोई विशेषाधिकार, अधिकार, फ्रेंचाइज़, पट्टा या अन्य अधिकार अथवा उप-अधिकार है।

“सेवा प्रदाता अधिकार धारक” का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति है जो समय-समय पर कोई Service Provider Right धारण करता है।

“निपटान राशि” का अर्थ अनुसूची 7 के अनुसार गणना की गई राशि है।

“शेयरधारकों का समझौता” का अर्थ 30 सितंबर 2003 को एएआई, जीओपी, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मलेशियाई एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स बेरहाद और एचआईएल के बीच किया गया समझौता है।

“साइट” का अर्थ वह भूमि है जिसमें एचआईएल को भूमि पट्टा समझौता के अनुसार पट्टाधिकार प्राप्त है या प्राप्त होगा और जिसका क्षेत्रफल लगभग 5450 एकड़ है, जिस पर, जिसके नीचे और जिसके ऊपर हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है।

“विनिर्देश” का अर्थ अनुसूची 9 के भाग 1 में निर्धारित हवाईअड्डे के निर्माण के लिए विनिर्देश हैं।

“मानकों” का अर्थ अनुसूची 9 के भाग 2 में निर्धारित हवाईअड्डे के परिचालन और अनुरक्षण के लिए निष्पादन मानक हैं।

“राज्य सहायता समझौता” का अर्थ 30 सितंबर 2003 को आंध्र प्रदेश सरकार और के बीच किया गया समझौता है।

“कर ” या **“करों”** का अर्थ सभी प्रकार के कर, अधिरोपण, उपकर, शुल्क, प्रभार, फीस, कटौती या रोक है, जो लगाए, अधिरोपित, एकत्र, रोके या निर्धारित किए गए हैं या किए जाने हैं, साथ ही उनसे उत्पन्न या संबंधित सभी ब्याज, दंड, दावे या अन्य देयताएँ हैं।

“समाप्ति राशि” का अर्थ अनुच्छेद 13.4.1 के अनुसार गणना की गई राशि है।

“स्थानांतरण की तिथि” का अर्थ वह तारीख है जिस दिन एचआईएल अनुच्छेद 13.5 के अनुसार हवाईअड्डे का विधिक और लाभकारी स्वामित्व भारत सरकार या उसके नामित व्यक्तियों को हस्तांतरित करता है और हवाईअड्डे का कब्जा सौंपता है।

“उपयोगकर्ता विकास शुल्क” का अर्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्थान करने वाले यात्रियों से यात्री सुविधाओं, सेवाओं और सुख-सुविधाओं के प्रावधान के लिए वसूल किया जाने वाला शुल्क है, जिसका उपयोग अनुच्छेद 10.2 के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या टिकट की लागत के एक भाग के रूप में हवाईअड्डे की सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, अनुरक्षण, परिचालन और विस्तार के लिए किया जाएगा।

“वीआईपी लाउंज” का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 8.7 में दिया गया है।

“कार्य” का अर्थ प्रारंभिक चरण और/या किसी विस्तार के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग और/या विकास के लिए या उसके संबंध में किए जाने वाले या निष्पादित किए जाने वाले कार्य हैं।

1.2 व्याख्या

इस समझौते में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1.2.1 संसद के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम की किसी धारा, अनुसूची या अन्य प्रावधान का संदर्भ, संबंधित समय पर, उसमें उस समय लागू किसी संशोधन, विस्तार या पुनःअधिनियमन तथा संबंधित अधिनियम या प्रावधान के अधीन या उससे वैधता प्राप्त करने वाले उस समय लागू सभी नियमों, आदेशों या विनियमों का संदर्भ भी माना जाएगा;

1.2.2 “निर्णय” के संदर्भ में भारतीय अधिकार-क्षेत्र में किसी न्यायालय या न्यायिक/मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, डिक्री या अन्य उपाय शामिल होगा, जो अंतिम और बाध्यकारी हो;

1.2.3 “कानून” के संदर्भ में सामान्य विधि, भारत का संविधान और कोई डिक्री, निर्णय, विधान, निर्देश, आदेश, अध्यादेश, विनियम, उप-विधि, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, नियम, वैधानिक लिखत या अन्य विधायी उपाय शामिल होगा, जिसका पालन एचआईएएल को कानून के अनुसार करना आवश्यक है और “वैध” तथा “अवैध” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

1.2.4 एकवचन के संदर्भ में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होगा;

1.2.5 “दिन” का संदर्भ कैलेंडर दिवस से होगा;

1.2.6 किसी विशेष अनुच्छेद, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, अनुसूची या अनुलग्नक का संदर्भ, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस समझौते के उस अनुच्छेद, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, अनुसूची या अनुलग्नक का संदर्भ होगा;

1.2.7 शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और व्याख्या के प्रयोजनों के लिए उनकी उपेक्षा की जाएगी;

1.2.8 इस समझौते की अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों का, जब इस समझौते में कहीं और उपयोग किया जाए, वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुसूचियों में दिया गया है;

1.2.9 इस समझौते की अनुसूचियाँ इस समझौते का भाग हैं और पूर्णतः प्रभावी होंगी, मानो उन्हें इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो;

1.2.10 किसी समझौते, विलेख, लिखत, लाइसेंस, कोड या किसी अन्य प्रकार के दस्तावेज के संदर्भ को, संबंधित समय पर, उस समझौते, विलेख, लिखत, लाइसेंस, कोड या दस्तावेज के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जैसा कि उस समय संशोधित, परिवर्तित, पूरक, परिवर्धित, निलंबित या नवोन्मेषित किया गया हो;

1.2.11 “लिखित” और “लिखित रूप में” शब्दों में फैक्स द्वारा प्रसारण और शब्दों को मूर्त एवं स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में पुनरुत्पादित करने का कोई भी माध्यम शामिल होगा, बशर्ते प्रसारण की पुष्टि हो;

1.2.12 “include” और “including” शब्दों की व्याख्या बिना किसी सीमा के की जाएगी;

1.2.13 अनुच्छेदों और अनुसूचियों के बीच किसी अस्पष्टता या विसंगति की स्थिति में अनुच्छेद प्रभावी होंगे।

2. रियायत

2.1 परियोजना का दायरा

परियोजना का दायरा (“परियोजना का दायरा”) निम्नलिखित होगा:

2.1.1 इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार साइट पर हवाईअड्डे का विकास और निर्माण;

2.1.2 हवाईअड्डे का परिचालन और अनुरक्षण तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डा गतिविधियों और गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों का निष्पादन; और

2.1.3 इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एचआईएएल के अन्य सभी दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति।

2.2 प्रभावी तिथि के बाद परियोजना के दायरे में कोई भी परिवर्तन, भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों से संबंधित मामलों को छोड़कर, जो अनुच्छेद 18.13 के अधीन होंगे, लागू कानून और/या पक्षकारों की पारस्परिक सहमति के अधीन होगा।

3. रियायत प्रदान करना

3.1 रियायत

3.1.1 इस समझौते और लागू कानून के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, भारत सरकार एचआईएएल को हवाईअड्डे के विकास, डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, कमीशनिंग, अनुरक्षण, परिचालन और प्रबंधन का विशिष्ट अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है; हालांकि आरक्षित गतिविधियों को करने तथा AAI द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार, नेविगेशन, निगरानी/सर्विलांस और वायु यातायात प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं होगा।

3.1.2 एचआईएएल एतद्वारा अनुच्छेद 3.1.1 के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई रियायत को स्वीकार करता है।

3.2 अधिकारों की मान्यता

3.2.1 लागू कानून के अधीन और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार यह मानती है कि एचआईएएल निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

(क) अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित गतिविधियों से संबंधित या सहायक कोई गतिविधि या व्यवसाय अथवा ऐसा कोई कार्य जिसे एचआईएएल उनके संबंध में करना या संचालित करना वांछनीय या उपयुक्त समझे, जिसमें अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित गतिविधियों के लिए एचआईएएल द्वारा युक्तिसंगत रूप से आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अवसंरचना सेवा शामिल है;

(ख) हवाईअड्डे पर विमान, यात्रियों, सामान, माल और/या डाक के आगमन, प्रस्थान और/या हैंडलिंग से संबंधित या उससे जुड़ी कोई गतिविधि या व्यवसाय; और

(ग) राजस्व उत्पन्न करने के लिए साइट के विकास या हवाईअड्डे के परिचालन से संबंधित या उससे जुड़ी कोई गतिविधि या व्यवसाय, जिसमें होटल, रेस्तरां, सम्मेलन स्थल, बैठक सुविधाएँ, व्यवसाय केंद्र, व्यापार मेले, अचल संपत्ति, थीम पार्क, मनोरंजन केंद्र, गोल्फ कोर्स और अन्य खेल और/या मनोरंजन सुविधाएँ, बैंक और विनिमय केंद्र तथा शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक उपक्रमों का विकास शामिल है।

3.2.2 अनुच्छेद 3.2.1 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एचआईएएल, इस समझौते की शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, किसी भी समय किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 3.2.1 में वर्णित गतिविधियों और व्यवसायों को संचालित करने के लिए Service Provider Rights प्रदान कर सकता है, जिसमें Service Provider Right Holders द्वारा उप-अधिकार प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है। ऐसे अधिकार ऐसी शर्तों और नियमों पर दिए जा सकते हैं जिन्हें एचआईएएल युक्तिसंगत रूप से उपयुक्त निर्धारित करे, बशर्ते वे इस समझौते के ढाँचे के भीतर हों और इस समझौते की शर्तों के विपरीत न हों तथा, यदि और जिस सीमा तक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा मंजूरी से संबंधित किसी लागू कानून के अनुसार आवश्यक हो, हवाईअड्डे पर कार्यरत ऐसे सेवा प्रदाता अधिकार धारक ने आवश्यक और अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की हो।

एचआईएएल द्वारा सेवा प्रदाता सही है प्रदान किए जाने से इस समझौते के अंतर्गत एचआईएएल के किसी भी उत्तरदायित्व, कर्तव्य और दायित्व से एचआईएएल मुक्त नहीं होगा।

3.3 रियायत शुल्क

3.3.1 शुल्क

पक्षकार सहमत हैं कि अनुच्छेद 3.1 के अनुसार भारत सरकार द्वारा रियायत प्रदान किए जाने के प्रतिफल के रूप में एचआईएएल, इस अनुच्छेद 3.3 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, प्रतिवर्ष सकल राजस्व का चार प्रतिशत (4%) शुल्क भारत सरकार को भुगतान करेगा ("**रियायत शुल्क**").

3.3.2 सकल राजस्व

इस अनुच्छेद 3.3 के प्रयोजनों के लिए "**सकल राजस्व**" का अर्थ एचआईएएल का सभी कर-पूर्व राजस्व होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

(क) अनुच्छेद 8.4, 8.5 और 8.6 के अनुसार प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा की गई गतिविधियों के लिए एचआईएएल द्वारा किए गए, यदि कोई हों, भुगतान;

(ख) बीमा से प्राप्त राशि;

(ग) किसी पूंजीगत परिसंपत्ति या वस्तु की बिक्री से एचआईएएल को प्राप्त होने वाली कोई राशि;

(घ) वायु नेविगेशन और वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के संबंध में प्राप्त भुगतान और/या धनराशि;

(ङ) लागू कानून के अंतर्गत किसी सरकारी प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से एचआईएएल द्वारा एकत्र किए गए भुगतान और/या धनराशि।

3.3.3 भुगतान

रियायत शुल्क एचआईएएल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष ("**वित्तीय वर्ष**") के संबंध में निर्धारित किया जाएगा, जो हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि को या उसके बाद हो। इस अनुच्छेद 3.3.3 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 31 मार्च को समाप्त होगा। यदि हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि किसी वित्तीय वर्ष के पहले छह (6) महीनों में आती है, तो पहला वित्तीय वर्ष हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से प्रारंभ हुआ और हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के बाद आने वाली पहली 31 मार्च को समाप्त हुआ माना जाएगा। यदि हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम छह (6) महीनों में आती है, तो पहला वित्तीय वर्ष हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से प्रारंभ हुआ और हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि के बाद आने वाली दूसरी लगातार 31 मार्च को समाप्त हुआ माना जाएगा।

3.3.4 भुगतान खाता

रियायत शुल्क की गणना और भुगतान रुपये में किया जाएगा। एचआईएएल द्वारा देय प्रत्येक भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद के किसी खाते में वायर ट्रांसफर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारत सरकार के पक्ष में या ऐसे अन्य खाते में किया जाएगा जिसे भारत सरकार समय-समय पर एचआईएएल को लिखित रूप में नामित करे।

3.3.5 अस्थायी भुगतान

पहले दस (10) वित्तीय वर्षों के संबंध में रियायत शुल्क ("**स्थगित भुगतान**") बीस (20) समान अर्धवार्षिक किस्तों में देय होगा। पहली ऐसी किस्त ग्यारहवें वित्तीय वर्ष में 30 जून को और दूसरी किस्त 31 दिसंबर को देय होगी। इन दोनों तारीखों में से प्रत्येक को "**संदर्भ तिथि**" कहा जाएगा। शेष किस्तें इसके बाद आने वाली प्रत्येक संदर्भ तिथि को देय होंगी।

अनुच्छेद 3.3.3 के अधीन, ग्यारहवें वित्तीय वर्ष और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में रियायत शुल्क संदर्भ तिथि को वार्षिक रूप से बकाया में देय होगा।

रियायत शुल्क की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए एचआईएएल के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाएगी। यदि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाली संदर्भ तिथि तक ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भारत सरकार को उपलब्ध नहीं हैं, तो एचआईएएल

संबंधित वित्तीय वर्ष के अनलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर भारत सरकार को अस्थायी भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर:

(क) यदि अस्थायी भुगतान उस राशि से कम है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था, तो एचआईएएल भारत सरकार को बकाया राशि का भुगतान करेगा; या

(ख) यदि अस्थायी भुगतान उस राशि से अधिक है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था, तो अतिरिक्त राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में देय रियायत शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

3.3.6 ब्याज और कर

(क) अनुच्छेद 3.3 के अंतर्गत किए गए भुगतानों को हवाईअड्डे के परिचालन व्यय के भाग के रूप में माना जाएगा, सिवाय अनुच्छेद 3.3.5 के अंतर्गत स्थगित भुगतान के, जो संबंधित वर्ष में लेखांकित किए जाने वाले भुगतानों के स्थान पर होंगे।

(ख) विलंबित भुगतान के मामले को छोड़कर, जिस पर अनुच्छेद 18.14 लागू होगा, अनुच्छेद 3.3 के अनुसार किए जाने वाले किसी भी भुगतान या राशि के संबंध में कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा या देय नहीं होगा।

4. पूर्ववर्ती शर्तें

4.1 परियोजना के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस समझौते के प्रावधान, अनुच्छेद 1, 4, 6, 14, 16 और 18 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो तदनुसार इस समझौते की तारीख से ही पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे, उस तारीख से प्रभावी और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे जिस तारीख तक निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूर्णतः पूरी हो जाएँ:

4.1.1 वायुयान नियामवली 1937 में संशोधन; और

4.1.2 एचआईएएल और उसके ऋणदाताओं से भारत सरकार को अपरिवर्तनीय सूचना प्राप्त होना कि वित्तीय समापन हो चुका है, और ऐसी सूचना पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।

बशर्ते कि:

(क) ऐसी कोई भी पूर्ववर्ती शर्त भारत सरकार और एचआईएएल के बीच लिखित समझौते द्वारा माफ की जा सकती है; और

(ख) एचआईएएल किसी भी समय भारत सरकार को सूचना देकर ऊपर अनुच्छेद 4.1.1 में निर्धारित शर्त को एकतरफा रूप से माफ कर सकता है।

यदि एचआईएएल भारत सरकार की संतुष्टि के अनुसार यह प्रदर्शित करने में सक्षम हो कि प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण के लिए तथा इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए

उसके पास पर्याप्त धन उपलब्ध है, तो भारत सरकार अनुच्छेद 4.1.2 में निर्धारित शर्त को माफ करने के एचआईएल के अनुरोध पर युक्तिसंगत रूप से विचार करेगी।

4.2 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के दायित्व

4.2.1 एचआईएल अनुच्छेद 4.1.2 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करेगा।

4.2.2 भारत सरकार अनुच्छेद 4.1.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तिसंगत प्रयास करेगी।

4.3 पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति न होना

4.3.1 पूर्ति न होने पर समाप्ति

यदि अनुच्छेद 4.1.2 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्त इस समझौते की तारीख से बारह (12) महीने बाद आने वाली तारीख तक पूर्णतः पूरी नहीं हुई है या माफ नहीं की गई है, तो एचआईएल या भारत सरकार, अनुच्छेद 4.3.2 के अधीन, दूसरे पक्षकार को इक्कीस (21) दिनों की लिखित सूचना देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार रखेंगे और ऐसी सूचना की अवधि समाप्त होने पर यह समझौता किसी भी पक्षकार पर कोई परिणामी लागत या परिणाम डाले बिना समाप्त हो जाएगा।

4.3.2 पूर्ति के लिए समय का विस्तार

अनुच्छेद 4.3.1 में निर्दिष्ट तारीख से पहले किसी भी समय, पक्षकार लिखित पारस्परिक सहमति से पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या माफी के लिए निर्धारित तारीख को ऐसी अवधि तक बढ़ाने का अधिकार रखेंगे जिस पर पक्षकार सहमत हों।

4.4 प्रभावी तिथि

अनुच्छेद 4.1 के अधीन, यह समझौता पक्षकारों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

5. भारत सरकार के दायित्व

5.1 भारत सरकार के दायित्व

5.1.1 भारत सरकार अपने खर्च और लागत पर इस समझौते में निर्धारित अपने सभी दायित्वों को पूरा, अनुपालन और निष्पादित करेगी तथा नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन के अधीन किसी वैधानिक निकाय को ऐसा कोई कार्य करने का निर्देश नहीं देगी जो इस समझौते का उल्लंघन होता यदि ऐसा निकाय भारत सरकार के स्थान पर इस समझौते का पक्षकार होता।

5.1.2 एचआईएल या उसके शेयरधारकों अथवा उनके संबंधित ठेकेदारों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसे पक्षकारों द्वारा लागू कानून का पूर्ण अनुपालन और निरंतर पालन किए

जाने के अधीन, नागरिक विमानन मंत्रालय यह प्रयास करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली तथा परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक सभी समाशोधन, विधिवत पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद निम्नलिखित में से जो बाद में हो, उस अवधि के भीतर प्रदान की जाएँ:

(i) संबंधित वैधानिक अवधि की समाप्ति, यदि कोई हो; और

(ii) विधिवत पूर्ण संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पैंतालीस (45) दिन।

नागर विमानन मंत्रालय अपने प्रभाव का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक अन्य सभी समाशोधन भी निम्नलिखित में से जो बाद में हो, उस अवधि के भीतर प्रदान की जाएँ:

(i) संबंधित वैधानिक अवधि की समाप्ति, यदि कोई हो; और

(ii) विधिवत पूर्ण संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पैंतालीस (45) दिन।

उपरोक्त के बावजूद, भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अनुमतियों तक सीमित रखेगी और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाली अनुमतियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।

5.2 विशिष्टता

5.2.1 अंतरराष्ट्रीय

हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि की पच्चीसवीं वर्षगाँठ से पहले, भारत सरकार द्वारा हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी नए या मौजूदा हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने या अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में सुधार अथवा उन्नयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.2.2 घरेलू

हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि की पच्चीसवीं वर्षगाँठ से पहले, भारत सरकार द्वारा हवाईअड्डे से 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी नए या मौजूदा हवाईअड्डे को घरेलू हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने या घरेलू हवाईअड्डे में सुधार अथवा उन्नयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.3 समतुल्य व्यवहार

हवाईअड्डे का परिचालन प्रारंभ होने के बाद भारत सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी या कार्य करने से नहीं रुकेगी जिससे हवाईअड्डे या एचआईएएल के साथ इस प्रकार भेदभाव हो कि अन्य प्रमुख हवाईअड्डों को हवाईअड्डे या एचआईएएल की तुलना में, यथास्थिति, अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त हो।

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए "भेदभाव" से केवल हवाईअड्डे और/या एचआईएएल के संबंध में अन्य प्रमुख हवाईअड्डों और/या अन्य हवाईअड्डा ऑपरेटरों की तुलना में भेदभावपूर्ण प्रकृति के प्रशासनिक

या कार्यकारी आदेश जारी करना अभिप्रेत है, लेकिन इसमें राजकोषीय या कर संबंधी मामलों के संबंध में कानूनों या वैधानिक प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों का जारी किया जाना शामिल नहीं होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार (या उसके किसी मंत्रालय या विभाग) द्वारा ऐसे प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना के लिए रियायतें या वित्त, भूमि अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, तो इस अनुच्छेद के लिए इसे भेदभाव नहीं माना जाएगा।

5.4 सहायता

5.4.1 भारत सरकार परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है।

5.4.2 भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी को निरस्त नहीं करेगी:

(i) एचआईएल में संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में प्रायोजकों (जैसा कि शेयरधारकों का समझौता में परिभाषित है) की नियुक्ति का निर्णय और प्रायोजकों को परियोजना प्रदान करने का निर्णय; या

(ii) यह समझौता,

सिवाय इस समझौते के अंतर्गत अनुमत या लागू कानून के अनुसार किए जाने वाले मामलों के।

5.5 मौजूदा हवाईअड्डा

5.5.1 मौजूदा हवाईअड्डा

(क) एचआईएल, अपेक्षित हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से छह (6) महीने पहले, भारत सरकार को वह तारीख सूचित करेगा जिस दिन उसे हवाईअड्डा उद्घाटन होने की अपेक्षा है।

(ख) जिस तारीख को हवाईअड्डा उद्घाटन होता है, उस तारीख से और उसके प्रभाव से भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा हवाईअड्डा नागरिक विमानन परिचालन के लिए खुला या उपयोग हेतु उपलब्ध न हो।

(ग) जिस तारीख को हवाईअड्डा उद्घाटन होता है, उस तारीख से और उसके प्रभाव से भारत सरकार एक उपयुक्त अधिसूचना जारी और प्रकाशित करेगी जिसमें यह कहा जाएगा कि मौजूदा हवाईअड्डा अब नागरिक विमानन परिचालन के लिए खुला या उपलब्ध नहीं है।

हालाँकि, इन प्रयोजनों के लिए इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के समय हवाईअड्डा गतिविधि के लिए उपयोग या किसी भी समय भारतीय वायु सेना अथवा भारत की अन्य सशस्त्र सेनाओं या अर्धसैनिक बलों या पुलिस या ऐसे अन्य प्राधिकरणों के स्वामित्व या उनके द्वारा अथवा उनके लिए संचालित विमान का उपयोग अथवा विशेष सरकारी स्वामित्व वाले, पट्टे पर लिए गए या किराए पर लिए गए वीआईपी विमानों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों के परिवहन का उपयोग शामिल नहीं होगा।

भारत सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा हवाईअड्डे का अंतरराष्ट्रीय कोड (एचवायडी) हवाईअड्डे को हस्तांतरित किया जाए, बशर्ते एचआईएएल इसके लिए आवश्यक किसी भी नियम और शर्तों का अनुपालन करे।

(घ) वाणिज्यिक विमानों, चार्टर उड़ानों, किराए पर लिए गए विमानों या वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अधीन संचालित विमानों से संबंधित सेवाओं को छोड़कर, सामान्य विमानन सेवाएँ मौजूदा हवाईअड्डे पर वाणिज्यिक विमानों के लिए उसके बंद होने के बावजूद, ऊपर के पैराग्राफ (ख) और (ग) के अनुसार, जारी रह सकती हैं।

5.5.2 उत्तरदायित्व

पक्षकार स्वीकार करते और सहमत होते हैं कि वाणिज्यिक नागरिक विमानन परिचालन के लिए मौजूदा हवाईअड्डे के बंद होने के परिणामस्वरूप ऐसे बंद होने के संबंध में या उसके कारण लागत, व्यय, दायित्व, लाभ की हानि और/या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावे उत्पन्न हो सकते हैं।

पक्षकार एतद्वारा सहमत हैं कि न तो एचआईएएल और न ही भारत सरकार ऐसे लागत, व्यय, दायित्व, लाभ की हानि और/या तृतीय पक्षों द्वारा किए गए दावों के लिए जिम्मेदार होगी या उनका लेखा देने के लिए बाध्य होगी, जो ऐसे बंद होने के संबंध में या उसके कारण उत्पन्न हों।

भारत सरकार निर्देश देगी कि एएआई मौजूदा हवाईअड्डे को बंद करने की लागत के संबंध में एक उपक्रम प्रदान करेगा, जहाँ तक ऐसी लागत मौजूदा हवाईअड्डे पर एएआई द्वारा तृतीय पक्षों के साथ किए गए मौजूदा रियायत/अन्य समझौतों से संबंधित हो।

6. अभ्यावेदन और वारंटियाँ

6.1 अभ्यावेदन और वारंटियाँ

6.1.1 इस समझौते के अनुच्छेद 13.3.1(च) और 13.3.2(ग) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि प्रभावी तिथि को और इस समझौते की अवधि के दौरान:

(क) उसके पास इस समझौते को वैध रूप से निष्पादित और सुपुर्द करने की शक्ति और प्राधिकार है तथा उसने इसके लिए आवश्यक सभी कार्य किए हैं;

(ख) इस समझौते के अंतर्गत उसके दायित्व विधिक रूप से वैध और बाध्यकारी होंगे तथा उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे;

(ग) वह भारत के कानूनों के अधीन है और अनुच्छेद 18.13 के अधीन, इस समझौते के संबंध में किसी भी उन्मुक्ति को स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागता है;

(घ) इस समझौते का निष्पादन, सुपुर्दगी और निष्पादन किसी ऐसे वचन, समझौते, समझ, डिक्री या आदेश की शर्तों से टकराएगा नहीं, उसका उल्लंघन नहीं करेगा, उसके अंतर्गत चूक नहीं होगी या उसके अंतर्गत अपेक्षित निष्पादन में तेजी नहीं आएगी, जिसका वह पक्षकार है या जिससे वह अथवा उसकी कोई संपत्ति या परिसंपत्ति बाध्य या प्रभावित है, और इससे किसी लागू कानून का उल्लंघन नहीं होगा;

(ड) उसे किसी न्यायालय के किसी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री अथवा किसी संबंधित प्राधिकारण के विधिक रूप से बाध्यकारी आदेश के किसी उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है, जिसका परिणाम इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है; और

(च) उसने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में लागू कानून का अनुपालन किया है और उस पर कोई ऐसा जुर्माना, दंड, निषेधाज्ञात्मक राहत या अन्य दीवानी अथवा आपराधिक दायित्व नहीं लगाया गया है जिसका सामूहिक रूप से इस समझौते के अंतर्गत उसके दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या पड़ सकता हो।

6.1.2

इसके अतिरिक्त, एचआईएल भारत सरकार को यह अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

(क) इस समझौते की तारीख को वह भारत के कानूनों के अधीन शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है तथा विधिवत गठित है और निगमित होने के बाद से निरंतर अस्तित्व में है;

(ख) इस समझौते की तारीख को और हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि तक वह हवाईअड्डों के परिचालन और प्रबंधन तथा अन्य सहायक गतिविधियों के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न नहीं है;

(ग) इस समझौते की तारीख को शेयरधारकों का समझौता के अनुसार एचआईएल की शेयरधारिता संरचना निम्नलिखित है:

निवेशक	एचआईएल की जारी एवं चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत
प्रायोजक और/या उनके संबद्ध व्यक्ति और/या अन्य निवेशक	74%
राज्य प्रवर्तक (GoAP और AAI सामूहिक रूप से) और/या उनके संबद्ध व्यक्ति	26%
कुल	100%

(घ) इस समझौते की तारीख को उसके विरुद्ध कानून या इक्विटी के आधार पर किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जाँच लंबित नहीं है या, उसकी जानकारी के अनुसार, ऐसी कार्रवाई की धमकी नहीं दी गई है, जिसका परिणाम इस समझौते का उल्लंघन हो सकता है या जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से इस समझौते के अंतर्गत उसके दायित्वों को पूरा करने की उसकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है; और

(ड) इस समझौते की तारीख को भारत सरकार को इस समझौते में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने हेतु फीस, कमीशन या अन्य किसी रूप में कोई राशि नकद या वस्तु के रूप में किसी व्यक्ति को भुगतान नहीं की गई है, न ही स्वीकार की गई है और न ही किसी व्यक्ति को या उसकी ओर से भुगतान या स्वीकार की जाएगी।

6.1.3

अनुच्छेद 6.1.1 और 6.1.2 में किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटियों के संबंध में, प्रत्येक पक्षकार ऐसे अभ्यावेदन और वारंटियों में होने वाले किसी भी परिवर्तन/संशोधन का खुलासा ऐसे परिवर्तन/संशोधन होने के सात दिनों की अवधि के भीतर दूसरे पक्षकार को करेगा। पक्षकारों द्वारा किया गया यह खुलासा उनके संबंधित अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

6.2 लॉक-इन

अनुच्छेद 14 के अधीन और शेयरधारकों का समझौता की शर्तों के अनुसार, प्रायोजकों और राज्य प्रवर्तकों की शेयरधारिता निम्नलिखित लॉक-इन प्रतिबंधों के अधीन होगी:

(i) प्रायोजक एचआईएएल की कम से कम पैंतालीस प्रतिशत (45%) शेयरधारिता की सदस्यता लेंगे और उसे धारण करेंगे, जिसमें जीएमआर न्यूनतम 40% और एमएचबी न्यूनतम 5% धारण करेगा, वाणिज्यिक परिचालन तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि समाप्त होने तक; और किसी भी स्थिति में वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद सात (7) वर्ष तक एचआईएएल में छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम शेयरधारिता नहीं होगी।

(ii) राज्य प्रवर्तक वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद सात (7) वर्ष की अवधि समाप्त होने तक एचआईएएल में कम से कम छब्बीस प्रतिशत (26%) शेयरधारिता की सदस्यता लेंगे और उसे धारण करेंगे।

अनुच्छेद 6.1 और 6.2 में प्रयुक्त "प्रायोजक", "संबद्ध", "निवेशक", "अन्य निवेशक", "राज्य प्रमोटर", "जीएमआर", "एमएचबी" और "वाणिज्यिक परिचालन तिथि" शब्दों का वही अर्थ होगा जो शेयरधारकों का समझौता में इन शब्दों को दिया गया है।

6.3 अनुमोदन

एचआईएएल हर समय परियोजना के निष्पादन के लिए लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक सभी समाशोधन और अनुमोदन, जिनमें पंजीकरण, लाइसेंस और परमिट (जिसमें आव्रजन, अस्थायी निवास, कार्य और निकास परमिट शामिल हैं) शामिल हैं, प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा।

6.4 अस्वीकरण

6.4.1 एचआईएएल स्वीकार करता है कि इस समझौते के निष्पादन से पहले उसने पूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद परियोजना के दायरे का स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और उन कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा निर्धारित की है जो इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं या जिनका उसे सामना करना पड़ सकता है।

6.4.2 एचआईएएल परियोजना के दायरे से संबंधित कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों (जिसमें ऊपर अनुच्छेद 6.4.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित कोई अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि

शामिल है) को स्वीकार करता है और एतद्वारा स्वीकार करता है कि भारत सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार से एचआईएल के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

6.4.3 संदेह दूर करने के लिए, इस अनुच्छेद 6.4 के अनुसार एचआईएल द्वारा स्वीकार की गई कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों में उन दायित्वों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके लिए इस समझौते की शर्तों के अनुसार भारत सरकार जिम्मेदार है।

7. हवाईअड्डे का निर्माण

7.1 मास्टर प्लान

एचआईएल प्रत्येक पाँच (5) वर्ष में मास्टर प्लान की समीक्षा करेगा। यदि ऐसी समीक्षा पर एचआईएल यह मानता है कि हवाईअड्डे की बदली हुई परिस्थितियों को दर्शाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन आवश्यक है, तो एचआईएल मास्टर प्लान को संशोधित करेगा और भारत सरकार को संशोधित मास्टर प्लान की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।

7.2 निर्माण और विस्तार

एचआईएल मास्टर प्लान, अच्छी उद्योग परिपाटी और लागू कानून के अनुसार प्रारंभिक चरण का डिजाइन, अधिप्राप्ति, निर्माण, पूर्णता, परीक्षण और कमीशनिंग करेगा तथा उससे संबंधित किसी भी दोष को दूर करेगा। एचआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्देशों कार्यों और अच्छी उद्योग परिपाटी के अनुरूप हों।

एचआईएल, बढ़ती मांग, वित्तपोषण की उपलब्धता, उस समय हवाईअड्डे के आर्थिक और लाभप्रद परिचालन तथा हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं की युक्तिसंगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनके अधीन, हवाईअड्डे के विस्तार के लिए विस्तृत प्रस्ताव विकसित और कार्यान्वित करेगा।

जहाँ एचआईएल गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान के संबंध में कोई पूंजीगत निवेश, राशि या लागत वहन करता है और ऐसे निवेश, राशि या लागत को समाप्ति राशि, ऋण या निपटान राशि की गणना में शामिल करना चाहता है, वहाँ एचआईएल भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करेगा।

समझौते में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, भारत सरकार किसी भी प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार के दायित्वों की गारंटी नहीं देती और केवल इस समझौते में प्रदान की गई सीमा तक जिम्मेदार होगी।

7.3 स्वतंत्र अभियंता

एचआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तपोषण समझौतों की शर्तों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा तैयार और ऋणदाताओं को प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्ट और प्रमाणपत्र तथा भविष्य के किसी वित्तपोषण के अनुसार नियुक्त किसी स्वतंत्र अभियंता की कोई भी रिपोर्ट भारत सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि भारत सरकार हवाईअड्डे के निर्माण और कमीशनिंग की प्रगति की निगरानी कर सके।

एचआईएल यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र अभियंता हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से पहले भारत सरकार को यहाँ संलग्न अनुसूची 10 के प्रारूप और विषय-वस्तु के अनुसार “पूर्णता प्रमाणपत्र” प्रदान करे।

7.4 स्थल और सामग्री

7.4.1 स्थल का संगठन

एचआईएल निर्माण अवधि के दौरान सुरक्षा सावधानियों, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन, वस्तुओं, सामग्रियों, संयंत्र और उपकरणों की डिलीवरी, प्रदूषण नियंत्रण, सक्षम कार्मिकों और श्रम तथा औद्योगिक संबंधों और सामान्य स्थल सेवाओं के संबंध में साइट की व्यवस्था करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के साइट तक और साइट पर पहुँच, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कार्यालयों और परिसरों के लिए स्थान का आवंटन तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों तक साइट की पहुँच को सीमित करना शामिल है।

7.4.2 सामग्री

एचआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यों में केवल ऐसी सामग्री और वस्तुएँ शामिल हों जो अच्छी और विक्रय योग्य गुणवत्ता की हों तथा लागू कानून के अनुसार निर्मित और तैयार की गई हों और सभी कारीगरी निर्माण और/या स्थापना के समय लागू कानून तथा अच्छी उद्योग परिपाटी के अनुरूप हो।

7.5 हवाईअड्डा उद्घाटन

एचआईएल यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि, हवाईअड्डा उद्घाटन लक्ष्य तिथि तक हो जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित के कारण या परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी विलंब के संदर्भ में ऐसी तारीख को समायोजित किया जाएगा:

7.5.1 फोर्स मेज्योर की घटना; और/या

7.5.2 इस समझौते के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता या कोई विलंब; और/या

7.5.3 इस समझौते के अनुच्छेद 8.14 के अंतर्गत अपने अधिकारों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कोई व्यवधान या हस्तक्षेप; और/या

7.5.4 राज्य सहयोग समझौता के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता या कोई विलंब; और/या

7.5.5 भूमि पट्टा समझौता के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता या कोई विलंब; और/या

7.5.6 सीएनएस/एटीएम समझौता के अंतर्गत एएआई द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता या कोई विलंब; और/या

7.5.7 शेयरधारकों का समझौता के अंतर्गत एचआईएल या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता या कोई विलंब; और/या

7.5.8 किसी संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपनी सेवाओं के निष्पादन में विफलता या कोई विलंब; और/या

7.5.9 अनुच्छेद 2.2 के अनुसार परियोजना के दायरे में परिवर्तन।

7.5.10 कानून में ऐसा परिवर्तन जो एचआईएल को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने से महत्वपूर्ण रूप से रोकता हो;

7.5.11 किसी पर्यावरण संबंधी कानून में ऐसा परिवर्तन, समाप्ति या नया प्रावधान जो एचआईएल को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने से महत्वपूर्ण रूप से रोकता हो;

7.5.12 साइट पर राष्ट्रीय महत्व के किसी पुरातात्विक अवशेष की खोज, जो एचआईएल को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने से महत्वपूर्ण रूप से रोकती हो;

7.5.13 भारत के सर्वोच्च न्यायालय या भारत सरकार द्वारा ऐसे भारतीय कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग या प्रवर्तन में परिवर्तन, जो एचआईएल को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन करने से महत्वपूर्ण रूप से रोकता हो।

यदि उपर्युक्त शर्तों के अलावा किसी अन्य कारण से एचआईएल हवाईअड्डा उद्घाटन लक्ष्य तिथि के छह महीने बाद आने वाली तारीख तक हवाईअड्डा उद्घाटन करने में विफल रहता है, तो एचआईएल भारत सरकार को सहमत परिसमाप्त हर्जाने के रूप में प्रति दिन एक लाख रुपये (₹1,00,000) की राशि का भुगतान करेगा। यह राशि हवाईअड्डा उद्घाटन लक्ष्य तिथि से छह महीने बाद आने वाली तारीख से लेकर हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि या हवाईअड्डा उद्घाटन लक्ष्य तिथि के बारह महीने बाद आने वाली तारीख, इनमें से जो पहले हो, तक की देरी की अवधि के लिए होगी, जब तक कि भारत सरकार द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाया न जाए।

7.6 लाइसेंस

7.6.1 लाइसेंस प्रदान करना

भारत सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करेगी और एचआईएल की सहायता करेगी ताकि डीजीसीए एचआईएल को प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि के लिए कोई हवाईअड्डा लाइसेंस प्रदान करे, जिससे एचआईएल अपने आवेदन की तारीख से अधिकतम पैंतालीस (45) दिनों के भीतर वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ कर सके, बशर्ते कि एचआईएल ने इस समझौते की शर्तों के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण पूरा कर लिया हो और निम्नलिखित का अनुपालन किया हो:

(i) वायुयान नियामवली के नियम 86 और अनुसूची V के खंड-क की आवश्यकताएँ;

(ii) वायुयान नियामवली, 1937 के नियम 133ए के अनुसार डीजीसीए द्वारा जारी कोई विशेष निर्देश या दिशानिर्देश; और

(iii) प्रमुख हवाईअड्डे के लिए हवाईअड्डा लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की कोई अन्य मानक आवश्यकता।

7.6.2 निरंतर लाइसेंस

अनुच्छेद 7.6.1 के अंतर्गत हवाईअड्डा लाइसेंस जारी किए जाने के बाद, भारत सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करेगी और एचआईएएल की सहायता करेगी ताकि डीजीसीए, एचआईएएल को जारी उक्त हवाईअड्डा लाइसेंस को और दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत करे। यह नवीनीकरण तत्काल पिछली दो वर्ष की अवधि के लिए जारी हवाईअड्डा लाइसेंस की समाप्ति से पहले तथा एचआईएएल द्वारा डीजीसीए को आवेदन किए जाने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा, बशर्ते कि एचआईएएल महत्वपूर्ण सभी पहलुओं में निम्नलिखित का निरंतर अनुपालन करता रहे:

(i) लागू कानून और वायुयान नियामवली, 1937;

(ii) वायुयान नियामवली, 1937 के नियम 133ए के अनुसार डीजीसीए द्वारा जारी कोई विशेष निर्देश या दिशानिर्देश;

(iii) इस समझौते के प्रावधान; और

(iv) प्रमुख हवाईअड्डे के लिए हवाईअड्डा लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की कोई अन्य मानक आवश्यकता, जिसमें ऐसे लाइसेंस के संबंध में डीजीसीए को देय सभी पिछली बकाया राशियों का भुगतान शामिल है,

और यह भी बशर्ते कि वर्तमान लाइसेंस के अंतर्गत एचआईएएल द्वारा कोई उल्लंघन लंबित न हो।

7.7 कमीशनिंग

भारत सरकार अपने प्रभाव का उपयोग करेगी ताकि एएआई और डीजीसीए, एचआईएएल की लागत पर और समयबद्ध तरीके से, अनुच्छेद 7.6 में उल्लिखित लाइसेंस प्रदान करने और/या हवाईअड्डे के सुरक्षित परिचालन के लिए आवश्यक सभी परीक्षण और प्रक्रियाएँ पूरी करें।

8. परिचालन और अनुरक्षण

8.1 हवाईअड्डे का परिचालन और अनुरक्षण

एचआईएएल हर समय हवाईअड्डे के परिचालन और अनुरक्षण में लागू कानून का अनुपालन करेगा तथा अच्छी उद्योग परिपाटी और मानक के अनुसार हवाईअड्डे का परिचालन, अनुरक्षण और उसे अच्छी परिचालन स्थिति में रखेगा तथा यथोचित रूप से आवश्यक सीमा तक हवाईअड्डे का नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगा। इन प्रयोजनों के लिए इसमें वे प्रणालियाँ या उपकरण शामिल नहीं होंगे जिनका परिचालन और अनुरक्षण सीएनएस/एटीएम समझौता की शर्तों के अनुसार एएआई द्वारा किया जाना है। सभी अनुरक्षण, मरम्मत और अन्य कार्य इस प्रकार किए जाएँगे कि हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा न्यूनतम हो।

8.2 संयुक्त समन्वय समिति

पक्षकार हवाईअड्डे का विकास, अनुरक्षण और परिचालन अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों में प्राप्त मानकों के अनुरूप उच्च मानकों पर करना चाहते हैं। आरक्षित गतिविधियाँ भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के निर्देशन में की जाएँगी। इस समझौते के अंतर्गत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में एचआईएएल और भारत सरकार की सहायता के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति गठित की जाएगी, जिसमें एचआईएएल, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और आरक्षित गतिविधियाँ प्रदान करने वाले अन्य संबंधित प्राधिकरण शामिल होंगे।

संयुक्त समन्वय समिति प्रभावी तिथि के बाद आने वाले पहले महीने से प्रारंभ करके कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक बार बैठक करेगी, बशर्ते कि पक्षकार ऐसी समिति के निर्णयों से बाध्य नहीं होंगे।

नागरिक विमानन मंत्रालय इस प्रक्रिया में सहायता के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, लेकिन संदेह दूर करने के लिए संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

8.3 आरक्षित गतिविधियाँ

भारत सरकार इस अनुच्छेद 8 के अनुसार आरक्षित गतिविधियाँ करेगी और लागू कानून के अंतर्गत उसे उपलब्ध सभी अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसके अंतर्गत हवाईअड्डे पर यात्रियों, सामान और माल के निरंतर प्रवाह को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सेवाओं का निरंतर प्रावधान सुनिश्चित करना शामिल है।

8.4 सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध

8.4.1

पक्षकार हवाईअड्डे का विकास और परिचालन अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों में प्राप्त मानकों के अनुरूप करना चाहते हैं और इस संबंध में सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाएँ भारत सरकार द्वारा अपने खर्च पर स्थापित की जाएँगी। पक्षकारों का आशय है कि वे भारत सरकार द्वारा इस समझौते के अनुसार स्थापित सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं तथा संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा-स्तरीय मानकों पर सहमत होने का युक्तिसंगत प्रयास करेंगे और नागर विमानन मंत्रालय एचआईएएल द्वारा अनुरोध किए जाने पर तदनुसार सहायता के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

8.4.2

एचआईएएल हर समय संबंधित प्राधिकरण को:

- (i) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुँच और सुविधाएँ; और
- (ii) इस समझौते की अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान संबंधी आवश्यकताएँ,

उपलब्ध कराएगा ताकि संबंधित प्राधिकरण हवाईअड्डे पर आरक्षित गतिविधियाँ कर सके। ये शर्तें अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप होंगी।

8.4.3

एचआईएएल को संबंधित प्राधिकरण की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का अधिकार नहीं होगा।

8.4.4

हवाईअड्डे पर किसी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास में यदि ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधा का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास शामिल है, तो एचआईएएल संबंधित प्राधिकरण को विधिवत सूचित करेगा और एचआईएएल तथा संबंधित प्राधिकारी ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक होने वाले संबंधित प्राधिकारी की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में उपयुक्त संशोधनों पर चर्चा और सहमति करेंगे।

8.5 सुरक्षा

8.5.1

भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस समझौते के अंतर्गत अन्यथा सहमति न हो, वह अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर जिस प्रकार और उन्हीं शर्तों पर विमानन सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार और उन्हीं शर्तों पर हवाईअड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। बशर्ते कि भारत सरकार और एचआईएएल, आपसी चर्चा के बाद, यदि उचित समझें, हवाईअड्डे पर विमानन सुरक्षा सेवाएँ संयुक्त रूप से प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि इस समझौते की तारीख को सुरक्षा के लिए प्रभार ₹130 प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री था, जिसे सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

8.5.2

इस समझौते के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एचआईएएल हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में BCAS द्वारा स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा, बशर्ते कि एचआईएएल को ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि वे समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर सामान्य रूप से और निरंतर रूप से लागू नहीं किए जाते हैं।

8.5.3

एचआईएएल एमसीए/बीसीएस या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों की अधिप्राप्ति, स्थापना, अनुरक्षण और प्रतिस्थापन के लिए जिम्मेदार होगा। जहाँ तक उपकरण अपहरण-रोधी और तोड़फोड़-रोधी कार्यों से संबंधित हैं, जैसे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), साथ ले जाए जाने वाले यात्री सामान की जाँच के लिए एक्स-रे स्कैन मशीनें और वॉकी-टॉकी, उनका परिचालन एमसीए/बीसीएस द्वारा नामित एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

8.5.4

हवाईअड्डे के भवन, यात्रियों, हवाईअड्डे पर कार्यरत व्यक्तियों और अन्य आगंतुकों तथा हवाईअड्डे पर विमानों, माल और अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ भी बीसीएस द्वारा निर्धारित की जाएँगी। एचआईएल बीसीएस द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएँ और निर्देश समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर निरंतर रूप से लागू किए जाते हों।

8.5.5

सुरक्षा ऊट्टी करने के लिए कार्मिक बीसीएस, भारत सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे।

8.5.6

एचआईएल हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

8.5.7

एचआईएल नामित सुरक्षा एजेंसी को:

- (i) हवाईअड्डे पर ऐसी पहुँच और सुविधाएँ; और
- (ii) इस समझौते की अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान संबंधी आवश्यकताएँ,

उपलब्ध कराएगा ताकि नामित सुरक्षा एजेंसी इस समझौते के अंतर्गत अपने कार्य कर सके। ऐसी शर्तें समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर लागू सामान्य नियमों और शर्तों के अनुरूप होंगी।

8.5.8

एचआईएल को नामित सुरक्षा एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर नामित सुरक्षा एजेंसी को उपलब्ध कराए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का अधिकार नहीं होगा।

8.5.9

हवाईअड्डे पर किसी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास में यदि ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए नामित सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधा का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास शामिल है, तो एचआईएल नामित सुरक्षा एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा और एचआईएल तथा नामित सुरक्षा एजेंसी ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक होने वाले नामित सुरक्षा एजेंसी की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में उपयुक्त संशोधनों पर चर्चा और सहमति करेंगे।

8.6 मौसम विज्ञान सेवा

8.6.1

भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह हवाईअड्डे पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाली समान शर्तों पर मौसम विज्ञान सेवाएँ प्रदान करेगी।

8.6.2

मौसम विज्ञान सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एचआईएएल संबंधित प्राधिकारण को:

(i) ऐसी पहुँच; और

(ii) इस समझौते की अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान संबंधी आवश्यकताएँ,

उपलब्ध कराएगा ताकि संबंधित प्राधिकरण इस समझौते के अंतर्गत अपने कार्य कर सके।

संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्य तथा इस अनुच्छेद 8.6 के अंतर्गत एचआईएएल द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुँच और स्थान ऐसी शर्तों पर होंगे जो अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू नियमों और शर्तों के सामान्यतः अनुरूप हों।

8.6.3

एचआईएएल को संबंधित प्राधिकरण की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध कराए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का अधिकार नहीं होगा।

8.6.4

हवाईअड्डे पर किसी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास में यदि ऊपर उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी स्थान या सुविधा का स्थानांतरण या पुनर्विन्यास शामिल है, तो एचआईएएल संबंधित प्राधिकरण को विधिवत सूचित करेगा और एचआईएएल तथा संबंधित प्राधिकरण ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक होने वाले संबंधित प्राधिकरण की स्थान संबंधी आवश्यकताओं में उपयुक्त संशोधनों पर चर्चा और सहमति करेंगे।

8.7 वीआईपी लाउंज

एचआईएएल अपने खर्च पर हवाईअड्डे पर राज्य अतिथियों और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के उपयोग और सुविधा के लिए हर समय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक वीआईपी लाउंज उपलब्ध कराएगा और उसका अनुरक्षण करेगा।

8.8 मानक

इस अनुच्छेद 8 की किसी भी बात की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि एचआईएएल को इस रियायत समझौते के अंतर्गत हवाईअड्डे पर आवश्यक स्थान या सुविधाओं से संबंधित मानकों को कम करने या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त हो।

8.9 हवाईअड्डा व्यवसाय का प्रबंधन

एचआईएएल अच्छी उद्योग परिपाटी और लागू कानून के अनुसार तथा इस समझौते की शर्तों के अनुसार:

8.9.1 हवाईअड्डे का प्रबंधन और परिचालन एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में प्रतिस्पर्धी, कुशल और आर्थिक तरीके से करेगा;

8.9.2 इस समझौते के अंतर्गत एचआईएएल के किसी अन्य दायित्व या अधिकार को सीमित किए बिना, हवाईअड्डे पर हवाईअड्डा गतिविधियों का प्रावधान करेगा या उनका प्रावधान सुनिश्चित करेगा; और

8.9.3 हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं की युक्तिसंगत आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखेगा।

8.10 सामान्य दायित्व

8.10.1 एचआईएएल, लागू कानून के अधीन:

(क) हवाईअड्डे को हर समय विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए खुला रखेगा, जब तक और उस अवधि तक ऐसा करना संभव न हो जब किसी संबंधित प्राधिकारण द्वारा आरक्षित गतिविधि प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप एचआईएएल ऐसा करने में असमर्थ हो; और

(ख) हवाईअड्डे के परिचालन के संबंध में उसके द्वारा किए गए सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार होगा और उनका तत्काल भुगतान करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के कर, बीमा और हवाईअड्डे को या हवाईअड्डे पर बिजली, पानी, गैस, कचरा संग्रहण, सीवरेज, गंदे पानी, जल निकासी और टेलीफोन जैसी सभी सेवाओं या उपयोगिताओं का प्रावधान शामिल है।

8.11 स्लॉट

एचआईएएल को हवाईअड्डे पर स्लॉट आवंटित करने का अंतिम अधिकार होगा, बशर्ते कि ऐसे स्लॉट निष्पक्ष रूप से और मनमाने ढंग से नहीं आवंटित किए जाएँ और एचआईएएल मौजूदा हवाईअड्डे के बंद होने के समय वहाँ आवंटित संबंधित एयरलाइन ऑपरेटरों के स्लॉट को हवाईअड्डे पर समायोजित करने के लिए युक्तिसंगत प्रयास करेगा।

8.12 भेदभाव-रहित व्यवहार

समय-समय पर लागू किसी कानून, विनियम या अंतरराष्ट्रीय संधि के दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाई यातायात के उन वर्गों या प्रकारों के संबंध में भेदभाव-रहित नीति का पालन करेगी, जिन्हें

हवाईअड्डे का उपयोग करने की अनुमति है और जो विनियामक प्राधिकरण या स्वतंत्र विनियामक विधान के अधीन विनियमित हैं, तथा हवाईअड्डे पर विमान परिचालन पर कोई सीमा नहीं लगाएगी या अन्यथा हवाईअड्डे की क्षमता को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

8.13 परिचालन में व्यवधान

यदि हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि के पश्चात् एचआईएएल, भारत सरकार या किसी संबंधित प्राधिकरण के कारण न होने वाले किसी कारण से और इस समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों के अनुसार कार्य करने के अलावा, भारत सरकार की लिखित सहमति के बिना, अड़तालीस (48) घंटे से अधिक समय के लिए हवाईअड्डे का परिचालन बंद कर देता है या पर्याप्त रूप से बंद कर देता है, तो किसी भी पक्ष के अनुरोध पर भारत सरकार, एचआईएएल के साथ बैठक करेगी ताकि एक योजना तथा एक संयुक्त परिचालन और प्रबंधन समिति की नियुक्ति पर चर्चा और सहमति की जा सके (जिसमें ऐसी समिति की नियुक्ति के नियम और शर्तें भी शामिल हों), ताकि यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से हवाईअड्डे का परिचालन पुनः प्रारंभ कराया जा सके। यदि भारत सरकार और एचआईएएल उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से बारह (12) घंटे के भीतर किसी योजना पर सहमत होने और संयुक्त परिचालन एवं प्रबंधन समिति नियुक्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो भारत सरकार उस समय तक हवाईअड्डे का परिचालन करने की हकदार होगी, जब तक एचआईएएल हवाईअड्डे का परिचालन पुनः शुरू करने में सक्षम न हो जाए।

8.14 निर्माण या परिचालन में व्यवधान

इस समझौते में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय और/या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और/या इस समझौते की तारीख को विद्यमान किसी कानून में उपबंधित होने के सिवाय, भारत सरकार एचआईएएल द्वारा या उसकी ओर से हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, अनुरक्षण, वित्तपोषण, परिचालन, प्रबंधन और/या विकास में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही उसे बाधित करेगी। किसी अन्य आपात स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण, भारत सरकार पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए हवाईअड्डे के निर्माण या परिचालन में हस्तक्षेप करने या उसे बाधित करने की हकदार होगी।

8.15 द्विपक्षीय समझौते

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार, जहाँ संभव हो, सभी विद्यमान हवाई सेवा समझौतों को नवीनीकृत करने का प्रयास करेगी तथा हवाईअड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी विद्यमान हवाई सेवा समझौते को निरस्त या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। संदेह से बचने के लिए, भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक द्वारा ऐसे हवाई सेवा समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहने या ऐसे हवाई सेवा समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा उल्लंघन या चूक के कारण किसी हवाई सेवा समझौते को निरस्त या समाप्त करने की हकदार होगी।

8.16 दिन और रात्रि के समय परिचालन

उचित सुविधाएँ स्थापित करने तथा सभी लागू कानूनों और मानकों, जिनमें पर्यावरणीय कानून भी शामिल हैं, का अनुपालन करने के अधीन और इस शर्त के साथ कि अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर भी पर्याप्त रूप से समान प्रतिबंध लगाए गए हों, एचआईएएल हवाईअड्डे का परिचालन करने तथा दिन

और रात्रि दोनों समय किसी भी समय विमान के उड़ान भरने और उतरने की अनुमति देने का हकदार होगा।

8.17 अधिकारियों के लिए प्रवेश

8.17.1 प्रवेश

अनुच्छेद 8.17.2 के उपबंधों तथा BCAS के दिशा-निर्देशों के अधीन, एचआईएएल को साइट और/या हवाईअड्डे के सभी भागों में ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश देने का अधिकार होगा, जिन्हें वह निर्धारित करे।

8.17.2 न्यूनतम व्यवधान

जहाँ तक भारत सरकार और/या एएआई को ऐसा प्रवेश दिया गया है, संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्रवेश और सुविधाओं का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि हवाईअड्डे के निर्माण, कमीशनिंग, पूर्णता, विकास, अनुरक्षण और परिचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

9. परिचालन और अनुरक्षण की निगरानी

9.1 निष्पादन मानक

पक्षकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यात्रियों को हवाईअड्डे के माध्यम से यात्रा करने के समग्र अनुभव से संतुष्टि प्राप्त हो और वे स्वीकार करते हैं कि यह अनुभव विभिन्न सेवाएँ और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अनेक निकायों के परस्पर सहयोग का परिणाम है। एचआईएएल हवाईअड्डे पर सेवाएँ प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा और हवाईअड्डे की सुविधाओं, मानकों तथा सेवाओं में सुधार के लिए कार्य करेगा।

9.2 निष्पादन मानकों की निगरानी

9.2.1

इस समझौते की पूरी अवधि के दौरान हवाईअड्डे के निष्पादन की निगरानी इस अनुच्छेद 9 के अनुसार यात्री सर्वेक्षणों द्वारा की जाएगी। हवाईअड्डे के निष्पादन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड अनुसूची 9, भाग 2 में निर्धारित आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर सेवा मानक या समय-समय पर पारस्परिक रूप से सहमत किए जाने वाले ऐसे मानदंड होंगे (जिन्हें "मानक" कहा जाएगा)।

9.2.2

एचआईएएल आईएटीए सर्वेक्षणों में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे के निष्पादन का निर्धारण करने के लिए आईएटीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष एक सर्वेक्षण किया जाए। ऐसा पहला सर्वेक्षण हवाईअड्डा प्रारंभ होने के तीसरे (3रे) वर्ष में किया जाएगा।

9.2.3

यदि लगातार तीन (3) सर्वेक्षणों से यह प्रदर्शित होता है कि एचआईएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन सेवा मानकों के लिए हवाईअड्डे की रेटिंग लगातार तीन दशमलव पाँच (3.5) से कम है (आईएटीए के 1 से 5 के वर्तमान पैमाने पर), तो एचआईएल हवाईअड्डे के निष्पादन में सुधार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा, जिसे एक (1) वर्ष के भीतर लागू किया जाना आवश्यक होगा।

9.2.4

यदि हवाईअड्डे की रेटिंग आगे एक (1) वर्ष तक एचआईएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन सेवा मानकों के लिए तीन दशमलव पाँच (3.5) से कम बनी रहती है (आईएटीए के 1 से 5 के वर्तमान पैमाने पर), तो भारत सरकार एचआईएल को हवाईअड्डे के निष्पादन में सुधार करने के लिए एक और कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दे सकती है, जिसे एक (1) वर्ष के भीतर लागू किया जाना होगा।

9.2.5

यदि एचआईएल ऐसी कार्य योजना तैयार करने में विफल रहता है या ऐसी कार्य योजना के कार्यान्वयन के बाद किए गए अगले वर्ष के सर्वेक्षण में एचआईएल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन सेवा मानकों के लिए हवाईअड्डे की रेटिंग तीन दशमलव पाँच (3.5) से कम बनी रहती है (आईएटीए के 1 से 5 के वर्तमान पैमाने पर), तो भारत सरकार को परिसमापनित हर्जाना लगाने और/या अनुच्छेद 8.2 में उल्लिखित संयुक्त समन्वय समिति में भाग लेने वाले संबंधित प्राधिकरणों को एचआईएल की रेटिंग में सुधार करने में सहायता करने के लिए निर्देश देने का अधिकार होगा। परिसमापनित हर्जाने की राशि, रेटिंग में कमी के कारणों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के बीच चर्चा और सहमति से निर्धारित की जाएगी।

9.2.6

उपरोक्त अनुच्छेद 9.2.5 के अनुसार कोई भी परिसमापनित हर्जाना हवाईअड्डा विकास निधि में जमा किया जाएगा। हवाईअड्डा विकास निधि की राशि का उपयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार हवाईअड्डे में सुधार के लिए किया जाएगा।

9.2.7

यदि एचआईएल के खराब निष्पादन के कारण सर्वेक्षण में हवाईअड्डे की रेटिंग तीन दशमलव पाँच (3.5) से कम बनी रहती है (आईएटीए के 1 से 5 के वर्तमान पैमाने पर), और यह भारत सरकार या संबंधित प्राधिकरण के कारण नहीं है, तथा ऐसी परिसमापनित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए एचआईएल पहली बार उत्तरदायी होने की तारीख के बाद के दो (2) वर्षों से संबंधित सर्वेक्षणों में भी ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो भारत सरकार को इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।

9.2.8

यदि वर्तमान आईएटीए पैमाने में परिवर्तन होता है, तो पक्षकार सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 9.2 में परिकल्पित रेटिंग के समतुल्य स्तर लागू किए जाएंगे। एचआईएल तीन दशमलव पाँच (3.5) से अधिक निष्पादन मानक प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा (आईएटीए के 1 से 5 के वर्तमान पैमाने पर)।

9.2.9

जिस तारीख से IRA को हवाईअड्डे पर मानकों और दंड की समीक्षा, निगरानी एवं निर्धारण तथा ऐसी संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है, उस तारीख से एचआईएएल को अनुच्छेद 9.2.1 से 9.2.7 के उपबंधों के स्थान पर IRA द्वारा बनाए गए ऐसे सभी विनियमों का अनुपालन करना होगा।

9.2.10

अनुच्छेद 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 और 9.2.7 में निहित किसी बात के बावजूद, यदि भारत सरकार किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे के संबंध में ऐसा रियायत समझौता करती है जिसमें भारत सरकार द्वारा रियायत समझौते की समाप्ति के प्रयोजन के लिए रेटिंग 3.5 निर्धारित की गई है, तो इस अनुच्छेद 9 के प्रयोजनों के लिए रेटिंग 3.5 ही बनी रहेगी। हालाँकि, यदि भारत सरकार किसी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे के संबंध में ऐसा रियायत समझौता करती है जिसमें रियायत समझौते की समाप्ति के प्रयोजन के लिए रेटिंग 3.5 से कम तथा 3 से कम नहीं निर्धारित की गई है, तो ऐसी कम रेटिंग इस अनुच्छेद 9 के लिए लागू होगी।

9.3 अभिलेख

सभी लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, एचआईएएल हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, अनुरक्षण, परिचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें अनुरक्षण पुस्तिका तथा हवाईअड्डे के सभी पहलुओं के "निर्मित रूप में" चित्र शामिल होंगे।

एचआईएएल इन अभिलेखों को उचित सूचना दिए जाने पर और सामान्य कारोबारी घंटों के दौरान भारत सरकार द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा, ताकि भारत सरकार द्वारा इस समझौते के नियमों और शर्तों के एचआईएएल द्वारा अनुपालन का सत्यापन किया जा सके, और मांग किए जाने पर उनकी प्रतियाँ भारत सरकार को (भारत सरकार की लागत पर) उपलब्ध कराएगा।

10. शुल्क

10.1 शुल्क लगाने का अधिकार रखने वाले पक्षकार

लागू कानून के अधीन, एचआईएएल, संबंधित सेवा प्रदाता अधिकार प्रदान किए गए किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक या AAI के अलावा कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क या फीस नहीं लगा सकता: (क) हवाईअड्डे पर ऐसी किसी सुविधा और/या सेवा के प्रावधान के संबंध में जो हवाईअड्डा गतिविधियों में शामिल है; या

(ख) हवाईअड्डे या साइट पर यात्रियों अथवा वाहनों के आवागमन के संबंध में।

10.2 हवाईअड्डा शुल्क

10.2.1

अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट हवाईअड्डा शुल्क ("विनियमित शुल्क") आईसीएओ नीतियों के अनुरूप होंगे।

10.2.2

अनुसूची 6 में निर्धारित विनियमित शुल्क हवाईअड्डे पर संकेतात्मक शुल्क होंगे। हवाईअड्डा प्रारंभ होने से पहले एचआईएएल विनियमित शुल्कों के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा, जो परियोजना की अंतिम लेखापरीक्षित लागत पर आधारित होंगे।

नागरिक विमानन मंत्रालय, प्रस्तावित विनियमित शुल्कों के अनुच्छेद 10.2.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप होने के अधीन, एचआईएएल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के भीतर अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि के 120 दिनों के भीतर एचआईएएल परियोजना की अंतिम लेखापरीक्षित लागत नागरिक विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

10.2.3

यदि आईआरए को विनियमित शुल्कों के अनुमोदन की शक्ति प्राप्त होने की तारीख से पहले किसी भी समय एचआईएएल ऐसे शुल्कों में संशोधन करना चाहता है, तो वह ऐसे संशोधनों के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय की सहमति प्राप्त करेगा।

नागर विमानन मंत्रालय, प्रस्तावित शुल्कों के अनुच्छेद 10.2.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप होने के अधीन, एचआईएएल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे संशोधनों को अनुमोदित करेगा।

10.2.4

जिस तारीख से आईआरए को विनियमित शुल्कों को अनुमोदित करने की शक्ति प्राप्त होती है, उस तारीख से एचआईएएल को आईआरए से उनका अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस संबंध में एचआईएएल, आईआरए द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम के अनुसार, आगामी संबंधित अवधि के लिए प्रस्तावित विनियमित शुल्कों का विवरण तथा समीक्षा के लिए IRA द्वारा अपेक्षित ऐसी सूचना आईआरए को प्रस्तुत करेगा। जब तक पक्षकार लिखित रूप से अन्यथा सहमत न हों, ऐसे अनुमोदित विनियमित शुल्क अनुच्छेद 10.2.1 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप तब तक रहेंगे जब तक निम्नलिखित में से जो पहले हो:

- (i) प्रारंभिक चरण के संबंध में बकाया ऋण का भुगतान हो जाए; या
- (ii) हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि से पंद्रह (15) वर्ष पूरे हो जाएँ।

10.3 अन्य शुल्क

एचआईएएल और/या सेवा प्रदाता अधिकार धारक, विनियमित शुल्क लगाए जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के अलावा, हवाईअड्डे या साइट पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्क निर्धारित करने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र होंगे।

10.4 करों का भुगतान

लागू कानून के अनुसार एचआईएएल द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी करों का भुगतान एचआईएएल द्वारा किसी भी पक्ष, जिसमें ऋणदाता भी शामिल हैं, को कोई राशि वितरित करने से पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

11. बीमा बनाए रखना

11.1 रियायत अवधि के दौरान बीमा

एचआईएएल अपने स्वयं के खर्च पर हर समय अनुसूची 11 में निर्धारित बीमा, वित्तपोषण समझौतों के अंतर्गत आवश्यक बीमा तथा ऐसे अतिरिक्त बीमा प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा, जिन्हें एचआईएएल सुस्थापित उद्योग व्यवहार के अनुसार यथोचित रूप से आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे।

11.2 बीमा पॉलिसियाँ

अनुच्छेद 11.1 के अंतर्गत प्राप्त और बनाए रखे जाने वाले बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के तीस (30) दिनों के भीतर एचआईएएल भारत सरकार को ऐसे पॉलिसी प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ, बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ तथा ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान किए जाने का प्रमाण उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार को एचआईएएल द्वारा ऐसे बीमा के निरस्तीकरण, संशोधन या नवीनीकरण न किए जाने के संबंध में कम से कम पैंतालीस (45) दिनों की सूचना दिए जाने की अवधि समाप्त होने तक कोई बीमा रद्द, संशोधित या समाप्त होने नहीं दिया जाएगा।

11.3 बीमा कराने में विफलता का उपचार

यदि एचआईएएल अपने उत्तरदायित्व के अंतर्गत सभी बीमा प्राप्त करने और उन्हें प्रभावी बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारत सरकार को ऐसे किसी बीमा को प्रभावी बनाए रखने, ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और उसकी लागत एचआईएएल से वसूल करने का विकल्प होगा।

11.4 बीमा से प्राप्त राशि का उपयोग

ऋणदाताओं के साथ किसी समझौते के अधीन, एचआईएएल को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों की राशि का उपयोग हवाईअड्डे के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा, सिवाय उन बीमा राशियों के जो भौतिक क्षति से संबंधित नहीं हैं।

12. लेखे और लेखापरीक्षा

एचआईएएल लागू कानून के अनुसार अपनी आय और व्यय, प्राप्तियों और भुगतानों तथा परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाली लेखा-पुस्तकें रखेगा। वह यथाशीघ्र उपलब्ध होने पर अपनी बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते की दो (2) प्रतियाँ तथा अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध कराएगा।

13. अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

13.1 अप्रत्याशित घटना

अनुच्छेद 13 तब लागू होगा जब किसी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन फोर्स मेज्योर के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से रोका, बाधित या विलंबित हो।

13.2 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

13.2.1 निष्पादन संबंधी दायित्व

अनुच्छेद 13.2.2 का अनुपालन करने के अधीन, कोई भी पक्ष इस समझौते के अंतर्गत या इसके अनुसार किसी दायित्व का पालन न करने या उसके पालन में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उस सीमा तक अपने दायित्वों का निष्पादन करने के लिए बाध्य नहीं होगा जिस सीमा तक किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन फोर्स मेज्योर के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से रोका, बाधित, अवरुद्ध या विलंबित हुआ हो।

विशेष रूप से, परंतु बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी दायित्व के निष्पादन के लिए निर्धारित समय, जिसमें अनुच्छेद 7.5 के अनुसार हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि प्राप्त करना भी शामिल है, उसी के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

13.2.2 सूचना

किसी फोर्स मेज्योर घटना के प्रारंभ होने की तारीख के बाद यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से, लेकिन 72 घंटे से अधिक नहीं, यदि कोई पक्ष ऐसी फोर्स मेज्योर घटना को इसके अंतर्गत किसी दायित्व के निष्पादन में विलंब या विफलता के कारण के रूप में लागू करना चाहता है, तो वह दूसरे पक्ष को ऐसी तारीख तथा ऐसी फोर्स मेज्योर घटना की प्रकृति और अपेक्षित अवधि के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा।

ऐसी फोर्स मेज्योर घटना की सूचना की तारीख के बाद उचित समय के भीतर, जिस पक्ष ने ऐसी घटना को विलंब के कारण के रूप में लागू किया है, वह दूसरे पक्ष को ऐसे विलंब या विफलता की प्रकृति तथा निष्पादन के समय पर उसके प्रत्याशित प्रभाव का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

13.2.3 न्यूनीकरण

प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने और कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

13.3 चूक

13.3.1 एचआईएएल की चूक की घटनाएँ

निम्नलिखित प्रत्येक घटना "एचआईएएल चूक की घटना" मानी जाएगी:

(क) इस अनुच्छेद 13.3.1 में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, यदि एचआईएएल इस समझौते की शर्तों का महत्वपूर्ण उल्लंघन करता है और यदि उसका उपचार संभव है तो एचआईएएल द्वारा भारत सरकार से ऐसा उल्लंघन होने की सूचना प्राप्त करने की तारीख से एक सौ बीस (120) लगातार दिनों के भीतर उसका उपचार नहीं किया गया है। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि अनुच्छेद 6.2 के उल्लंघन में शेरों का कोई भी अंतरण एचआईएएल चूक की घटना माना जाएगा, जब तक कि ऐसा अंतरण शेरधारक समझौते के अनुसार आंध्र प्रदेश सरकार को न किया गया हो;

(ख) यदि हवाईअड्डा प्रारंभ, हवाईअड्डा प्रारंभ लक्ष्य तिथि के बारह (12) महीने बाद की तारीख तक नहीं हुआ है;

(ग) अनुच्छेद 13.1 और 13.2 के अधीन और भारत सरकार और/या संबंधित प्राधिकरण के कारण न होने की स्थिति में, यदि हवाईअड्डा प्रारंभ होने के बाद एचआईएएल, भारत सरकार की लिखित सहमति के बिना, लगातार चौदह (14) दिनों से अधिक या किसी कैलेंडर वर्ष में कुल तीस (30) दिनों से अधिक अवधि तक, किसी कार्य या चूक के कारण, परिचालन करना बंद कर देता है;

(घ) यदि एचआईएएल से इस समझौते के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य कोई राशि भारत सरकार या उसकी ओर से किए गए अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है;

(ङ) एचआईएएल के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश पारित होना या कोई संकल्प पारित होना, जिसे यदि संभव हो तो उसके बाद एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर समाप्त या, जैसा भी मामला हो, निरस्त नहीं किया गया हो;

(च) यदि अनुच्छेद 6.1.1 (घ), (ङ) या (च) के अंतर्गत एचआईएएल द्वारा दिया गया कोई महत्वपूर्ण अभ्यावेदन या वारंटी गलत है और ऐसी घटना की सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर उसका उपचार नहीं किया जाता है; और

(छ) अनुच्छेद 9.2.7 के अनुसार सहमत मानकों को प्राप्त करने में एचआईएएल की विफलता।

बशर्ते कि उपर्युक्त पैरा (क) से (ग) और (छ) में उल्लिखित घटनाएँ एचआईएएल चूक की घटना नहीं मानी जाएँगी यदि वे अनुच्छेद 7.5 के परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी घटना का परिणाम और/या परिणामस्वरूप हुई हों, सिवाय उक्त परंतुक के पैराग्राफ 7.5.4 और 7.5.5 में उल्लिखित घटनाओं के।

13.3.2 भारत सरकार की चूक की घटनाएँ

निम्नलिखित प्रत्येक घटना "भारत सरकार की चूक की घटना" मानी जाएगी:

(क) इस अनुच्छेद 13.3.2 में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, यदि भारत सरकार इस समझौते की शर्तों का इस सीमा तक उल्लंघन करती है जिसका एचआईएएल के अधिकारों या दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि उपचार संभव है तो एचआईएएल द्वारा भारत सरकार को ऐसा उल्लंघन होने की सूचना देने की तारीख से एक सौ बीस (120) लगातार दिनों के भीतर उसका उपचार नहीं किया गया है;

(ख) यदि भारत सरकार से इस समझौते के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य कोई राशि एचआईएएल या उसकी ओर से किए गए अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती है;

(ग) यदि अनुच्छेद 6.1.1 (घ), (ङ) या (च) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई महत्वपूर्ण अभ्यावेदन या वारंटी गलत है और ऐसी घटना की सूचना प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर उसका उपचार नहीं किया जाता है;

(घ) अनुच्छेद 15.4 और 15.5 में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने के बाद, यदि अनुच्छेद 15.4 और 15.5 के अनुसार एचआईएल के क्षतिपूर्ति संबंधी कुल बकाया दावे अनुच्छेद 15.6 में निर्धारित अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि से अधिक हो जाते हैं। इस पैराग्राफ (घ) के प्रयोजन के लिए एचआईएल के कुल बकाया दावों में वे दावे शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में एचआईएल को अनुच्छेद 15.4 और 15.5 के अनुसार पूर्ण क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है।

अनुच्छेद 15.4 और 15.5 में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने के बाद भारत सरकार को उन अनुच्छेदों के अंतर्गत एचआईएल को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के स्थान पर किसी भी समय इस अनुच्छेद 13.3.2 के अनुसार समझौते की समाप्ति का अनुरोध करने का अधिकार होगा;

(ङ) यदि सीएनएस/एटीएम समझौता भारत सरकार के निर्देश पर समाप्त कर दिया जाता है।

13.4 चूक के परिणाम

13.4.1

एचआईएल चूक की घटना घटित होने की स्थिति में भारत सरकार को एचआईएल को सूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है और, यदि उसका उपचार संभव है, तो उचित अवधि में, जो एक सौ बीस (120) दिनों से कम नहीं होगी, उसका उपचार करने की अपेक्षा करने का अधिकार होगा। यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद भी उल्लंघन का उपचार नहीं किया गया है, तो भारत सरकार या उसके द्वारा नामित कोई संस्था एचआईएल को इस समझौते को समाप्त करने की सूचना जारी करने की हकदार होगी, लेकिन ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि भारत सरकार समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करती है, तो वह एचआईएल के हवाईअड्डे से संबंधित सभी अधिकार, स्वामित्व और हित तथा किसी भी गैर-हवाईअड्डा गतिविधि में, जिसे भारत सरकार अनुच्छेद 13.5.2 के अनुसार अपने अधिकार में लेने का विकल्प चुनती है, अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से, समाप्ति की सूचना जारी किए जाने के 180 दिनों के भीतर और किसी भी स्थिति में उससे अधिक नहीं, समाप्ति राशि के बराबर राशि के भुगतान पर प्राप्त करेगी। “**समाप्ति राशि**” का अर्थ ऋण की एक सौ प्रतिशत (100%) राशि तथा ऐसी किसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधि में एचआईएल के निवेश का मूल्य होगा जिसे भारत सरकार अनुच्छेद 13.5.2 के अनुसार अपने अधिकार में लेने का विकल्प चुनती है, जिसमें से एचआईएल द्वारा प्राप्त या एचआईएल को देय और भुगतान की गई किसी भी बीमा राशि को घटाया जाएगा, जो उस एचआईएल चूक की घटना के घटित होने के बाद किए गए दावों के संबंध में हो जिसके कारण इस अनुच्छेद 13.4.1 के अंतर्गत समाप्ति हुई। संदेह से बचने के लिए, एचआईएल की चूक की घटनाओं के कारण इस समझौते की समाप्ति के फलस्वरूप हवाईअड्डे के अंतरण के लिए, जहाँ लागू हो, अंतरण लागत और कर एचआईएल द्वारा वहन किए जाएंगे।

13.4.2

भारत सरकार की चूक की घटना की स्थिति में एचआईएल को भारत सरकार को सूचित करने का अधिकार होगा कि ऐसी घटना घटित हुई है और, यदि उसका उपचार संभव है, तो उचित अवधि में, जो एक सौ बीस (120) दिनों से कम नहीं होगी, उसका उपचार करने की अपेक्षा करने का अधिकार

होगा। यदि ऐसी सूचना में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद भी भारत सरकार की चूक की घटना उत्पन्न करने वाली घटना का उपचार नहीं किया गया है, तो एचआईएएल को भारत सरकार को इस समझौते को समाप्त करने की सूचना जारी करने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा। यदि एचआईएएल समाप्ति के ऐसे अधिकार का प्रयोग करता है, तो भारत सरकार अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से, अनुच्छेद 13.5.2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के लिए चुनी गई किसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधि सहित, हवाईअड्डे से संबंधित एचआईएएल के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त करेगी, जिसके लिए समाप्ति सूचना जारी किए जाने के 180 दिनों के भीतर, जो भी अधिक हो, निम्नलिखित में से अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा: (i) निपटान राशि; या (ii) ऋण की एक सौ प्रतिशत (100%) राशि, जिसमें से भारत सरकार की चूक की घटना के घटित होने के बाद किए गए दावों के संबंध में एचआईएएल द्वारा प्राप्त या एचआईएएल को देय और भुगतान की गई किसी भी बीमा राशि को घटाया जाएगा, तथा जहाँ लागू हो, अंतरण लागत और कर जोड़े जाएंगे।

13.5 हवाईअड्डे का अंतरण

13.5.1

भारत सरकार या एचआईएएल द्वारा इस समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत समाप्ति के अधिकार का प्रयोग किए जाने पर और एचआईएएल के क्षतिपूर्ति संबंधी किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एचआईएएल की हवाईअड्डा गतिविधियों से संबंधित सभी परिसंपत्तियाँ भुगतान लंबित रहने तक अंतरण तिथि पर भारत सरकार या उसके नामित व्यक्ति को तथा इसके बाद अनुच्छेद 13.5.2 के अधीन गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ, किसी भी प्रतिभूति से मुक्त तथा किसी भार और देयता के बिना, अनुच्छेद 13.5.3 में उपबंधित रूप में अंतरित की जाएंगी।

संदेह से बचने के लिए, इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(क) एचआईएएल की सभी अचल, चल और अमूर्त संपत्तियाँ, जिनमें बौद्धिक संपदा, योजनाएँ, डिजाइन और चित्र, स्टॉक, सामग्री, वाहन और स्पेयर शामिल हैं;

(ख) एचआईएएल और किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक के बीच इस समझौते के उपबंधों के अनुसार किए गए सभी अनुबंधों और अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत या उनके अनुसार अधिकार और दायित्व, ऐसे अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अंतर्गत दायित्वों को भारत सरकार द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रतिफल में; और

(ग) एचआईएएल द्वारा किए गए अन्य सभी अनुबंधों के अंतर्गत या उनके अनुसार अधिकार और दायित्व, जिनमें बीमा अनुबंध, गारंटी और वारंटी भी शामिल हैं, ऐसे अनुबंधों के अंतर्गत दायित्वों को भारत सरकार द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रतिफल में।

इस अनुच्छेद के उपबंधों के बावजूद, अनुच्छेद 13.4.1 और 13.4.2 के अंतर्गत परिकल्पित भुगतान, जैसा भी मामला हो, संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत समाप्ति सूचना जारी किए जाने के 180 दिनों के भीतर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

13.5.2

अनुच्छेद 13.5.1 में निहित किसी बात के बावजूद, हवाईअड्डे के किसी अंतरण से पहले भारत सरकार को गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों से संबंधित अनुबंधों और समझौतों की उचित जाँच करने का अधिकार होगा, जिनके अधिकार और दायित्व वह ग्रहण कर रही है, और वह ऐसे अनुबंधों के अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगी जो भारत सरकार की एकमात्र राय में अनुचित रूप से बोज़िल हैं और जिस समय ऐसे अनुबंध किए गए थे उस समय भी बोज़िल माने जाते। भारत सरकार उचित जाँच करेगी और भारत सरकार या एचआईएएल द्वारा अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत समाप्ति के अधिकार का प्रयोग किए जाने के बाद एचआईएएल द्वारा इस प्रयोजन के लिए डेटा रूम खोले जाने से 45 दिनों के भीतर उन अनुबंधों और समझौतों की पहचान करेगी जिन्हें वह ग्रहण करने के लिए तैयार है। संदेह से बचने के लिए, जहाँ तक भारत सरकार गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों को अपने अधिकार में लेने का विकल्प चुनती है, समाप्ति राशि या निपटान राशि की गणना में ऐसी गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के निवेश, राशियाँ या लागत शामिल होंगी।

13.5.3

इस अनुच्छेद 13.5 में सहमत व्यवस्था के अलावा, अंतरण तिथि से पहले किए गए कार्यों या चूकों के कारण एचआईएएल या हवाईअड्डे से उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता (उत्पन्न या आकस्मिक) भारत सरकार या उसके नामित व्यक्ति को ग्रहण या अंतरित नहीं की जाएगी। भारत सरकार या उसके नामित व्यक्ति केवल हवाईअड्डे या उन गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों से संबंधित देयताओं के लिए उत्तरदायी होंगे जिन्हें भारत सरकार अनुच्छेद 13.5.2 के अनुसार अपने अधिकार में लेने का विकल्प चुनती है और जो अंतरण तिथि के बाद उत्पन्न हों।

13.5.4

भारत सरकार की चूक की घटना के कारण होने वाली सीमा को छोड़कर, एचआईएएल सुस्थापित उद्योग व्यवहार के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 13.5.1 में उल्लिखित सभी संपत्ति, परिसंपत्तियाँ, अधिकार और अन्य मदें जो भारत सरकार में निहित या उसे अंतरित की गई हैं, अच्छी कार्यशील स्थिति और अच्छी मरम्मत की स्थिति में हों तथा हवाईअड्डा एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में अच्छी परिचालन स्थिति में भारत सरकार को अंतरित किया जाए। हालाँकि, यह उपबंध तब संतुष्ट माना जाएगा जब एचआईएएल उस समय अपने अनुरक्षण संबंधी दायित्वों का पालन कर रहा हो।

13.6 समाप्ति-पूर्व दायित्व

इस समझौते की समाप्ति या अंतरण से भारत सरकार और/या एचआईएएल के उन सभी अधिकारों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस समय तक उत्पन्न हो चुके हैं या जो बाद में ऐसी समाप्ति या अंतरण से पहले किए गए किसी कार्य या चूक के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार, उन उपबंधों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो स्पष्ट रूप से निरंतर दायित्वों के लिए उपबंध करते हैं या ऐसी समाप्ति या अंतरण अथवा उसके परिणामों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं।

13.7 अवधि

13.7.1

जब तक अनुच्छेद 4.3.1, अनुच्छेद 13.4 के अनुसार या पक्षकारों के बीच लिखित पारस्परिक समझौते द्वारा पहले समाप्त न किया जाए, यह समझौता अनुच्छेद 4 के अनुसार प्रारंभ होने से हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ तक पूर्ण प्रभाव और बल में रहेगा। इसके पश्चात् एचआईएएल के विकल्प पर इसकी अवधि अगले तीस (30) वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी, बशर्ते कि इस समझौते के निम्नलिखित अनुच्छेद हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ से आगे प्रभावी और लागू नहीं होंगे: 5.1.2 (भारत सरकार के दायित्व), 5.5 (मौजूदा हवाईअड्डा), 7.7 (कमीशनिंग), 8.17.2 (न्यूनतम व्यवधान), 10.2 (हवाईअड्डा शुल्क), और 15.5 (कानून में परिवर्तन)। एचआईएएल हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की सत्ताईसवीं (27वीं) वर्षगांठ से पहले किसी भी समय इस रियायत समझौते की अवधि को अगले तीस (30) वर्षों के लिए बढ़ाने के उपर्युक्त विकल्प का प्रयोग कर सकता है। यदि एचआईएएल इस रियायत समझौते की अवधि बढ़ाने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो रियायत समझौता हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की तीसवीं (30वीं) वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भारत सरकार या उसका नामित व्यक्ति अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से हवाईअड्डे से संबंधित एचआईएएल के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त करेगा तथा अंतरण तिथि पर एचआईएएल को निम्नलिखित (क) और (ख) के कुल योग का भुगतान करेगा:

(क) निम्नलिखित में से सबसे कम:

- (i) इक्विटी के अंकित मूल्य का एक सौ प्रतिशत (100%); या
- (ii) अंतरण तिथि पर एचआईएएल की अभिदत्त और चुकता इक्विटी का 100%; या
- (iii) कंपनी की निवल संपत्ति;

(ख) ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%);

जिसमें से एचआईएएल, प्रायोजक और ऋणदाताओं द्वारा हवाईअड्डे के संबंध में अवधि समाप्त होने से पहले किए गए दावों के संबंध में प्राप्त किसी भी बीमा दावे की राशि, जिसमें राजनीतिक जोखिम बीमा भी शामिल है, घटाई जाएगी।

13.7.2

अनुच्छेद 13.7.1 के अंतर्गत इस समझौते की अवधि बढ़ाए जाने की स्थिति में, पक्षकार हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की पचपनवीं (55वीं) वर्षगांठ की समाप्ति से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों और शर्तों पर इस समझौते की अवधि बढ़ाने के लिए बातचीत प्रारंभ करेंगे। यदि पक्षकार हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की सत्तावनवीं (57वीं) वर्षगांठ की समाप्ति तक हवाईअड्डे की अवधि बढ़ाने के संशोधित नियमों और शर्तों पर सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो नीचे अनुच्छेद 13.7.3 में उपबंधित के सिवाय, समझौता हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की साठवीं (60वीं) वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और भारत सरकार या उसका नामित व्यक्ति अनुच्छेद 13.5 में निर्धारित तरीके से हवाईअड्डे से संबंधित एचआईएएल के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त करेगा तथा अंतरण तिथि पर एचआईएएल को ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%) भुगतान करेगा, जिसमें से अवधि समाप्त होने के बाद एचआईएएल, प्रायोजक और ऋणदाताओं द्वारा प्राप्त किसी भी बीमा दावे की राशि, यदि कोई हो, घटाई जाएगी, जो अवधि समाप्त होने से पहले हवाईअड्डे के संबंध में किए गए दावों से संबंधित हो।

13.7.3

यदि एचआईएएल और भारत सरकार हवाईअड्डा प्रारंभ तिथि की सत्तावनवीं (57वीं) वर्षगाँठ की समाप्ति तक इस समझौते के नवीनीकरण की शर्तों पर सहमत होने में असमर्थ रहते हैं, तो भारत सरकार तीसरे पक्षों के साथ चर्चा प्रारंभ करने की हकदार होगी, बशर्ते भारत सरकार किसी तीसरे पक्ष के साथ हवाईअड्डे के संबंध में एचआईएएल को प्रस्तावित शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर कोई रियायत समझौता नहीं करेगी।

13.8 समाप्ति के अन्य अधिकार

इस समझौते को समाप्त करने के पक्षकारों के अधिकार उन अधिकारों तक सीमित होंगे जो इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

13.9 प्रभावी बने रहना

अनुच्छेद 3.2, 16 और 18 इस समझौते की समाप्ति के बावजूद पक्षकारों पर बाध्यकारी बने रहेंगे।

13.10 निलंबन

भारत सरकार को पूर्व लिखित सूचना देने के अधीन, एचआईएएल अनुच्छेद 7.5 के परंतुक में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने पर हवाईअड्डे के निर्माण और/या परिचालन एवं अनुरक्षण को निलंबित करने का हकदार होगा।

14. अन्य प्रावधान

14.1 समनुदेशन और प्रतिभूति

14.1.1

इसमें उल्लिखित तारीख के बाद भारत के कानून में किसी भी ऐसे परिवर्तन के बावजूद जो अन्यथा इस समझौते के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष, अनुच्छेद 14.1.2 के अनुसार अनुमत के सिवाय, इस समझौते या इसके अंतर्गत या इसके अनुसार उत्पन्न किसी अधिकार या दायित्व अथवा इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं करेगा और न ही इस समझौते या इसके अंतर्गत या इसके अनुसार उत्पन्न किसी अधिकार या दायित्व अथवा इसमें किसी लाभ या हित पर कोई प्रतिभूति सृजित करेगा या अस्तित्व में रहने देगा।

14.1.2

ऋणदाताओं को प्रतिभूति प्रदान करने के प्रयोजन से, एचआईएएल इस समझौते के अंतर्गत अपने कुछ या सभी अधिकारों और दायित्वों का समनुदेशन और अंतरण कर सकता है, बशर्ते कि एचआईएएल पहले भारत सरकार को उन ऋणदाताओं की पहचान की सूचना देगा जिन्हें वह इस अनुच्छेद के अनुसार अपने अधिकारों और दायित्वों का समनुदेशन और अंतरण करना चाहता है। भारत सरकार युक्तिसंगत रूप से कार्य करते हुए, ऐसी सूचना के दस (10) दिनों की अवधि के भीतर एचआईएएल

को सूचित कर सकती है कि वह एचआईएएल द्वारा अधिसूचित एक या अधिक ऋणदाताओं को समनुदेशन या अंतरण किए जाने पर आपत्ति करती है, ऐसी स्थिति में एचआईएएल को उन ऋणदाताओं को अपने अधिकारों और दायित्वों का समनुदेशन और अंतरण करने की अनुमति नहीं होगी।

14.1.3

एचआईएएल यह वचन देता है कि वह उप-रियायत या अन्यथा के माध्यम से इस समझौते के अंतर्गत अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को प्रत्यायोजित नहीं करेगा; तथापि, एचआईएएल निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण तथा इस समझौते के अंतर्गत अपने कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त कर सकता है। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एचआईएएल द्वारा अपने कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति इस समझौते में परिकल्पित एचआईएएल के मूल दायित्वों से उसे मुक्त नहीं करेगी।

15. दायित्व और क्षतिपूर्ति

15.1 एचआईएएल का दायित्व

अनुच्छेद 15.2 और अनुच्छेद 13.3.2 के अधीन, एचआईएएल और भारत सरकार (तथा उनके संबंधित कर्मचारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं) के बीच, हवाईअड्डे या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोगकर्ता को हुई या वहन की गई किसी भी लागत, व्यय, हानि, देयता या क्षति के लिए, जो हवाईअड्डे और गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन से उत्पन्न होती है या उससे संबंधित है, एचआईएएल अकेले उत्तरदायी होगा, भारत सरकार (या उसके किसी संबंधित कर्मचारी, अभिकर्ता और/या सेवक) के विरुद्ध कोई दावा किए बिना, जहाँ तक ऐसी लागत, व्यय, हानि, देयता या क्षति एचआईएएल (तथा उसके कर्मचारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं) की लापरवाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

न तो भारत सरकार और न ही एचआईएएल इस रियायत समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी विशेष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

15.2 भारत सरकार का दायित्व

भारत सरकार और एचआईएएल एक-दूसरे को सूचना देने के लिए बाध्य होंगे, यदि इस रियायत समझौते से संबंधित उनके विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण में कोई कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

15.3 सूचना

भारत सरकार और एचआईएएल, जैसे ही यथोचित रूप से व्यावहारिक हो और किसी पक्ष को किसी मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही या प्रत्याशित मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही का पता चले, एक-दूसरे को ऐसी मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे, जिसके संबंध में दूसरा पक्ष, जैसा लागू हो, अनुच्छेद 15.1 या 15.2 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार है। वे ऐसी किसी मांग, दावे, कार्रवाई या कार्यवाही के बचाव में एक-दूसरे को उचित सहायता प्रदान करेंगे।

15.4 भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति

इस समझौते में उपबंधित के अधीन, अनुच्छेद 8.11 (स्लॉट), 8.16 (दिन और रात्रि के समय परिचालन) या 10 (शुल्क) के अंतर्गत किसी उल्लंघन या चूक की घटना होने पर भारत सरकार, एचआईएएल के लिखित अनुरोध पर, उपर्युक्त प्रत्येक घटना के परिणामों के विरुद्ध एचआईएएल को क्षतिपूर्ति करेगी और अनुच्छेद 15.6 के अधीन, भुगतान के ऐसे अनुरोध के तीस (30) दिनों के भीतर एचआईएएल को ऐसी राशि का भुगतान करेगी जो ऐसी घटना के परिणामस्वरूप एचआईएएल द्वारा सीधे वहन की गई हानि, लागत, व्यय, देयता या क्षति के बराबर हो, जिसमें संदेह से बचने के लिए निम्नलिखित शामिल होंगे:

15.4.1

ऐसी घटना के परिणामस्वरूप एचआईएएल द्वारा अपने किसी ठेकेदार या सेवा प्रदाता अधिकार धारक को भुगतान की गई या देय सभी राशियाँ;

15.4.2

ऐसी घटना के परिणामस्वरूप एचआईएएल द्वारा उधार लिए गए धन के संबंध में ऋणदाताओं को देय सभी अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और अन्य राशियाँ; और

15.4.3

ऐसी घटना के परिणामस्वरूप देय या भुगतान किए गए सभी अतिरिक्त ओवरहेड तथा परिचालन लागत और व्यय।

बशर्ते कि भारत सरकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत एचआईएएल को देय भुगतानों में से ऐसी राशियों का समायोजन कर सकती है जो भारत सरकार के प्रति ऐसी किसी देयता का गठन करती हैं जिसे एचआईएएल ने पहले स्वीकार किया है।

आगे यह भी उपबंधित है कि एचआईएएल ऊपर उल्लिखित ऐसी घटना के घटित होने के बारे में, जिसके लिए वह क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहता है, ऐसी घटना की जानकारी होने के दस (10) दिनों के भीतर भारत सरकार को सूचित करेगा।

15.5 कानून में परिवर्तन

यदि कानून में परिवर्तन के परिणामस्वरूप एचआईएएल को हवाईअड्डे के विकास या परिचालन के संबंध में लागत में वृद्धि या कर-पश्चात निवल प्रतिफल में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, देयता या क्षति होती है और जिसका कुल वित्तीय प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष में दस मिलियन रुपये (10,000,000) से अधिक है, तो एचआईएएल भारत सरकार को सूचित कर सकता है और इस समझौते में ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव कर सकता है जिससे एचआईएएल को वही वित्तीय स्थिति प्राप्त हो सके जिसमें वह रहता यदि ऐसा कानून में परिवर्तन न हुआ होता, जिसके परिणामस्वरूप उक्त लागत वृद्धि, प्रतिफल में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, देयता या क्षति हुई। एचआईएएल द्वारा उपर्युक्त सूचना दिए जाने पर पक्षकार यथाशीघ्र व्यावहारिक रूप से, लेकिन एचआईएएल से सूचना प्राप्त होने के 30

(तीस) दिनों से बाद नहीं, बैठक करेंगे और या तो इस समझौते में संशोधन पर या उपर्युक्त को लागू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सहमत होंगे।

बशर्ते कि यदि इस अनुच्छेद के अनुसार बैठक के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर पक्षकारों के बीच कोई सहमति नहीं होती है, तो एचआईएल लिखित सूचना द्वारा भारत सरकार से ऐसी राशि का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकता है जिससे एचआईएल को वही वित्तीय स्थिति प्राप्त हो सके जिसमें वह रहता यदि ऐसा कानून में परिवर्तन न हुआ होता, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी लागत वृद्धि, प्रतिफल में कमी या अन्य वित्तीय भार, हानि, देयता या क्षति हुई। ऐसी सूचना के साथ एचआईएल द्वारा भारत सरकार को ऐसे सहायक दस्तावेज और प्रमाण उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे ऐसे दावे का मूल्यांकन किया जा सके। भारत सरकार ऐसी सूचना और प्रमाण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी। यदि भारत सरकार एचआईएल के ऐसे क्षतिपूर्ति दावे की राशि पर विवाद करती है, तो उसका अंतिम निपटारा इस समझौते में निहित विवाद समाधान तंत्र के अनुसार किया जाएगा।

15.6 अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि

इस समझौते की अवधि के दौरान अनुच्छेद 15.4 और 15.5 के अंतर्गत किसी भी और सभी दावों के संबंध में भारत सरकार की कुल देयता एक सौ (100) करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

15.7 दायित्व

पक्षकारों का आशय है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएँ इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का पूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लिखित उपचार तथा इसके अनुसार किए गए किसी दस्तावेज में उल्लिखित उपचार, इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित एक-दूसरे के प्रति पक्षकारों की देयताओं के लिए एकमात्र और अनन्य उपचार होंगे, जिसमें इससे संबंधित कोई अभ्यावेदन, वारंटी या वचनबद्धता भी शामिल है, भले ही कानून या साम्य में कोई अन्य उपचार उपलब्ध हो।

15.8 न्यूनीकरण

अनुच्छेद 15.5 के उपबंधों के बावजूद, एचआईएल प्रथम दृष्टया और लागू कानून के अनुसार, कानून में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, जिसमें, जहाँ व्यावहारिक हो, हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं पर लगाए जाने वाले शुल्क में वृद्धि करना भी शामिल है।

16. विवाद समाधान

16.1 बातचीत और सुलह

पक्षकार इस समझौते से उत्पन्न, उससे संबंधित या उसके संबंध में पक्षकारों के बीच किसी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने सभी उचित प्रयास करेंगे।

16.2 मध्यस्थ को संदर्भ

विवादों के निपटान के संबंध में संबंधित स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के विधान में निहित किसी बात के अधीन, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार अनुच्छेद 16.1 के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित सूचना दिए जाने के साठ (60) दिनों के भीतर (या पक्षकारों द्वारा सहमत किसी लंबी अवधि में) हल करने में असमर्थ रहते हैं, उसका अंतिम निर्धारण भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 तथा यूएनसीआईटीआरएल नियमों ("नियम") के अनुसार तीन मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और नियमों के बीच किसी विरोध की स्थिति में, पूर्व के उपबंध प्रभावी होंगे।

पक्षकार सहमत हैं कि अनुच्छेद 10 (शुल्क) के उल्लंघन के संबंध में अनुच्छेद 15.4 के अनुसार भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण केवल इस अनुच्छेद 16.2 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा और उसे IRA के पास संदर्भित नहीं किया जाएगा।

16.3 विविध

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम देयता मध्यस्थता अधिनिर्णय के अनुसार होगी। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या अभिकर्ता, परामर्शदाता या विधिक सलाहकार नहीं होगा और न ही किसी पक्ष से किसी भी प्रकार से संबंधित या निकटता से जुड़ा होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

16.4 निर्णय/अधिनिर्णय

इस अनुच्छेद 16 के अनुसार नियुक्त मध्यस्थ अधिकरण का कोई भी निर्णय या अधिनिर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्षकार सहमत हैं कि किए गए किसी भी मध्यस्थता अधिनिर्णय को पक्षकार संबंधित पक्ष की परिसंपत्तियों के विरुद्ध लागू कर सकते हैं, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जो अनुच्छेद 18.13 के अपवाद में उल्लिखित भारत सरकार से संबंधित हैं, चाहे ऐसी परिसंपत्तियाँ कहीं भी स्थित हों या पाई जाएँ। किसी मध्यस्थता अधिनिर्णय पर निर्णय, जहाँ आवश्यक हो, किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। पक्षकार किसी भी ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी मध्यस्थता अधिनिर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं।

16.5

उपर्युक्त के बावजूद, अनुच्छेद 3.3 के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी विवाद की स्थिति में पक्षकार ऐसे विवाद को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने-अपने सभी उचित प्रयास करेंगे। यदि पक्षकार बातचीत के बाद ऐसे विवाद को हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो वे एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करेंगे, जिसकी पहचान पर पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत होंगे और जो सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेगा। यदि ऐसा स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए जाने के दो (2) महीनों के भीतर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ रहता है, तो विवाद का समाधान अनुच्छेद 16.2, 16.3 और 16.4 के अनुसार किया जाएगा।

17. जन शिकायतों का निवारण

17.1 शिकायत रजिस्टर

17.1.1

एचआईएएल हवाईअड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा, जहाँ वह एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") रखेगा, जो किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय उपलब्ध रहेगा।

शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद एचआईएएल शिकायतकर्ता को एक रसीद देगा, जिसमें तारीख और शिकायत संख्या अंकित होगी।

17.1.2

शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ होगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ को विधिवत क्रमांकित किया जाएगा। इसमें शिकायत संख्या, तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार तथा एचआईएएल द्वारा की गई कार्रवाई सहित उचित कॉलम होंगे। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित सूचना एचआईएएल द्वारा हवाईअड्डे पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

17.2 शिकायतों का निवारण

अनुच्छेद 17.3 के अधीन, एचआईएएल प्रत्येक दिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा।

की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में दर्ज किया जाएगा और उसके विवरण वाला उत्तर एचआईएएल द्वारा शिकायतकर्ता को डाक प्रमाणपत्र के अंतर्गत या प्रसारण की पुष्टि सहित फैक्स द्वारा भेजा जाएगा।

17.3 आरक्षित गतिविधियाँ

जहाँ तक किसी शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतें आरक्षित गतिविधियों के निष्पादन या अन्यथा से संबंधित हैं, एचआईएएल संबंधित प्राधिकरण को सूचित करेगा, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा।

की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में दर्ज किया जाएगा और उसके विवरण वाला उत्तर संबंधित प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को डाक प्रमाणपत्र के अंतर्गत या फैक्स द्वारा भेजा जाएगा।

18. विविध

18.1 उपचार, छूट, संशोधन और सहमतियाँ

भारत सरकार या एचआईएएल की ओर से इस समझौते के अंतर्गत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में कोई विफलता या उसके प्रयोग में कोई विलंब ऐसी छूट के रूप में कार्य नहीं करेगा और किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का एकल या आंशिक प्रयोग किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

18.2 संशोधन, छूट और सहमतियाँ

18.2.1 संशोधन

(क) इस समझौते के किसी भी उपबंध में केवल पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते के माध्यम से संशोधन, अनुपूरण या परिवर्तन किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार या एचआईएएल किसी भी समय दूसरे पक्ष से इस समझौते के किसी भाग के संचालन की समीक्षा करने के लिए चर्चा में प्रवेश करने का अनुरोध कर सकता है और, किसी भी पक्ष की प्रतिबद्धता के बिना, यह निर्धारित कर सकता है कि क्या पारस्परिक समझौते से इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, बशर्ते कि जब तक ऐसा पारस्परिक समझौता न हो, इस समझौते के उपबंध, जैसा कि उस समय सबसे हाल में संशोधित किए गए हों, चर्चा या समीक्षा के परिणाम की परवाह किए बिना तथा ऐसी चर्चा या समीक्षा हुई हो या नहीं, लागू होते रहेंगे।

(ग) इस समझौते के किसी अन्य उपबंध की शर्तों के बावजूद, यदि इस समझौते के किसी उपबंध में किसी संशोधन, अनुपूरण या परिवर्तन के लिए कानून के अनुसार अनुमोदन आवश्यक है, तो इसे इस समझौते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

18.2.2 छूट और सहमतियाँ

(क) इस समझौते का कोई भी उपबंध या उसके किसी उपबंध का उल्लंघन होने से पहले या बाद में तभी माफ किया जा सकता है जब पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते द्वारा इसका प्रमाण हो।

(ख) इस समझौते के किसी उपबंध के अंतर्गत या उसके अनुसार कोई भी सहमति लिखित रूप में तथा उस घटना, कार्रवाई या चूक से पहले दी जानी चाहिए जिसके लिए ऐसी सहमति मांगी गई है।

(ग) ऐसी कोई भी छूट या सहमति देने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा उचित समझी गई किसी भी शर्त के अधीन दी जा सकती है और केवल उस मामले तथा उस प्रयोजन के लिए प्रभावी होगी जिसके लिए वह दी गई है।

18.2.3 एचआईएएल की सूचीबद्धता पर संशोधन

(क) एचआईएएल इस समझौते की अवधि के दौरान उपयुक्त चरण पर IPO की संभावना पर विचार कर सकता है।

(ख) ऐसे किसी IPO से पहले, पक्षकार संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित इस समझौते में किसी भी आवश्यक संशोधन पर सहमत होंगे और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रासंगिक सूचना को सार्वजनिक करेंगे।

18.3 संपूर्ण समझौता

यह समझौता तथा इसके अनुसार किए जाने वाले दस्तावेज इस समझौते के विषय-वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौता गठित करते हैं और ऐसी विषय-वस्तु के संबंध में उनके बीच किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक समझौते का स्थान लेते हैं।

18.4 आगे का आश्वासन

18.4.1 आगे का आश्वासन

प्रत्येक पक्ष ऐसे दस्तावेज निष्पादित करेगा और ऐसे कार्य एवं चीजें करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा कि कोई संबंधित तीसरा पक्ष भी ऐसे दस्तावेज निष्पादित करे और ऐसे कार्य एवं चीजें करे, जिनकी अनुरोध करने वाला पक्ष इस समझौते के सभी उपबंधों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से यथोचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

बशर्ते कि इससे अनुरोधित पक्ष को कोई नुकसान न हो तथा लागत और जोखिम अनुरोध करने वाले पक्ष द्वारा वहन किए जाएँ।

18.4.2 प्रत्यक्ष समझौता

भारत सरकार, ऋणदाताओं के अनुरोध पर, ऋणदाताओं के साथ अनुसूची 5 में संलग्न प्रारूप के अनुरूप एक प्रत्यक्ष समझौता करेगी, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार इस समझौते के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के किसी भी आशय की पूर्व सूचना देने, एचआईएल की ओर से किसी चूक का उपचार करने के लिए ऐसे ऋणदाताओं को अधिकार देने और/या कुछ परिस्थितियों में ऐसे ऋणदाताओं को स्वयं को प्रतिस्थापित करने या आवश्यक पात्रता और भारत सरकार की पूर्व सहमति के साथ किसी तीसरे पक्ष को प्रतिस्थापित व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए सहमत होगी, ताकि इस समझौते के अंतर्गत एचआईएल के दायित्वों का निर्वहन और उसके लाभों का उपभोग किया जा सके।

18.5 आंशिक अमान्यता

18.5.1

यदि किसी समय इस समझौते का कोई उपबंध किसी क्षेत्राधिकार के किसी कानून के अंतर्गत किसी भी दृष्टि से अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है, तो शेष उपबंधों की वैधता, वैधता-प्रभावशीलता या प्रवर्तनीयता अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून के अंतर्गत ऐसे उपबंध की वैधता, वैधता-प्रभावशीलता या प्रवर्तनीयता किसी भी प्रकार प्रभावित या कमजोर नहीं होगी और इस समझौते के शेष भाग की वैधता, वैधता-प्रभावशीलता तथा प्रवर्तनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18.5.2

पक्षकार सद्भावना से बातचीत करेंगे ताकि ऐसे एक या अधिक उपबंधों पर सहमति हो सके जो ऐसे किसी अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय उपबंध के स्थान पर रखे जा सकें और जो भारत सरकार तथा एचआईएल के लिए संतोषजनक हों तथा सभी परिस्थितियों में पक्षकारों के वाणिज्यिक हितों का उचित संतुलन यथासंभव उत्पन्न करें।

18.6 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह भाग है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा अपने संबंधित दायित्वों का निष्पादन, पक्षकारों के बीच साझेदारी गठित करेगा। कोई भी पक्ष किसी अन्य पक्ष को उसके अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं रखेगा, जब तक कि इस समझौते या अन्यथा के द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से ऐसा अधिकार प्रदान न किया गया हो और उसे वापस न लिया गया हो।

18.7 समय का सारभूत महत्व

समय इस समझौते का सारभूत तत्व होगा, चाहे वह उल्लिखित तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो अथवा उन तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में जिन्हें इस समझौते के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

18.8 समय की गणना

इस समझौते में उल्लिखित समय भारत के हैदराबाद के समय के अनुसार होंगे। इस समझौते के अंतर्गत निर्धारित या अनुमत किसी अवधि की गणना में उस कार्य, घटना या चूक का दिन शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समयावधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कारोबारी दिन नहीं है, तो अवधि अगले कारोबारी दिन की समाप्ति तक जारी रहेगी।

18.9 सूचनाएँ

18.9.1 लिखित रूप में संचार

इस समझौते के अंतर्गत या इसके संबंध में किया जाने वाला कोई भी संचार लिखित रूप में किया जाएगा और, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, फैक्स या पंजीकृत पत्र द्वारा किया जा सकता है।

18.9.2 पते

इस समझौते के अंतर्गत या इसके संबंध में किए या दिए जाने वाले किसी भी सूचना या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का पता और फैक्स नंबर तथा, यदि कोई हो, वह विभाग या अधिकारी जिसके ध्यानार्थ संचार किया जाना है, निम्नलिखित है:

भारत सरकार:

नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली - 110003

फैक्स: 011-24602397
ध्यानार्थ: सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

एचआईएल:

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
6-3-866/1/G2, ग्रीनलैंड्स
बेगमपेट
हैदराबाद - 560 016
भारत
फैक्स: 040 55624443
ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक

या ऐसा कोई प्रतिस्थापित पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जिसे कोई पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम पाँच (5) कारोबारी दिनों की सूचना देकर सूचित कर सकता है।

18.10 मानी गई सुपुर्दगी

इस समझौते में अन्यथा उपबंधित के अधीन, इस समझौते के अंतर्गत या इसके अनुसार किया गया कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा:

यदि फैक्स द्वारा प्रसारण की पुष्टि सहित भेजा गया है, तो उस स्थान पर अगले कार्य दिवस को जहाँ उसे भेजा गया है; या

किसी अन्य स्थिति में, जब उसे अनुच्छेद 18.9.2 में अपेक्षित पते पर छोड़ा जाता है या पंजीकृत डाक द्वारा (किसी अन्य देश को भेजे जाने पर हवाई डाक द्वारा), डाक-शुल्क पूर्व भुगतान करके और उस पते पर संबोधित करके भेजे जाने के दस (10) ऐसे कार्य दिवसों के भीतर।

इन प्रयोजनों के लिए कार्य दिवसों में शनिवार, रविवार और बैंक अवकाश शामिल नहीं होंगे।

18.11 शासी भाषा

इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा होगी।

किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस तथा इस समझौते से किसी भी प्रकार से संबंधित सभी अन्य संचार और दस्तावेज, जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से संबंधित हैं, जिसमें विवाद समाधान की कार्यवाहियाँ भी शामिल हैं, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

18.12 शासी कानून

यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार इसकी व्याख्या की जाएगी।

18.13 संप्रभु उन्मुक्ति

भारत सरकार बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

18.13.1

सहमत होती है कि उसके द्वारा इस समझौते तथा उन समझौतों और अन्य दस्तावेजों का निष्पादन, सुपुर्दगी और कार्यान्वयन, जो प्रतिभूति का गठन करते हैं और जिनकी वह पक्षकार है, सार्वजनिक या सरकारी कार्यों के बजाय निजी और वाणिज्यिक कार्य हैं;

18.13.2

सहमत होती है कि यदि इस समझौते या इस समझौते में परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में उसके या उसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, तो वह स्वयं या उसकी ओर से अथवा उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई संप्रभु उन्मुक्ति का दावा नहीं करेगी।

इस अनुच्छेद 18.13 के प्रयोजनों के लिए "परिसंपत्तियों" में 1961 में हस्ताक्षरित राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन में परिभाषित वर्तमान या भावी "मिशन के परिसर", 1963 में हस्ताक्षरित कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन में परिभाषित "कांसुलर परिसर" तथा भारत सरकार की सैन्य संपत्ति या सैन्य परिसंपत्तियाँ या उनसे संबंधित संपत्ति या परिसंपत्तियाँ, भारत के संवैधानिक प्राधिकारियों के परिसर और कार्यालय तथा राष्ट्रीय धरोहरें शामिल नहीं होंगी।

18.14 चूक पर ब्याज

इस समझौते की शर्तों के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि, यदि उसकी देय तिथि पर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेंडिंग रेट से दो प्रतिशत (2%) अधिक की दर से ब्याज लगेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, भारत सरकार और एचआईएएल ने ऊपर उल्लिखित तारीख को अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अजय प्रसाद

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
भारत सरकार

साक्षी की उपस्थिति में:

साक्षी के हस्ताक्षर

डॉ. नसीम जैदी

संयुक्त सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

भारत सरकार

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित

अध्यक्ष के नाम और हस्ताक्षर

जी.एम. राव

अध्यक्ष

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

साक्षी के हस्ताक्षर

बिनाय कुमार

सचिव, टीआरएण्डबी विभाग

आंध्र प्रदेश सरकार एवं

निदेशक, एचआईएएल

तान श्री दातुक डॉ. अरिस बिन ओथमान

अध्यक्ष

मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स बरहाद (MAHB)

साक्षी के हस्ताक्षर

किरण कुमार ग्रैंडही

प्रबंध निदेशक

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

अनुसूची 1: अनुमतियाँ
भारत सरकार द्वारा परियोजना अनुमतियाँ
अपेक्षित अनुमति

क्र. सं.

- 1 **भारत सरकार**
 - 1.1 परियोजना के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति
 - 1.2 AAI अधिनियम में संशोधन
- 2 **नागर विमानन मंत्रालय**
 - 2.1 नए हवाईअड्डे की स्थापना के लिए अनुमति
 - 2.2 विमान नियम, 1937 में संशोधन
- 3 **नागर विमानन महानिदेशालय**
 - 3.1 स्थल के लिए अंतिम स्वीकृति
 - 3.2 नए हवाईअड्डे के परिचालन के लिए लाइसेंस
- 4 **रक्षा मंत्रालय**
 - 4.1 एकीकृत हवाई क्षेत्र प्रबंधन पर समझौता
 - 4.2 नए हवाईअड्डे की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र
- 5 **पर्यावरण और वन मंत्रालय**
 - 5.1 पर्यावरणीय स्वीकृति
 - 5.2 गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति
- 6 **विस्फोटक विभाग**
 - 6.1 विमानन ईंधन डिपो के स्थान के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र
- 7 **वित्त मंत्रालय**
 - 7.1 राजपत्र में हवाईअड्डे को "सीमा शुल्क हवाईअड्डा" घोषित करने की अधिसूचना

अनुसूची 2: हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण

1. स्थान

प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए साइट आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में शमशाबाद के निकट, बेगमपेट स्थित वर्तमान हैदराबाद हवाईअड्डे से लगभग 20 किमी दक्षिण में स्थित है। अक्षांश 17° 14' और देशांतर 78° 26' का प्रतिच्छेदन प्रस्तावित साइट के भीतर आता है।

प्रस्तावित साइट लगभग 5400 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और इसका अधिक विस्तृत विवरण भूमि पट्टा समझौते में दिया गया है। शहर से ऐसी निकटता के कारण यह स्थल प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए अनुकूल स्थान है।

2. मास्टर प्लान

मास्टर प्लान एचआईएएल द्वारा तैयार किए गए पूर्वानुमान का उपयोग करके विकसित किया गया है। मास्टर प्लान का प्रारंभिक चरण (जिसे 1ए नाम दिया गया है) प्रति वर्ष 5 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ परिचालन पर केंद्रित है। मास्टर प्लान में अंतिम विकास प्रति वर्ष 40 मिलियन यात्रियों की क्षमता के लिए है।

मास्टर प्लान का विकास यातायात की मांग के अनुरूप किए जाने की परिकल्पना की गई है।

मास्टर प्लान प्रारंभिक चरण में हवाई यातायात परिचालन से संबंधित निम्नलिखित सुविधाओं को शामिल करता है:

- रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और आइसोलेशन बे
- नौवहन सहायता
- यात्री टर्मिनल भवन
- एप्रन सहित कार्गो परिसर, जिसे सामान्य विमानन के फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों को भी समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है
- नियंत्रण टावर और तकनीकी भवन
- ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण और वाहनों के लिए अनुरक्षण कार्यशाला, सेवा भवन, जैसे डीजल जनरेटर सेट तथा खानपान गतिविधियों के लिए निर्धारित क्षेत्र
- ईंधन फार्म और ईंधन हाइड्रेंट प्रणाली
- हवाईअड्डा अग्नि, दुर्घटना और बचाव सेवा
- विमान हैंगर और अनुरक्षण सुविधाएँ
- सतही सड़क संपर्क
- नियोजित रेल संपर्क
- कार पार्किंग
- हवाईअड्डा होटल
- हज सुविधाएँ
- मलजल उपचार संयंत्र
- उपयोगिताएँ
- आवास

मास्टर प्लान वर्तमान आईसीएओ मानकों और अनुशंसाओं/आईएटीए दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। पर्यावरणीय विनियमों को भी ध्यान में रखा गया है।

टर्मिनलों और एयरसाइड से संबंधित भवनों को एप्रन के समानांतर रखा गया है तथा भवनों के समूहों के बीच पर्याप्त स्थान रखा गया है ताकि बाद के चरणों में पार्श्व विस्तार किया जा सके।

3. रनवे

प्रारंभिक चरण के लिए एकल रनवे प्रस्तावित है। रनवे को चौड़े आकार वाले विमानों के लिए डिजाइन किया गया है।

चरण 1ए में रनवे साइट के दक्षिणी भाग में स्थित है।

रनवे विनिर्देश की विशेषताएँ नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

- रनवे की लंबाई – 4260 मीटर
- रनवे की चौड़ाई – 45 मीटर
- रनवे तथा पक्के शोल्डर की कुल चौड़ाई – 60 मीटर
- पेवमेंट का प्रकार – लचीला
- रनवे स्ट्रिप की चौड़ाई – 300 मीटर
- रनवे अभिविन्यास – 09/27
- उपयोगिता कारक – >95%
- 09 और 27 छोरों पर टर्निंग सर्कल – हाँ

हवाईअड्डा साइट और लेआउट डिजाइन साइट के उत्तरी भाग में भविष्य में दूसरे समानांतर रनवे के निर्माण की अनुमति देता है। रनवे के बीच 2600 मीटर की पृथक्करण दूरी नियोजित है। यह दूरी आईसीएओ दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित स्वतंत्र रनवे परिचालन की अनुमति देती है तथा टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक विकास के लिए रनवे के बीच के क्षेत्र के सर्वोत्तम उपयोग की सुविधा प्रदान करती है।

4. टैक्सीवे

रनवे और एप्रन के बीच प्रस्तावित टैक्सीवे प्रणाली विमान को न्यूनतम विलंब के साथ चलने में सक्षम बनाएगी और रनवे को उसकी अधिकतम क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देगी। प्रारंभिक चरण में हवाईअड्डे की टैक्सीवे प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- समानांतर एकल टैक्सीवे
लंबाई: 2860 मीटर, चौड़ाई: 44 मीटर (23 मीटर पेवमेंट + 2 × 10.5 मीटर शोल्डर)

रनवे और समानांतर टैक्सीवे की केंद्र रेखाओं के बीच पृथक्करण दूरी: 225 मीटर

- रनवे प्रवेश/निकास टैक्सीवे
90 डिग्री कोणों पर 4 संख्या, 09R छोर (पश्चिम) से मापी गई निम्नलिखित दूरियों पर स्थित: 1010 मीटर, 2000 मीटर, 3220 मीटर और 3880 मीटर

- एप्रन टैक्सी लेन
कार्गो टर्मिनल, मुख्य यात्री टर्मिनल और विमान अनुरक्षण एप्रन पर प्रत्येक एक

समानांतर टैक्सीवे के अलावा टैक्सीवे विनिर्देश की सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- चौड़ाई – 23 मीटर
- टैक्सीवे तथा पक्के शोल्डर की चौड़ाई – 44 मीटर
- पेवमेंट का प्रकार – लचीला

5. एप्रन

एप्रन कठोर पेवमेंट के होंगे और उनका लेआउट अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एप्रन डिजाइन के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- रनवे तक/से टैक्सी करने की दूरी को न्यूनतम करना।
- एयरोब्रिज/कॉन्टैक्ट स्टैंड में प्रवेश और प्रस्थान करते समय विलंब से बचने के लिए पर्याप्त टैक्सी लेन उपलब्ध कराना।
- एयरसाइड सड़कों और उपकरण पार्किंग क्षेत्रों का प्रावधान करना ताकि विमानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सहायता पर्याप्त और प्रभावी हो।
- यह सुनिश्चित करना कि परिचालन सुरक्षित रूप से किया जा सके।

6. एयरसाइड सेवा सड़कें

विभिन्न टर्मिनलों और एप्रन तथा खानपान/अनुरक्षण केंद्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है। अन्य एयरसाइड सड़कें 2-लेन सड़कें हैं, जिनकी चौड़ाई 7.5 मीटर है। परिधि बाड़ निरीक्षण सड़क कच्ची होगी तथा नौवहन सहायता तक जाने वाली छोटी सड़कों को पक्का किया जाएगा और उनकी चौड़ाई 4-7 मीटर होगी।

7. मुख्य पहुँच सड़क

शमशाबाद में एनएच-7 से मुख्य यात्री टर्मिनल के चौराहे तक मुख्य पहुँच सड़क 2-लेन द्विमार्गीय सड़क है। उसी चौराहे से पूर्व की ओर श्रीशैलम राज्य राजमार्ग तक चौड़े शोल्डर वाली 2-लेन सड़क की योजना है।

8. हवाई यातायात नियंत्रण टावर

मुख्य यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो टर्मिनल के बीच एक हवाई यातायात नियंत्रण ("एटीसी") टावर स्थापित किया जाएगा।

एटीसी नियंत्रकों की आँखों की ऊँचाई +670 मीटर की ऊँचाई पर निर्धारित है, जिसका संदर्भ जमीनी स्तर +602 मीटर है। इससे प्रारंभिक रनवे 1 और भविष्य के रनवे 2 दोनों का स्पष्ट दृश्य उपलब्ध होगा।

एटीसी नियंत्रक शीर्ष स्तर से कार्य करेंगे, जहाँ 360 डिग्री का दृश्य उपलब्ध होगा और एप्रन नियंत्रण उसके ठीक नीचे वाले तल पर स्थित होगा।

एटीसी टावर के ठीक बगल में एक "तकनीकी भवन" स्थित होगा, जिसमें तकनीकी स्थापनाओं, एएआई कार्यालयों, ब्रीफिंग कक्षों तथा अन्य वैधानिक रूप से आवश्यक सुविधाओं के लिए स्थान होगा।

9. एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग

रनवे और टैक्सीवे पर आईसीएओ एनेक्स 14, खंड 1: "एयरोड्रोम डिजाइन और परिचालन" की अनुशंसाओं के अनुसार मार्किंग, लाइट व्यवस्था और संकेत लगाए जाएंगे।

10. बचाव और अग्निशमन सुविधाएँ

हवाईअड्डे को एयरोड्रोम श्रेणी 9 के अनुरूप सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा। मुख्य और सैटेलाइट अग्निशमन स्टेशन इस प्रकार स्थित हैं कि प्रतिक्रिया समय आईसीएओ की अनुशंसाओं के अनुरूप हो। मुख्य अग्निशमन स्टेशन के ऊपर एक वॉचटावर स्थित है।

11. जल आपूर्ति

हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान में दर्शाए गए सेवा क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा और दबाव में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। साइट पर मूलभूत उपचार की योजना है और एक दिन की औसत दैनिक मांग के लिए पेयजल भंडारण टैंक तथा अग्निशमन सहित दो दिनों की मांग के लिए कच्चे जल के भंडारण टैंक, साथ ही हवाईअड्डे की सुविधाओं तक वितरण नेटवर्क की योजना बनाई गई है। जल का वितरण हाइड्रो-न्यूमेटिक पंपिंग प्रणाली का उपयोग करके किया जाएगा।

पेयजल को सेवा क्षेत्र से पूर्व-पश्चिम दिशा में चलने वाली एक लैंड-साइड मुख्य पाइपलाइन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा के लिए इसी प्रकार की एक अलग वितरण नेटवर्क प्रणाली प्रदान की जाएगी। इस नेटवर्क में हाइड्रेंट लगाए जाएंगे।

12. मलजल निपटान

मलजल और वर्षाजल निकासी प्रणालियों को अलग-अलग रखने की योजना है।

मलजल प्रणाली में संग्रहण नेटवर्क, पंप पिट, मलजल उपचार संयंत्र आदि शामिल होंगे। टर्मिनल भवन और हवाईअड्डे से संबंधित अन्य सुविधाओं का मलजल पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पाइप प्रणाली के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। कुछ भाग गुरुत्वाकर्षण द्वारा और कुछ भाग पंप करके संचालित होंगे। साइट के पूर्वी छोर पर एक मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। मलजल उपचार संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार किया जाएगा और एयर-कंडीशनिंग जल के रूप में पुनः उपयोग किया जाएगा; उपचारित अतिरिक्त जल का उपयोग फ्लशिंग के लिए पुनः किया जाएगा।

13. वर्षाजल निकासी

जल निकासी प्रणाली का डिजाइन स्थलाकृति, अंतिम निर्मित सतह स्तर, पक्के क्षेत्रों और भवनों की छतों से सतही बहाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। मौजूदा सतह की स्थलाकृतिक स्थितियों और

परिणामस्वरूप सभी हवाईअड्डा-संबंधित सुविधाओं की ग्रेडेड स्ट्रिप के कारण मुख्य जलग्रहण क्षेत्र उत्तर-दक्षिण दिशा में है। वर्षाजल के बहाव के दो प्रकार हैं:

क: एप्रन, टैक्सीवे और रनवे से वर्षाजल खुले पक्के नालों और/या भूमिगत पाइपों और पुलियों में जाएगा। पक्के क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षाजल बहाव सुनिश्चित करने के लिए अनुप्रस्थ सतही ढाल निर्धारित की गई हैं।

सभी बहाव तेल/ग्रीस विभाजक से होकर एक अवरोधक बेसिन में जाएगा। बेसिन से इसे पर्यावरणीय प्रतिबंध क्षेत्र के बाहर पंप किया जाएगा और रिसाव गैलरी के माध्यम से भूजल में पुनर्भरण किया जाएगा।

ख: भवनों, पार्किंग क्षेत्रों और सड़कों से वर्षाजल एकत्र करने तथा प्राकृतिक भू-भाग की जल निकासी प्रणाली में छोड़ने के लिए खुले नाले, इनलेट और पाइप पुलियों का निर्माण किया जाएगा।

14. दूरसंचार और आईटी

एलएएन (आईटी बैकबोन) सहित एक हवाईअड्डा सामुदायिक नेटवर्क एक खुली सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वैधानिक प्राधिकरणों, एचआईएएल हवाईअड्डा प्रबंधन, एयरलाइनों तथा अन्य सभी उपयोगकर्ताओं/रियायतग्राहियों को महत्वपूर्ण हवाईअड्डा सूचना और इंटरनेट तक सीधे पहुँच प्राप्त होगी।

सभी ग्राउंड सर्विस समूहों, सुरक्षा तथा अग्नि और बचाव सेवाओं के लिए ग्राउंड सर्विस रेडियो संचार उपलब्ध कराया जाएगा।

15. विद्युत

हवाईअड्डे को विद्युत आपूर्ति एट्रॉस्को द्वारा प्रदान की जाएगी। विद्युत प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन, वितरण नेटवर्क और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति शामिल होगी। वितरण नेटवर्क की योजना रिंग मेन के साथ बनाई जाएगी, ताकि विद्युत आपूर्ति हमेशा दो अलग-अलग स्रोतों से संभव हो। डीजी-पावर स्टेशन में एक सहायक विद्युत जनरेटर प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो विद्युत आपूर्ति विफल होने की स्थिति में आवश्यक उपभोक्ताओं और हवाईअड्डे की एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग को विद्युत आपूर्ति करेगी।

16. यात्री टर्मिनल भवन

यात्री टर्मिनल भवन में तीन घटक होंगे:

1. लैंडसाइड से – एक हवाईअड्डा ग्राम,
2. एक केंद्रीय प्रोसेसर – लैंडसाइड और एयरसाइड दोनों, और
3. विमान कॉन्टैक्ट स्टैंड पियर सेक्शन – पूरी तरह एयरसाइड पर।

16.1 लेआउट अवधारणा

आने वाले और जाने वाले यात्रियों तथा अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों के बीच पूर्ण पृथक्करण होगा।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात दोनों के लिए चयनित गेट और कॉन्टैक्ट स्टैंड के उपयोग की अंतर्निहित लचीलापन व्यवस्था होगी।

केंद्रीय प्रोसेसर और पियर दोनों को प्रारंभिक 5 मिलियन यात्री प्रति वर्ष की क्षमता से अंतिम 20 मिलियन यात्री प्रति वर्ष की क्षमता तक चरणबद्ध मॉड्यूलर विस्तार के लिए डिजाइन किया गया है, बिना परिचालन को बाधित किए।

16.2 टर्मिनल भवन की क्षमताएँ

प्रारंभिक विकास में टर्मिनल भवन को पीक आवर यात्रियों की संख्या (3200) के लिए डिजाइन किया जाएगा। प्रस्तावित डिजाइन मानक सर्वोत्तम उद्योग व्यवहार और परिचालन मानकों को प्रतिबिंबित करेंगे। डिजाइन सभी मौसम स्थितियों में 24 घंटे के परिचालन के लिए होगा। कुल नियोजित फ्लोर क्षेत्र लगभग 104,000 वर्ग मीटर है, जिसमें सेवा कोर, परिसंचरण क्षेत्र और आंतरिक दीवारें शामिल हैं। इसमें लगभग 17,000 वर्ग मीटर का बेसमेंट भी शामिल है, जिसका उपयोग तकनीकी सुविधाओं के लिए किया जाएगा। यातायात में वृद्धि के साथ टर्मिनल का मॉड्यूलर विस्तार मौजूदा अग्रभाग से मेल खाते हुए बिना परिचालन को बाधित किए संभव होगा। टर्मिनल भवन पूर्णतः वातानुकूलित होगा।

प्रस्तावित टर्मिनल उपकरणों में शामिल हैं:

- सीयूटीई सहित चेक-इन काउंटर, मैनुअल काउंटर तथा स्वयं चेक-इन के लिए कंप्यूटर कियोस्क
- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर
- फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रे सिस्टम (FIDS)
- सीसीटीवी निगरानी और पीए (पब्लिक एड्रेस) प्रणाली
- अभिगम नियंत्रण प्रणाली
- अग्नि अलार्म और पहचान प्रणाली
- बैगेज हैंडलिंग प्रणाली
- एस्केलेटर, लिफ्ट और स्वचालित दरवाजे
- आव्रजन, सीमा शुल्क और सुरक्षा के लिए काउंटर
- यात्री बैठने की व्यवस्था/सार्वजनिक फर्नीचर
- संकेतक
- लैंडसाइड और एयरसाइड दोनों पर बैगेज ट्रॉली (छोटा मॉडल)
- अग्नि दमन प्रणाली
- यात्री बोर्डिंग ब्रिज
- हाथ के बैगेज के लिए एक्स-रे स्कैनर, डीएफएमडी और एचएचएमडी जैसे सुरक्षा उपकरण

17. विमान ईंधन सुविधाएँ

ईंधन टैंक फार्म से विमान तक ईंधन पहुँचाने के लिए ईंधन हाइड्रेंट प्रणाली का प्रावधान चरण 1A के कार्यों में शामिल है।

ईंधन टैंक, बूस्टर पंप और अन्य तकनीकी उपकरण ईंधन फार्म ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

18. यात्री टर्मिनल पार्किंग

विकास के सभी चरणों के लिए टर्मिनल भवन के सामने, ग्राउंड स्तर पर लूप रोड के अंदर कार पार्किंग की योजना है।

यह स्थान यात्रियों और हवाईअड्डे के आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगा।

प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए ऊपरी टर्मिनल कॉनकोर्स और आने वाले यात्रियों के लिए निचले टर्मिनल कॉनकोर्स को लूप रोड के अभिन्न भाग के रूप में नियोजित किया गया है।

निजी कारों, टैक्सियों, कर्मचारियों की कारों, स्टाफ वाहनों और VIP कारों के लिए पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

स्थानीय और क्षेत्रीय बसों के लिए एक निर्धारित बस टर्मिनल पार्किंग क्षेत्र में टर्मिनल भवन के निकट केंद्रीय रूप से स्थित है।

19. ग्राउंड सर्विसेज उपकरण (जीएसई) – अनुरक्षण भवन

ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण, विद्युत और यांत्रिक उपकरण तथा अन्य उपयोगों सहित हवाईअड्डा वाहनों के लिए अनुरक्षण सुविधाएँ आवश्यक हैं।

जीएसई भवन मॉड्यूल का क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग मीटर है। बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बाद में मॉड्यूल के रूप में पार्श्व दिशा में विस्तारित किया जा सकता है।

20. ग्राउंड सर्विसेज उपकरण – अनुरक्षण क्षेत्र

एयरसाइड पर जीएसईअनुरक्षण क्षेत्र की योजना बनाई गई है। इस सुविधा के लिए प्रारंभ में लगभग 5000 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया गया है।

21. सुरक्षा दीवार/सुरक्षा बाड़

लैंडसाइड और एयरसाइड सुविधाओं को अलग करने वाली सुरक्षा दीवार या सुरक्षा बाड़ का निर्माण BCAS विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एचआईएएल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक सीमा दीवार का भी निर्माण किया जाएगा।

22. सामान्य विमानन

सामान्य विमानन में निजी स्वामित्व वाले विमानों द्वारा कार्मिक और कार्गो का परिवहन, एयर टैक्सी, कृषि उड़ान आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

सामान्य विमानन बेड़े में शामिल विभिन्न प्रकार के विमान एकल इंजन वाले विमानों से लेकर बहु-इंजन टर्बो जेट और हेलीकॉप्टर तक होते हैं।

प्रारंभ में सामान्य विमानन विमान कार्गो टर्मिनल एप्रन का उपयोग करेंगे और सामान्य विमानन यात्री मुख्य यात्री टर्मिनल सुविधाओं का उपयोग करेंगे।

अनुसूची 3: भाग 1 – हवाईअड्डा गतिविधियाँ

हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं:

एयरसाइड सुविधा

- एयरफील्ड पेवमेंट (रनवे, एप्रन और टैक्सीवे प्रणाली)
- एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग
- एयरसाइड और परिधि सुरक्षा, जिसमें अभिगम नियंत्रण और गश्त शामिल है
- टैक्सीवे, जिसमें एक आपातकालीन टेक-ऑफ रनवे/समानांतर टैक्सीवे शामिल है
- एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन
- आगमन कॉन्कोर्स
- पक्षी भगाने की व्यवस्था
- आपातकालीन सेवाएँ
- दुर्घटना, बचाव और अग्निशमन सेवा
- उड़ान खानपान सेवाएँ
- सामान्य विमानन ग्राउंड हैंडलिंग
- सामान्य विमानन सुविधाएँ
- ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ
- ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण
- विमानों के लिए ग्राउंड पावर
- कार्गो टर्मिनल
- कार्गो हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल परिचालन, कस्टोडियल सेवाएँ
- विमान सफाई सेवाएँ
- विमान ईंधन सेवाएँ
- हैंगर और विमान अनुरक्षण सेवाएँ
- विमानों के लिए पूर्व-शीतित वायु
- पेवमेंट सतही जल निकासी
- मार्गदर्शन प्रणाली और मार्शलिंग

एयरसाइड/लैंडसाइड/टर्मिनल सुविधाएँ

- दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएँ
- चेक-इन काउंटर
- सार्वजनिक और कार्यालय क्षेत्रों की सफाई, प्रकाश, शीतलन और वातानुकूलन
- सीमा शुल्क और आव्रजन हॉल
- बैगेज प्रणाली, जिसमें आउटबाउंड और रीक्लेम शामिल हैं
- उड़ान सूचना और पब्लिक-एड्रेस प्रणालियाँ
- सूचना डेस्क और स्टाफ
- दूरस्थ स्टैंडों की सेवा के लिए बस लाउंज
- सीढ़ियाँ, लिफ्ट और एस्केलेटर
- यात्री बोर्डिंग ब्रिज (एयरोब्रिज)
- खोई हुई संपत्ति

- शोर इन्सुलेशन और ध्वनि रोधन
- यात्री और हाथ के बैगेज की तलाशी
- पियर और गेट रूम
- पुलिसिंग और सामान्य सुरक्षा
- प्रार्थना कक्ष
- शेड्यूलिंग समिति सहायता
- यात्रियों के आसान मार्गदर्शन के लिए संकेतक
- तलाशी और सुरक्षा सुविधाओं सहित स्टाफ प्रवेश
- शौचालय और स्तनपान कराने वाली माताओं के कमरे
- कैरी-ऑन और चेक-इन बैगेज के लिए एक्स-रे सेवा
- एयरलाइन लाउंज
- बैंक/एटीएम/ब्यूरो डी चेंज
- व्यवसाय केंद्र
- अंतरराष्ट्रीय खंड में ड्यूटी-फ्री बिक्री
- होटल आरक्षण सेवाएँ
- रेस्तरां, बार और अन्य जलपान सुविधाएँ
- विशेष सहायता सेवाएँ
- पर्यटक सूचना सेवाएँ
- ट्रेवल एजेंसी
- संदेशवाहक सेवाएँ
- वीआईपी लाउंज

हवाईअड्डा परिसर के लिए अवसंरचना और उपयोगिताएँ (मुख्यतः लैंडसाइड)

- एयरसाइड और लैंडसाइड पहुँच सड़कें तथा फोरकोर्ट
- उपयोगिताएँ (विद्युत, दूरसंचार और जल सहित)
- अपशिष्ट जल और कचरे का उपचार एवं निपटान
- भू-दृश्यांकन और बागवानी
- लाइन अनुरक्षण सेवाएँ
- सार्वजनिक टेलीफोन
- वाहन ईंधन सेवाएँ
- वाहन किराया
- मलजल और सतही जल
- जल निकासी
- वाहन पार्किंग
- क्लोक रूम
- सम्मेलन केंद्र
- फ्रेट फॉरवर्डर/कंसॉलिडेटर/एजेंट
- खुदरा दुकानें
- लांकर
- अवलोकन छत
- पोर्टर सेवाएँ

- डाकघर
- ट्रॉली सेवाएँ

अनुसूची 3: भाग 2 – गैर-हवाईअड्डा गतिविधियाँ

लैंडसाइड गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं:

- कार्गो परिसर में फ्रेट कंसॉलिडेटर/फॉरवर्डर या एजेंटों के कार्यालय तथा एयरलाइनों के कार्यालय
- स्थानीय और क्षेत्रीय बसों के लिए बस टर्मिनल, हवाईअड्डा शटल परिवहन सेवाएँ (होटल, शहर का केंद्र आदि)
- बिजनेस पार्क
- हवाईअड्डा होटल, रेस्तरां, सम्मेलन स्थल, बैठक सुविधाएँ, व्यवसाय केंद्र, व्यापार मेले, रियल एस्टेट, थीम पार्क, मनोरंजन आर्केड, गोल्फ कोर्स, खेल सुविधाएँ, बैंक और एक्सचेंज तथा शॉपिंग मॉल
- वाणिज्यिक भवन/परिसर/मनोरंजन परिसर/पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ
- आपातकालीन आपूर्ति के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संयंत्र बिजनेस पार्कों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं
- पार्किंग, पहुँच और छोटी खाद्य एवं पेय सुविधा सहित किसी मौजूदा पहाड़ी शिखर पर अवलोकन स्थल
- साइट या हवाईअड्डे के विकास से संबंधित गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के संबंध में कोई अन्य राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधि

अनुसूची 4: अप्रत्याशित आपदा की परिभाषा

इस समझौते में, “अप्रत्याशित आपदा” का अर्थ नीचे उल्लिखित किसी ऐसे कार्य, घटना या परिस्थिति अथवा कार्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से बाहर हों और जिन्हें प्रभावित पक्ष किसी सुविधा के निर्माण के संबंध में उत्तम उद्योग प्रथा या उचित कौशल एवं सावधानी के प्रयोग द्वारा रोक नहीं सकता था, और जो, अथवा जिनके परिणामस्वरूप, किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के पूर्ण या आंशिक रूप से पालन को रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं।

“अप्रत्याशित आपदा” में निम्नलिखित घटनाएँ और परिस्थितियाँ उस सीमा तक शामिल होंगी, जिस सीमा तक वे अथवा उनके परिणाम उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएँ या परिस्थितियाँ:

1. हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई अथवा श्रम विवाद, जिसमें किसी पक्ष या उसके ठेकेदारों अथवा उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, कर्मचारियों या एजेंटों का विवाद शामिल हो, जो किसी भी स्थिति में भारत के भीतर कार्य के निष्पादन अथवा भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में नियोजित हों;
2. बिजली गिरना, भूकंप, तूफानी वर्षा, चक्रवात, हरिकेन, बवंडर, आंधी, बाढ़, जल-प्लावन, भूस्खलन, मृदा अपरदन, भूमि धंसना, सूखा या पानी की कमी तथा अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अथवा प्राकृतिक तत्वों की क्रियाएँ, उल्कापिंड या विमान अथवा अन्य वायवीय उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएँ, सुपरसोनिक गति से उड़ने वाले विमान या अन्य वायवीय उपकरणों के कारण उत्पन्न दाब तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण अथवा आयनीकरण विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहाँ विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या संलग्न व्यक्तियों द्वारा स्थल पर या उसके निकट लाया गया हो या लाया गया था, जब तक कि वह हवाईअड्डे के किसी भाग के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक न हो या न रहा हो);
3. किसी भी माध्यम से पारगमन के दौरान हवाईअड्डे में शामिल किए जाने के लिए अभिप्रेत कार्गो की किसी आकस्मिक हानि या क्षति, जो हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से पहले हुई हो;
4. हवाईअड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;
5. लैंडिंग, पार्किंग, सर्विसिंग (ईंधन की आपूर्ति सहित) या टेक-ऑफ के दौरान किसी विमान से संबंधित दुर्घटना, विस्फोट, आग या अन्य आपदा की घटना;
6. महामारी;
7. युद्ध का कार्य (घोषित या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम विस्फोट या नागरिक अशांति;
8. तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों का खतरा;
9. उपर्युक्त के समान प्रकृति का कोई अन्य कार्य, घटना या परिस्थिति।

बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला अथवा उसके परिणाम फोर्स मेज्योर का गठन करने या उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे:

1. किसी भुगतान को करने में विफलता या असमर्थता; या
2. बाजार की परिस्थितियों का प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार परिस्थितियाँ स्वयं किसी फोर्स मेज्योर घटना के कारण उत्पन्न न हुई हों या उसका परिणाम न हों।

और आगे यह भी बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित कोई कार्य, घटना या परिस्थिति, जो मुख्यतः किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों को प्रभावित करती है (जिसमें, बिना किसी सीमा के, हवाईअड्डे का निर्माण, ठेकेदार या ऑपरेटर अथवा किसी पक्ष का सहयोगी शामिल है), और जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के निष्पादन में रोकती, बाधित करती या विलंबित करती है, उस पक्ष के संबंध में, उचित रूप से और उस सीमा तक फोर्स मेज्योर मानी जाएगी, यदि वह ऐसी प्रकृति या प्रकार की हो कि यदि वह इस अनुच्छेद पर निर्भर करने के इच्छुक पक्ष के साथ घटित हुई होती, तो इस अनुसूची 4 के अंतर्गत फोर्स मेज्योर की परिभाषा में आती।

अनुसूची 5: भारत सरकार प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप

[एचआईएल के ऋणदाताओं द्वारा समीक्षा की जानी है]

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

6-3-866/1/जी2, ग्रीनलैंड्स बेगमपेट

हैदराबाद - 560 016

दिनांक

सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन

सफदरजंग हवाईअड्डा

परिसर, नई दिल्ली

110003

माननीय सचिव महोदय,

हम भारत सरकार और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा गया है) के बीच दिनांक [•] को किए गए रियायत समझौते (जिसे आगे “रियायत समझौता” कहा गया है) का संदर्भ देते हैं।

जैसा कि रियायत समझौते में परिकल्पित है, कंपनी वित्तपोषण समझौतों (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित किया गया है और जिनकी प्रतियाँ आपको उपलब्ध कराई गई हैं) में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित पक्षकारों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) ने आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद के निकट [] में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

ऐसे वित्तपोषण के लिए प्रतिभूति के रूप में, हम आपको इसके द्वारा सूचित करते हैं कि [] के पक्ष में ट्रस्टी (जिसे आगे “बंधक ट्रस्टी” कहा गया है) के रूप में किए जाने वाले बंधक (जिसे आगे “बंधक” कहा गया है) के अनुसार, कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों (जिन्हें आगे “ऋणदाता” कहा गया है) के लाभ के लिए, कंपनी ने बंधक ट्रस्टी को कंपनी की सभी परिसंपत्तियों (जिसे आगे “संपार्श्विक” कहा गया है) पर प्रथम प्राथमिकता का प्रतिभूति हित प्रदान किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रियायत समझौता भी शामिल है।

ऋणदाताओं और बंधक ट्रस्टी को इस समझौते में सामूहिक रूप से “सुरक्षित पक्षकार” कहा गया है।

कंपनी अनुरोध करती है कि इस पावती और सहमति की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके तथा उसे वापस भेजकर, भारत सरकार सुरक्षित पक्षकारों के लाभ के लिए निम्नलिखित की पुष्टि और सहमति प्रदान करे:

1. भारत सरकार

1.1 बंधक की एक प्रति प्राप्त होने की पावती देती है,

1.2 सुरक्षित पक्षकारों के लाभ के लिए सुरक्षित पक्षकारों को देय दायित्वों की प्रतिभूति के रूप में, बंधक के अंतर्गत रियायत समझौते में कंपनी के सभी अधिकार, स्वत्व और हित के हस्तांतरण के लिए (और जहाँ बंधक के अंतर्गत हस्तांतरण संभव न हो, वहाँ भार/प्रभार के लिए) सहमति देती है,

1.3 सहमत है कि ऐसे हस्तांतरण (या, जैसा भी मामला हो, भार/प्रभार) रियायत समझौते का उल्लंघन या विरोध नहीं करते हैं और न ही करेंगे; और

1.4 सहमत है कि इस समझौते का निष्पादन और सुपुर्दगी रियायत समझौते के अनुच्छेद 14.1 में प्रदान किए गए ऐसे हस्तांतरण (या, जैसा भी मामला हो, भार/प्रभार) और भावी हस्तांतरण के लिए उसकी विधिवत लिखित सहमति का गठन करती है।

2. भारत सरकार सहमत है कि:

2.1 यदि बंधक ट्रस्टी ने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति हितों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए रियायत समझौते के अंतर्गत स्वयं या अपने नामित व्यक्ति को कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ऐसा बंधक ट्रस्टी या उसका नामित व्यक्ति कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

2.2 यदि बंधक ट्रस्टी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति हितों के अंतर्गत उपचार के अधिकारों के प्रयोग के अनुसार (चाहे फोरक्लोज़र द्वारा या अन्यथा) संपार्श्विक के सभी या किसी भाग को बेचता है या अन्यथा उसका निपटान करता है, तो बंधक ट्रस्टी के अनुरोध पर और भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति से, जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा, क्रेता को रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा; और दोनों ही मामलों में, प्रतिस्थापित पक्षकार रियायत समझौते के अंतर्गत बेचे या निपटाए गए ऐसे संपार्श्विक के संबंध में कंपनी के सभी अधिकार, स्वत्व और हितों का उत्तराधिकारी होगा तथा रियायत समझौते के लाभों का उसी प्रकार निष्पादन और लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा, मानो वह रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी हो।

3. भारत सरकार सहमत है कि वह रियायत समझौते के अंतर्गत कंपनी को देय धनराशि (रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार कंपनी को देय और भुगतान योग्य किसी भी धनराशि को छोड़कर, जिसका भुगतान सीधे कंपनी को किया जाएगा) विशेष रूप से सीधे और तत्काल उपलब्ध निधियों में [हैदराबाद] स्थित ऐसे खाते में जमा करेगी, जिसे बंधक ट्रस्टी समय-समय पर निर्देशित कर सकता है (और कंपनी इसके द्वारा भारत सरकार को उपर्युक्त रूप से ऐसे भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)।

बंधक ट्रस्टी या उसके नामित व्यक्ति द्वारा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए प्रतिभूति हितों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार बंधक ट्रस्टी से प्राप्त किसी भी और सभी लिखित निर्देशों का अनुपालन करेगी, जिसके अनुसार रियायत समझौते के अंतर्गत भारत सरकार से देय धनराशि (रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार कंपनी को देय और भुगतान योग्य किसी भी धनराशि को छोड़कर, जिसका भुगतान सीधे कंपनी को किया जाएगा) पूर्ववर्ती वाक्य में निर्दिष्ट खाते में भुगतान करने के बजाय सीधे बंधक ट्रस्टी को या उसके आदेशानुसार भुगतान की जाएगी (ऐसे भुगतानों के अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववर्ती वाक्य में दिए गए अनुसार ही रहेंगी) और कंपनी को इन राशियों के भुगतान संबंधी अपने दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि मानी जाएगी।

4. भारत सरकार सहमत है कि वह बंधक के अनुसार बंधक ट्रस्टी को कंपनी के वास्तविक और विधिसम्मत अटॉर्नी के रूप में मान्यता देगी।

5. भारत सरकार सहमत है कि वह किसी ऐसी घटना के घटित होने के तुरंत बाद बंधक ट्रस्टी को सूचित करेगी, जो भारत सरकार को रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार हवाईअड्डे में एचआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अधिग्रहित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती है (जिसे “नोटिस” कहा गया है)। ऐसे नोटिस में उन आधारों का उचित विवरण दिया जाएगा, जिनके कारण भारत सरकार हवाईअड्डे में एचआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अधिग्रहित करने की हकदार है।

6. भारत सरकार सहमत है कि वह बंधक ट्रस्टी को नोटिस जारी किए बिना रियायत समझौते को समाप्त नहीं करेगी, उसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन को निलंबित नहीं करेगी या हवाईअड्डे में एचआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अधिग्रहित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी।

7. भारत सरकार सहमत है कि बंधक ट्रस्टी किसी भी समय नोटिस को जन्म देने वाली घटना के उपचार के लिए रियायत समझौते की शर्तों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने या करवाने का हकदार होगा। यदि बंधक ट्रस्टी नोटिस को जन्म देने वाली घटना का उपचार करवाता है, तो भारत सरकार को ऐसी घटना के आधार पर हवाईअड्डे में एचआईएएल के सभी अधिकारों, स्वत्व और हितों को अधिग्रहित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

8. यह समझौता भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और उनके अनुसार व्याख्यायित किया जाएगा।

9. इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, उसकी प्रकृति चाहे जो भी हो, रियायत समझौते के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए भेजा जाएगा। उक्त प्रावधानों को संदर्भ द्वारा इस समझौते में शामिल किया गया है और इसका एक भाग बनाया गया है, मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हों।

10. रियायत समझौते के अनुच्छेद 18.13 (**संप्रभु उन्मुक्ति**) के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे और उन्हें संदर्भ द्वारा इस समझौते में शामिल किया गया है तथा इसका एक भाग बनाया गया है, मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हों।

11. यह समझौता इस समझौते के किसी भी पक्ष द्वारा किसी अन्य कार्रवाई के बिना उस तारीख को समाप्त हो जाएगा, जिस तारीख को प्रारंभिक चरण के संबंध में ऋणदाताओं को कोई बकाया ऋण देय नहीं रहेगा।

12. यह समझौता वित्तीय समापन की तारीख को प्रभावी होगा, जैसा कि वित्तपोषण समझौतों में प्रदान किया गया है और जैसा कि वित्तपोषण समझौतों में परिभाषित किया गया है।

भवदीय,

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

द्वारा:

नाम:

पदनाम:

भारत सरकार इसके द्वारा उपर्युक्त इस समझौते की शर्तों को स्वीकार करती है और उनसे बाध्य होने के लिए सहमत होती है, इस [•] दिनांक [•] के अनुसार।

द्वारा

नाम:

पदनाम:

इस समझौते के भारत सरकार द्वारा निष्पादित किए जाने की तारीख के अनुसार [•], बंधक ट्रस्टी द्वारा पावती, स्वीकृति और सहमति प्रदान की गई।

[•], बंधक ट्रस्टी।

अनुसूची 6: विनियमित शुल्क

इस समझौते के अनुच्छेद 10.2 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एचआईएल को आईसीएओ नीतियों के अनुरूप दरों पर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों विमानों तथा यात्री आवागमन के संबंध में, एयरलाइन ऑपरेटरों, यात्रियों और अन्य उपयोगकर्ताओं से निम्नलिखित विनियमित शुल्क लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा:

(i) लैंडिंग, हाउसिंग और पार्किंग शुल्क (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

हवाईअड्डा उद्घाटन के समय एचआईएल द्वारा अपनाए जाने वाले शुल्क निम्नलिखित में से अधिक होंगे:

(क) 2001 में प्रभावी एएआई टैरिफ, जिसे नीचे दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ाकर हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि तक लागू किया गया हो; या

(ख) उस समय अन्य एएआई हवाईअड्डों पर प्रचलित टैरिफ।

(ii) यात्री सेवा शुल्क (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

हवाईअड्डा उद्घाटन के समय एचआईएल द्वारा अपनाया जाने वाला शुल्क निम्नलिखित में से अधिक होगा:

(क) 2001 में प्रभावी एएआई टैरिफ, जिसे नीचे दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ाकर हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि तक लागू किया गया हो; या

(ख) उस समय अन्य एएआई हवाईअड्डों पर प्रचलित यात्री सेवा शुल्क।

एचआईएल द्वारा वसूल किया जाने वाला यात्री सेवा शुल्क, जैसा कि ऊपर दिया गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) पर सुरक्षा व्यय की लागत को शामिल करता है। सीआईएसएफ पर सुरक्षा व्यय की लागत का यह घटक भारत सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने पर एचआईएल द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी वृद्धि के साथ यात्री सेवा शुल्क में भी समान वृद्धि की जाएगी।

(iii) उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

एचआईएल को हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से प्रभावी रूप से यूडीएफ लगाने की अनुमति होगी, जिसे नीचे दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ आगामी वर्षों में विधिवत बढ़ाया जाएगा। यह शुल्क घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान करने वाले यात्रियों से यात्री सुविधाओं, सेवाओं और सुख-सुविधाओं के प्रावधान के लिए लिया जाएगा तथा यूडीएफ का उपयोग हवाईअड्डे की सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, रखरखाव, संचालन और विस्तार के लिए किया जाएगा।

अनुसूची 6 में निर्धारित विनियमित शुल्क हवाईअड्डे पर सांकेतिक शुल्क होंगे। हवाईअड्डा उद्घाटन से पूर्व एचआईएल विनियमित शुल्कों के लिए नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा, जो अंतिम लेखापरीक्षित परियोजना लागत पर आधारित होंगे।

नोट:

(क) शुल्क निकटतम MT (अर्थात् 1000 किलोग्राम) के आधार पर गणना किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक एकल लैंडिंग के लिए न्यूनतम शुल्क INR 1000 होगा।

(ग) 2301 बजे (IST) से 2400 बजे (IST) के बीच अंतरराष्ट्रीय लैंडिंग पर पीक आवर अधिभार 5% होगा।

(घ) यदि US\$ दरों पर शुल्क लिया जाना है, तो US\$ को INR में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होगा: पहली पखवाड़े की बिलिंग अवधि के पहले दिन की दर तथा दूसरे पखवाड़े की बिलिंग अवधि के लिए महीने की 16 तारीख की दर लागू होगी।

(ङ.) सभी टैरिफ एचआईएल के लिए शुद्ध होंगे। सेवा कर, यदि लागू हो, जैसे कोई भी कर प्रस्तावित टैरिफ के अतिरिक्त होगा।

मुद्रास्फीति सूचकांक का सूत्र:

आधार शुल्क (गुणा किया गया) WPI1 (द्वारा विभाजित) डब्ल्यूपीआई जहां,

डब्ल्यूपीआई = 'सभी वस्तुओं' के लिए डब्ल्यूपीआई

डब्ल्यूपीआई = 31 मार्च, 2001 को डब्ल्यूपीआई

डब्ल्यूपीआई 1 = शुल्क संशोधन तिथि से पूर्व आने वाली 31 मार्च को WPI

संदेह से बचने के लिए, रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क और टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क AAI द्वारा लगाया और वसूल किया जाएगा।

अनुसूची 7: निपटान राशि

यदि निपटान राशि देय हो जाती है, तो निपटान राशि का अर्थ होगा—(i) सकल स्थिर परिसंपत्तियाँ (सूचकांकित), (ii) शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ, (iii) निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य, (iv) एचआईएएल की अमूर्त परिसंपत्तियाँ और (v) हवाईअड्डा उद्घाटन तिथि से पूर्व एचआईएएल द्वारा किए गए पूर्व-संचालन लागत और व्यय, जैसा कि इस समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार जारी संबंधित समाप्ति नोटिस की तारीख को एचआईएएल की अंतिम त्रैमासिक बैलेंस शीट में दर्ज किया गया है। संदेह से बचने के लिए, निपटान राशि में गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान से संबंधित कोई भी पूंजीगत निवेश, राशि या लागत शामिल नहीं होगी, जिन्हें भारत सरकार अनुच्छेद 13.5.2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अपने अधिकार में लेने का विकल्प नहीं चुनती है। जहाँ भारत सरकार अनुच्छेद 13.5.2 के अंतर्गत गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों से संबंधित अनुबंधों और समझौतों को अपने अधिकार में लेने के विकल्प का प्रयोग करती है, वहाँ भारत सरकार उनके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य होगी।

अनुसूची 8: आरक्षित गतिविधियाँ

एचआईएल द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला स्थान

सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध सेवाएँ
[आपसी चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाना है]

सुरक्षा सेवाएँ
[आपसी चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाना है]

मौसम विज्ञान सेवाएँ
[आपसी चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाना है]

अनुसूची 9: भाग 1 – विनिर्देश

1. यात्री टर्मिनल भवन

यात्री टर्मिनल भवन में केंद्रीय भवन, पियर, यात्री बोर्डिंग ब्रिज और हवाईअड्डा ग्राम शामिल हैं। केंद्रीय भवन और पियर का क्षेत्रफल लगभग 87,000 वर्ग मीटर है। इसके अतिरिक्त, भवन में लगभग 17,000 वर्ग मीटर का बेसमेंट भी शामिल है, जिसका उपयोग तकनीकी सुविधाओं के लिए किया जाएगा। लैंडसाइड पर यातायात अग्रभाग आने वाले और प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए दो स्तरों पर है। दो सुरंगें कर्मचारियों और यात्रियों दोनों के लिए कार पार्किंग से पैदल आने-जाने की सुविधा प्रदान करती हैं।

केंद्रीय भवन में बेसमेंट के दो स्तर और ऊपर के तीन स्तर हैं, जबकि पियर में एक बेसमेंट और तीन ऊपरी तल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भवन में कार्यालय क्षेत्र के लिए दो स्तर उपलब्ध कराए गए हैं।

पहले बेसमेंट में एचवीएससी सेवाएँ हैं। सामान प्राप्ति हॉल, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ, गैरेज और बस लाउंज स्तर डी (± 0.15 मी.) पर हैं। स्तर ई (+6.0 मी.) आगमन क्षेत्र है और इसमें कार्यालयों, लाउंज, होटल, फिटनेस सेंटर, दुकानों आदि के लिए वाणिज्यिक स्थान हैं। स्तर एफ (+11.0m) चेक-इन क्षेत्र है और इसमें प्रस्थान लाउंज, दुकानें, खाद्य एवं पेय आउटलेट, कार्यालय आदि के लिए भी स्थान है।

बेसमेंट में कॉलम गिड 9 मी. $\times$ 9 मी. है और ऊपरी तलों पर सामान्यतः 18 मी. $\times$ 18 मी. है। बीम और स्लैब प्रबलित कंक्रीट के हैं। सामान हैंडलिंग क्षेत्र और सामान प्राप्ति क्षेत्र में अधिक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए आंशिक रूप से 9 मी. $\times$ 18 मी. कॉलम स्पेसिंग का उपयोग किया गया है।

टर्मिनल की छत संरचनात्मक स्टील की है, जो प्रबलित कंक्रीट के गोलाकार कॉलमों पर आधारित है। छत में मुख्य और द्वितीयक ट्रस शामिल हैं।

विनिर्देश और स्थापनाएँ

सभी यात्री क्षेत्रों में ग्रेनाइट फर्श लगाए गए हैं। प्रस्थान पियर में ग्रेनाइट/हार्डवुड से तैयार फर्श है। गैर-सार्वजनिक क्षेत्रों में आईपीएस (भारतीय पेटेंट स्टोन) फर्श और एपॉक्सी-कोटेड फर्श प्रस्तावित किए गए हैं।

सभी यात्री शौचालयों में विट्रिफाइड मैट फिनिश टाइलें और उनसे मेल खाते सिरेमिक टाइल डैडो उपलब्ध कराए गए हैं। स्थिर बोर्डिंग ब्रिज के लिए नॉन-स्किड पीवीसी फर्श उपलब्ध कराया जाएगा। हवाईअड्डा ग्राम में फर्श ग्रेनाइट का है।

उत्तर और दक्षिण के अग्रभाग 3000 मी.मी. $\times$ 1000 मी.मी. के मॉड्यूल में पूर्णतः ग्लेज्ड होंगे। पूर्व और पश्चिम के अग्रभाग कंपोजिट मेटल पैनल क्लैडिंग वाले हटाए जा सकने वाले दीवार होंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में आंतरिक विभाजन स्टील सपोर्ट के साथ काँच तथा एल्युमिनियम फ्रेम वाले विभाजन होंगे। सेवा क्षेत्रों में दीवारों पर ऑयल-बाउंड डिस्टेंपर या प्लास्टिक इमल्शन से फिनिशिंग की जाएगी।

छत को उच्च श्रेणी की वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन से ढका जाएगा। स्टील कॉलमों पर टिके स्टील ट्रस पर एक अलग टेफ्लॉन-कोटेड फैब्रिक छत, जो हवाईअड्डा ग्राम के ऊपर फैली होगी, उपलब्ध कराई जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्रों में ध्वनिक सामग्री की बैकिंग के साथ छिद्रित धातु की फॉल्स सीलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्रों की सीढ़ियाँ स्टील की होंगी, जिनमें ग्रेनाइट/हार्डवुड की सीढ़ी सतह, काँच की रेलिंग और लकड़ी की हैंडरेल होंगी। सार्वजनिक क्षेत्रों में काँच के शाफ्ट के साथ काँच की लिफ्ट उपलब्ध कराई गई हैं।

सार्वजनिक क्षेत्रों में रेलिंग काँच की होगी और लकड़ी की हैंडरेल के साथ गार्ड उपलब्ध होंगे। कार्यालय ब्लॉक में हार्डवुड स्लैट के अग्रभाग के साथ काँच की कर्टेन वॉल होगी। तकनीकी शाफ्ट में धातु/लकड़ी की क्लैडिंग होगी।

उपकरण / स्थापनाएँ

टर्मिनल में उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों में शामिल होंगे:

- सामान हैंडलिंग प्रणाली, चेक-इन कन्वेयर, अतिरिक्त कलेक्ट कन्वेयर, ट्रांसपोर्ट कन्वेयर आदि।
- आउटबाउंड सामान सॉर्टिंग कैरोसेल, आगमन कन्वेयर और कैरोसेल
- एक्स-रे मशीनें
- वॉक-थ्रू मेटल डिटेक्टर और हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर
- सुरक्षा उपकरण
- यात्री बोर्डिंग ब्रिज
- एस्केलेटर, लिफ्ट और स्वचालित दरवाजे
- सामान ट्रॉली
- चेक-इन काउंटर
- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर
- एओडीबी/ सीयूटीई / उड़ान सूचना प्रणाली
- सीसीटीवी / पीए प्रणाली
- अग्नि अलार्म और डिटेक्शन प्रणाली
- भवन स्वचालन प्रणाली
- बहुउपयोग के लिए कंप्यूटर बैकबोन आईटी प्रणाली
- एचवीएसी (हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग)
- प्रेशराइजेशन / धुआँ निष्कर्षण प्रणाली

2. एयर ट्रेफिक कंट्रोल टावर और तकनीकी भवन

एटीसी टावर परिसर में एटीसी टावर, तकनीकी भवन और यूटिलिटीज ब्लॉक शामिल हैं। एटीसी टावर इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि नियंत्रक की आँखों का स्तर आसपास के भू-स्तर से 68 मीटर ऊपर हो। वायु यातायात की आवाजाही के लिए आवश्यक परिचालन दक्षता प्रदान करने हेतु दोनों अप्रोच के लिए श्रेणी। आईएलएस प्रणाली का चयन किया गया है।

एटीसी टावर में टावर के शीर्ष पर तीन स्तरों पर कार्यस्थल और सहायक उपकरण नियोजित हैं। आगमन और प्रस्थान गतिविधियों के लिए एयर ट्रेफिक कंट्रोल रूम के नीचे एटीसी टावर में एग्रन नियंत्रण स्थित है। इस स्तर पर पैट्री और शौचालय जैसी कर्मचारियों की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। एक अन्य स्तर पर तकनीकी उपकरण और मशीन कक्ष हैं।

ग्लेजिंग के रखरखाव के लिए एक बालकनी उपलब्ध कराई गई है। अबाधित दृश्य की अनुमति देने के लिए नियंत्रण कक्ष के फर्श में स्टेप्ड प्रोफाइल है। टावर की कुल ऊँचाई लगभग 70 मी. है।

भार वहन करने वाले तत्वों में सर्विस शाफ्ट शामिल है, जिसमें 2 लिफ्ट और एक सीढ़ी है। लिफ्ट शाफ्ट के एयरसाइड फेस पर कोन और शेल के बीच बीमों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित ग्लेजिंग है। टावर की छत स्टील की है और परिधि पर म्यूलियन द्वारा समर्थित है, जो ग्लेजिंग को भी सपोर्ट करते हैं। एटीसी टावर का कुल क्षेत्रफल लगभग 1170 वर्ग मीटर है।

तकनीकी भवन 34m × 44.5m आकार का 2-स्तरीय प्रबलित कंक्रीट फ्रेमयुक्त ढाँचा है और प्रथम तल स्तर पर एक ऊँचे मार्ग द्वारा टावर से जुड़ा है। तकनीकी भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 2050 वर्ग मीटर है। अधिकांश क्षेत्रों में एक्सेस फ्लोर उपलब्ध कराया गया है। यूटिलिटी ब्लॉक का आकार 20 मी. × 10 मी. है और इसमें सबस्टेशन तथा एयर-कंडीशनिंग संयंत्र हैं।

फिनिशिंग विनिर्देश

टावर और तकनीकी ब्लॉक में कार्यस्थलों पर कार्पेट टाइलों के साथ एक्सेस फ्लोर होंगे। यूपीएस कक्षों में एंटी-स्टैटिक रबरयुक्त फर्श होंगे। तकनीकी भवन के आंगन में सबसॉइल ड्रेनेज नेटवर्क वाले फर्श के साथ लैंडस्केपिंग की जाएगी। तकनीकी कक्षों में एंटी-स्टैटिक रबरयुक्त फर्श होंगे। शौचालयों, विश्राम कक्षों और पेंट्री में एंटी-स्किड सिरेमिक टाइल फर्श उपलब्ध कराए जाएंगे। उपकरण कक्षों में औद्योगिक ग्रेड के रबरयुक्त फर्श होंगे।

तकनीकी भवन के उत्तर और दक्षिण के अग्रभाग तथा आंगन की ओर वाले अग्रभागों में ग्लेज्ड कर्टेन वॉल होंगे। पूर्व और पश्चिम के अग्रभाग ड्राई स्टोन क्लैडिंग में तैयार किए जाएंगे। सेवा क्षेत्रों की बाहरी दीवारों पर हवा के निष्कर्षण और वेंटिलेशन के लिए लूवर सहित मेटल क्लैडिंग होगी।

तकनीकी भवन की छत संरचनात्मक स्टील और प्री-कोटेड प्रोफाइल्ड मेटल शीटिंग की होगी। प्रवेश लाउंज के ऊपर छत नीचे की ओर ढलान वाली होगी और आधार तक विस्तारित होगी। छत की स्काइलाइट में धातु फ्रेम और पॉलीकार्बोनेट शीट के साथ स्थिर और संचालित लूवर की प्रणाली होगी।

एटीसी टावर में फॉर्म-फिनिश कंक्रीट या कवर्ड मेटल क्लैडिंग होगी। कुछ विशेषताओं को पेंटेड/पाउडर-कोटेड धातु से उभारा जाएगा। फॉल्स सीलिंग प्रेस्ड मेटल ध्वनिक टाइलों की होगी। यूटिलिटी ब्लॉक आरसीसी फ्रेमयुक्त ढाँचा होगा, जिसमें ईंट पैनल दीवारें और हेवी-ड्यूटी औद्योगिक प्रकार का फर्श होगा।

3. एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स

एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार्गो प्रसंस्करण टर्मिनल, ट्रक डॉक और यूटिलिटी ब्लॉक शामिल हैं। कार्गो टर्मिनल का आयाम लगभग 112मी. × 80मी. है। टर्मिनल में कार्गो के सत्यापन, भंडारण, यूनिट लोड डिवाइस यूएलडीएस) में बिल्ड-अप/ब्रेक-डाउन, निर्मित यूएलडीएस के भंडारण, विशेष भंडारण, सीमा शुल्क निकासी आदि के लिए सुविधाएँ हैं।

डॉक 7.0मी. गहरे हैं। डॉक के ऊपर प्रथम तल पर कार्यालय क्षेत्र उपलब्ध कराए गए हैं। टर्मिनल में निर्मित यूएलडी भंडारण क्षेत्र के ऊपर 14मी. की स्पष्ट ऊँचाई है, ताकि भविष्य में ईटीवी जैसे उपकरण स्थापित किए जा सकें, तथा अन्य क्षेत्रों में 8मी. की स्पष्ट ऊँचाई है। स्टील की छत एयरसाइड से लैंडसाइड की ओर नीचे की ढलान के साथ उपलब्ध कराई गई है और कंक्रीट के कॉलमों पर टिकी है।

कार्यालय क्षेत्र प्रबलित कंक्रीट फ्रेमयुक्त निर्माण तथा टूसयुक्त ब्रिजों का संयोजन होगा, ताकि नीचे कॉलम-मुक्त ट्रक डॉकिंग के लिए अधिक बड़े स्पैन उपलब्ध हो सकें। टर्मिनल को लगभग 100,000 टन/वर्ष कार्गो संभालने के लिए डिजाइन किया गया है तथा एक समय में लगभग 700 टन भंडारण की क्षमता होगी। कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 9900 वर्ग मीटर है।

विनिर्देश और फिनिशिंग

कार्गो हैंडलिंग क्षेत्र में फर्श एकीकृत औद्योगिक हेवी-ड्यूटी प्रकार के होंगे। उपकरण क्षेत्रों या भंडारण कक्षों जैसे सेवा क्षेत्रों में बेस सीमेंट कंक्रीट फर्श होंगे, जिन पर औद्योगिक ग्रेड पॉलीयूरेथेन कोटिंग की फिनिशिंग होगी। लॉबी और लाउंज, कार्यालयों तथा आवागमन क्षेत्रों में पत्थर के फर्श होंगे। कार्गो टर्मिनल भवन में मेटल क्लैडिंग होगी। लैंडसाइड कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्रों में धोने योग्य एक्रिलिक इमल्शन पेंट के साथ चिनाई वाली दीवारों के विभाजन होंगे। सेवा क्षेत्रों और उपकरण क्षेत्रों की दीवारों पर धोने योग्य इमल्शन पेंट की फिनिशिंग होगी। छत प्रोफाइल्ड मेटल शीटिंग प्रणाली की होगी।

कार्गो भवन के विभिन्न भागों के बीच हटाए जा सकने वाले विभाजन उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें पुनर्संरचना और विस्तार की अनुमति देने के लिए हटाया जा सकता है।

उपकरण / स्थापनाएँ

- वजन मापने के तराजू
- एक्स-रे मशीनें
- फोर्कलिफ्ट
- चालित रोलर बेड (एक-दिशीय)
- सत्यापन / सीमा शुल्क काउंटर
- भंडारण रैक
- फोर्कलिफ्ट रिचार्जिंग सुविधा
- कोल्ड स्टोर इकाइयाँ
- मूल्यवान वस्तुओं के लिए सुरक्षित कक्ष
- हाइड्रोलिक कैची लिफ्ट प्लेटफॉर्म सहित बिल्ड-अप / ब्रेक-डाउन स्टेशन

4. विमान रखरखाव हैंगर

विमान रखरखाव हैंगर कॉम्प्लेक्स में हैंगर, सहायक भवन, यूटिलिटी ब्लॉक तथा भविष्य में अतिरिक्त सहायक ब्लॉकों के निर्माण के लिए स्थान शामिल हैं। हैंगर का आकार लगभग 90मी. × 98 मी. और स्पष्ट ऊँचाई 23.5 मी. है। हैंगर में प्रारंभिक चरण में 2 'ग' प्रकार के विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी और भविष्य में संचालन को निलंबित किए बिना 'ई' प्रकार के विमान को समायोजित करने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है।

हैंगर की संरचनात्मक प्रणाली में सिंथेटिक ऑयल पेंट से फिनिश किए गए स्टील स्पोर्टिंग सदस्य तथा सिंथेटिक इन्नेमल पेंट से फिनिश किए गए निर्मित माइल्ड स्टील पर्लिन शामिल हैं।

एनेक्स भवन चार-स्तरीय आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचना है, जिसमें चौथे तल पर सम्मेलन कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। एनेक्स भवन के दोनों विंगों के बीच एक हटाने योग्य दीवार उपलब्ध कराई गई है, जिसे 'E' प्रकार के विमान के अग्र भाग को प्रवेश देने के लिए हटाया जाएगा। हैंगर में पर्लिन और प्री-कोटेड गैल्वनाइज्ड मेटल रूफिंग तथा रूफ एक्सट्रैक्टर सहित निर्मित स्टील की छत है। हैंगर का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 12,900 वर्ग मीटर है।

विनिर्देश और फिनिशिंग

हैंगर में फर्श आउटलेट, चैनल और नालियों सहित कंक्रीट फर्श उपलब्ध कराया गया है। वर्कशॉप, सामग्री भंडार और आवागमन क्षेत्रों में हेवी-ड्यूटी औद्योगिक प्रकार का फर्श उपलब्ध कराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में एंटी-स्टैटिक औद्योगिक ग्रेड रबरयुक्त फर्श होगा। सामान्य कार्यालय क्षेत्रों में कोटा पत्थर के फर्श होंगे। प्रवेश हॉल, सम्मेलन कक्ष, प्रबंधक कक्ष और मुख्य सीढ़ी में कैलिब्रेटेड पॉलिशड कोटा पत्थर के फर्श होंगे। शौचालयों में एंटी-स्किड सिरेमिक टाइल फर्श और सिरेमिक टाइल डैडो होंगे।

हैंगर के अग्रभाग मेटल क्लैडिंग के होंगे। एनेक्स भवन की दीवारें 150मी.मी. मोटी कंक्रीट ब्लॉकवर्क की होंगी, जिनकी बाहरी सतह पर प्लास्टर तथा आंतरिक सतह पर ऑयल-बाउंड डिस्टेंपर की फिनिशिंग होगी। कुछ सतहों पर सैंड-फेस्ड प्लास्टर किया जाएगा और काले रंग से पेंट किया जाएगा। लैंडसाइड अग्रभाग में यूनिटाइज्ड ग्रीड स्ट्रक्चरल ग्लेज्ड अग्रभाग होगा।

5. अग्निशमन केंद्र

अग्निशमन केंद्र की सुविधाएँ एयरोड्रोम श्रेणी 9 के अनुसार उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्य अग्निशमन केंद्र में नियंत्रण कक्ष सहित 4 स्तर हैं तथा 5 ढके हुए पार्किंग बे हैं। पर्याप्त ऊँचाई का एक वॉच टावर है। सैटेलाइट अग्निशमन केंद्र में 2 ढके हुए पार्किंग बे हैं। अग्निशमन केंद्रों की संरचना आरसीसी फ्रेमयुक्त निर्माण की है।

विनिर्देश / फिनिशिंग

पार्किंग बे के लिए औद्योगिक प्रकार के फर्श हैं। सामान्य क्षेत्रों में कोटा पत्थर के फर्श होंगे। शौचालयों में एंटी-स्किड सिरेमिक टाइल फर्श तथा दीवारों पर ग्लेज्ड सिरेमिक टाइलें होंगी। दीवारें 150मी.मी. मोटी कंक्रीट ब्लॉक चिनाई की होंगी, सिवाय प्लंबिंग वाली शौचालय की दीवारों के, जो 230 मी.मी. मोटी ईंट की चिनाई की होंगी और जिन पर पेंट की फिनिशिंग होगी।

अग्निशमन वाहन / उपकरण स्थापनाएँ

- वाहन बे
 - वाहन
 - फोमिंग एजेंट भंडार
-

6. ग्राउंड हैंडलिंग वर्कशॉप

ग्राउंड हैंडलिंग वर्कशॉप मॉड्यूल का आकार लगभग 19 मी. × 24 मी. है, जिसमें वर्कशॉप में 6 मी. तथा सेवा कक्षों में 3.5 मी. की ऊँचाई है। लगभग 15.0 मी. × 24 मी. का पार्किंग क्षेत्र भी उपलब्ध कराया गया है। सेवा कक्षों में प्रबलित कंक्रीट फ्रेमयुक्त निर्माण है और वर्कशॉप में प्री-कोटेड मेटल शीट के साथ घुमावदार स्टील ट्रेस छत है। वर्कशॉप में मेटल लूवर्ड पैनलों वाले वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। मॉड्यूल का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग मीटर है।

विनिर्देशों में शामिल हैं

- वर्कशॉप, स्टोर और टूल रूम में सीमेंट हार्डनर फर्श।
- शौचालयों में एंटी-स्किड सिरैमिक टाइलें।
- 150 मी. मोटी ब्लॉकवर्क दीवारें।

7. डीजी यार्ड

डीजी यार्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

पैनल कक्ष

एक 'एल' आकार की आरसीसी फ्रेमयुक्त संरचना, जिसमें चेंजओवर पैनल, एचटी पैनल, ट्रांसफॉर्मर, एलटी पैनल, स्टोर और कार्यालयों के साथ-साथ कूलिंग टावर पंप कक्ष को समायोजित किया जाएगा।

खुला पक्का क्षेत्र

एक बड़ा खुला पक्का क्षेत्र, जिसकी उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में 'L' आकार की इमारत तथा पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं में चेन-लिंक फेंसिंग होगी।

कूलिंग टावरों के लिए स्थान

डीजी यार्ड के पश्चिमी भाग में कूलिंग टावर स्थापित करने के लिए स्थान।

संरचना और फिनिशिंग

पैनल कक्ष

संरचना

यह संरचना RCC फ्रेमयुक्त होगी, जिसमें स्वतंत्र फुटिंग्स पर टिके कॉलम, प्लिंथ, बीम, लिंटल, रूफ बीम और रूफ स्लैब होंगे।

फिनिशिंग

मद

फिनिशिंग

दीवारें और छत प्लास्टर की गई और पेंट की गई

फर्श हार्डनर सहित औद्योगिक फर्श

खिड़कियाँ पाउडर-कोटेड एल्युमिनियम फ्रेम, जहाँ लागू हो वहाँ ग्लेजिंग पर लूवर

दरवाजे प्रोप्राइटरी स्टील फ्रेम और प्रोप्राइटरी स्टील शटर

बाहरी सतह प्लास्टर की गई और पेंट की गई

8. अन्य भवन

अन्य भवनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- गेट हाउस / सुरक्षा केबिन
- वॉच टावर
- मलजल उपचार संयंत्र
- जल उपचार संयंत्र
- सीमा दीवार / सुरक्षा बाड़

गेट हाउस और सुरक्षा केबिन का आकार 7मी. × 4 मी. है तथा इनमें एक केबिन, सुरक्षा कार्यालय और शौचालय शामिल हैं। स्टील फ्रेम संरचना और एल्युमिनियम फ्रेम विभाजनों वाली प्रीफैब्रिकेटेड इकाइयों का उपयोग किया जाएगा।

वॉच टावरों का आकार 2.5 मी. × 2.5 मी. है और आसपास के तैयार भू-स्तर से उनकी ऊँचाई 9 मी. है। आरसीसी स्लैब के साथ आरसीसी फ्रेम संरचना उपलब्ध कराई जाएगी। दीवारें 230 मी. मी. मोटी होंगी। स्टील की सीढ़ी / सीढ़ीनुमा मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा।

9. रनवे

रनवे के डिजाइन के लिए मूल मानदंड आईसीएओ के अनुलग्नक 14, खंड 1, एयरोड्रोम डिजाइन और संचालन में दिए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित परिपाटियों के अनुरूप हैं।

रनवे की लंबाई 4260मी. है, जिसे पूर्ण पेलोड, ईंधन और अधिकतम रेंज वाले विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। रनवे अधिकतम पेलोड के साथ कई कोड लेटर ई विमानों को सिडनी तक उड़ान के लिए समायोजित कर सकता है।

न्यूनतम पेवमेंट चौड़ाई 45मी. होगी। दोनों ओर अतिरिक्त 7.5 मी. शोल्डर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कुल चौड़ाई 60 मी. होगी।

हवाईअड्डे के कम से कम 95% उपयोगिता कारक का अनुपालन करने के लिए रनवे का अभिविन्यास 09-27 है। रनवे पेवमेंट को लचीले पेवमेंट के रूप में डिजाइन किया जाएगा।

10. टैक्सीवे

रनवे और समानांतर टैक्सीवे के बीच पृथक्करण दूरी 225मी. है। समानांतर टैक्सीवे का निर्माण 44 मी. पेवमेंट चौड़ाई के साथ किया जाएगा, जिसमें 10.5 मी. शोल्डर चौड़ाई शामिल है।

समानांतर टैक्सीवे से रखरखाव एप्रन तक टैक्सीवे का निर्माण अधिकतम कोड लेटर सी- विमान के लिए किया जाएगा और इसलिए इसकी चौड़ाई 18 मी. होगी, जिसमें दोनों ओर 3.5 मी. शोल्डर होंगे। टैक्सीवे पेवमेंट को लचीले पेवमेंट के रूप में डिजाइन किया गया है।

11. एप्रन

यात्री टर्मिनल एप्रन को कोड लेटर एफ7 तक के विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। कार्गो एप्रन को कोड लेटर एफ विमान के लिए डिजाइन किया जाएगा। रखरखाव एप्रन का आकार कोड लेटर सी विमान के लिए डिजाइन किया जाएगा। हालांकि, पेवमेंट की मजबूती को कोड एफ विमानों वाले भविष्य के यातायात के लिए डिजाइन किया जाएगा।

कोड एफ विमान की पार्किंग के लिए एक आइसोलेशन बे टैक्सीवे ए के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके अनुमानित आयाम 90 मी. × 85 मी. हैं, जिसमें तीन ओर 17.5 मी. शोल्डर शामिल हैं।

एप्रन का निर्माण कठोर पेवमेंट के रूप में किया जाएगा।

12. एयरसाइड सेवा सड़कें

विभिन्न सुविधाओं को जोड़ने के लिए एक एयरसाइड सेवा सड़क प्रणाली डिजाइन की जाएगी। मुख्य सेवा सड़क प्रणाली की सामान्य चौड़ाई 10m होगी। अग्निशमन केंद्रों को रनवे से जोड़ने वाली क्रैश रोड प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। रनवे के सिरों से क्रैश रोड को रनवे के विस्तार में एयरसाइड परिधि बाढ़ तक जारी रखा जाएगा। सभी क्रैश रोड 7.5m चौड़ाई के साथ डिजाइन किए जाएंगे। द्वितीयक एयरसाइड सेवा सड़क प्रणाली को 7.5m चौड़ी सड़कों के रूप में डिजाइन किया जाएगा। नेविगेशनल और मौसम विज्ञान स्थापनाओं तक जाने वाली सड़कें 4मी. चौड़े लचीले पेवमेंट की होंगी। सभी सेवा सड़कों को लचीले पेवमेंट के रूप में डिजाइन किया जाएगा। एयरसाइड/लैंडसाइड परिधि बाढ़ के साथ 4m चौड़ी बजरी वाली निरीक्षण सड़क का निर्माण किया जाएगा।

13. यात्री टर्मिनल भवन के सामने मुख्य पहुँच सड़क और टैफ़िक लूप

मुख्य पहुँच सड़क एनएच 7 से शुरू होती है और पूर्व-पश्चिम दिशा में जाती है। टैफ़िक लूप तक यह 2-लेन ड्युअल कैरिजवे है। सड़क पूर्व में राज्य राजमार्ग तक 2-लेन सिंगल कैरिजवे के रूप में जारी रहती है, जिसके दोनों ओर पक्के और बिना पक्के शोल्डर हैं।

सड़क प्रणाली में हवाईअड्डा स्थल के भीतर 4 प्रमुख चौराहे शामिल हैं, जिन पर रोटरी उपलब्ध कराई गई हैं।

टर्मिनल भवन के सामने टैफ़िक लूप पर एकतरफा यातायात है और इसे दो स्तरों पर निर्मित करने की योजना है, जिनकी ऊँचाइयाँ क्रमशः 0.0मी. और +11.0मी. पर आगमन और प्रस्थान स्तरों के अनुरूप हैं। ऊपरी और निचले फोरकोर्ट में टर्मिनल भवन की ओर पैदल मार्ग के साथ 3-लेन कैरिजवे है।

14. एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग

एक एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- दोनों दिशाओं 09 और 27 के लिए श्रेणी I अप्रोच लाइटिंग प्रणाली
 - दोनों अप्रोच दिशाओं के लिए प्रिंसीपल अप्रोच पाथ इंडिकेटर (पीएपीआई) प्रणाली
 - रनवे लाइटिंग प्रणाली, जिसमें शामिल हैं:
 - रनवे एज लाइट
 - रनवे सेंटर लाइन लाइट
 - रनवे थ्रेशोल्ड लाइट
 - रनवे एंड लाइट
 - प्रत्येक रनवे होल्लिंग पोजीशन पर रनवे गार्ड लाइट
 - टैक्सीवे एज लाइटिंग प्रणाली
 - टैक्सीवे मार्गदर्शन संकेत
 - रोटेटिंग प्रकार का एयरोड्रोम बीकन
 - रिमोट कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्रणाली
 - संकेतक और सिग्नलिंग उपकरण, जैसे टचडाउन जोन में प्रकाशित विंड कोन, लैंडिंग दिशा संकेतक, कंट्रोल टावर कैब में सिग्नलिंग लैंप
 - एप्रन फ्लड लाइट
-

15. आंतरिक और बाहरी लाइट व्यवस्था

निम्नलिखित भवनों/क्षेत्रों के लिए आंतरिक और बाहरी प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी:

- टर्मिनल भवन
- एटीसी टावर और तकनीकी भवन

- कार्गो कॉम्प्लेक्स
- विमान रखरखाव हैंगर और एनेक्स भवन
- ग्राउंड हैंडलिंग वर्कशॉप
- अग्निशमन केंद्र – मुख्य और सैटेलाइट
- अन्य भवन, अर्थात् सबस्टेशन, प्लांट रूम आदि
- स्ट्रीट लाइटिंग
- कार पार्क लाइटिंग

टर्मिनल भवन के लिए ऐसी प्रकाश व्यवस्था की अवधारणा विकसित की जाएगी जिससे स्काइलाइट और अग्रभागों के माध्यम से विसरित प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग हो सके।

कंप्यूटर, विज्ञापन प्रणालियों, अन्य उपकरणों आदि के लिए पर्याप्त संख्या में पावर सॉकेट उपलब्ध कराने की योजना है।

सभी भवनों के लिए अर्थिंग प्रणाली शामिल है।

सभी भवनों के लिए लाइटनिंग प्रोटेक्शन शामिल है।

विद्युत वितरण

हवाईअड्डा स्थल को विद्युत आपूर्ति एपी ट्रांसको द्वारा 11 केवी स्तर पर प्रदान की जाएगी। हवाईअड्डा स्थल को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए दो स्वतंत्र स्रोतों से ड्युअल फीडर की योजना बनाई गई है।

11 केवी विद्युत को रिंग मेन कॉन्फिगरेशन में चेंजओवर के लिए आपातकालीन विद्युत स्टेशन तक ले जाया जाएगा। विद्युत प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, वितरण नेटवर्क और आपातकालीन विद्युत आपूर्ति शामिल है।

वितरण नेटवर्क की योजना रिंग मेन के साथ बनाई जाएगी, ताकि विद्युत आपूर्ति हमेशा दो अलग-अलग स्रोतों से संभव हो। रखरखाव क्षेत्र के निकट आपातकालीन विद्युत स्टेशन में एक आपातकालीन विद्युत जनरेटर प्रणाली स्थापित की गई है, जो विद्युत आपूर्ति विफल होने की स्थिति में हवाईअड्डे की आवश्यक सुविधाओं को विद्युत आपूर्ति करेगी।

केबल प्रणाली

आपातकालीन विद्युत स्टेशन से विद्युत आपूर्ति चेंजओवर के बाद भूमिगत केबल का उपयोग करते हुए रिंग मेन कॉन्फिगरेशन के माध्यम से 11 केवी पर की जाएगी।

आंतरिक लाईट व्यवस्था प्रणाली

विचारित डिजाइन लक्स स्तर निम्नलिखित हैं:

- टिकट काउंटर, चेक-इन डेस्क, सूचना डेस्क — 350 लक्स
- कार्यालय क्षेत्र — 350 लक्स
- विद्युत और प्लांट रूम — 200 लक्स

- सामान प्राप्ति क्षेत्र — 350 लक्स
- प्रस्थान लाउंज, अन्य प्रतीक्षा क्षेत्र — 350 लक्स
- गलियारे और आवागमन स्थान — 250 लक्स

बाहरी क्षेत्र लाईट व्यवस्था

मुख्य पहुँच सड़क, सेवा सड़कों और भवनों तक अन्य पहुँच मार्गों के लिए नीचे दर्शाए अनुसार सड़क प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी:

- मुख्य पहुँच सड़क — 30 लक्स
- सेवा सड़क — 20 लक्स
- पार्किंग क्षेत्रों के लिए लाईट व्यवस्था — 80 लक्स

16. अग्नि सुरक्षा

निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा प्रणालियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी:

- हाइड्रेंट प्रणाली
- स्प्रिंकलर प्रणाली
- अग्नि अलार्म प्रणाली
- हीट सेंसर
- विमान रखरखाव हैंगर के लिए फोम प्रणाली
- सर्वर और इलेक्ट्रॉनिक कक्षों के लिए गैस सप्रेशन प्रणाली
- पोर्टेबल अग्निशामक

तीन स्थानों, अर्थात् यात्री टर्मिनल भवन, अग्निशमन केंद्र – मुख्य और सैटेलाइट, पर पर्याप्त अग्निशमन जल भंडार की योजना बनाई गई है। इन तीन स्थानों पर पंपिंग प्रणाली में निम्नलिखित होंगे:

- विद्युत चालित हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर पंप
- डीजल इंजन चालित हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर पंप
- प्रणाली में हाइड्रोलिक हानि को पूरा करने के लिए जॉकी पंप

किसी भी आकस्मिक स्थिति में वैकल्पिक पंपिंग क्षमता उपलब्ध कराने के लिए तीनों अग्निशमन पंपिंग स्टेशनों को आपस में जोड़ा जाएगा।

सभी भवनों में इंटेलिजेंट, एनालॉग एड्रेसेबल अग्नि पहचान और अलार्म प्रणाली की योजना बनाई गई है। स्वतंत्र रूप से संचालित होने में सक्षम स्वतंत्र अग्नि अलार्म नियंत्रण पैनल हवाई अड्डा परिसर के प्रत्येक भवन की निगरानी करेंगे। सभी पैनल एक-दूसरे से नेटवर्क द्वारा जुड़े होंगे और केंद्रीय अग्नि कमांड स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे।

मुख्य अग्निशमन केंद्र में एक केंद्रीय अग्नि कमांड स्टेशन की योजना बनाई गई है, जो सभी अग्नि आपात स्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा।

17. एयर-कंडीशनिंग और वेंटिलेशन प्रणाली

यात्री टर्मिनल भवन

- परिवर्तनीय गति वाले सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप और एयर हैंडलिंग यूनिट सहित केंद्रीय वाटर-कूल्ड एयर-कंडीशनिंग प्रणाली
- प्लांट रूम और सामान सॉर्टिंग क्षेत्रों के लिए एयर-कूलिंग
- सीढ़ियों और लिफ्ट शाफ्ट के लिए प्रेशराइजेशन प्रणाली
- शौचालयों के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली

एटीसी टावर और तकनीकी भवन

- तकनीकी भवन के लिए वाटर-कूल्ड पैकेज यूनिट
- एटीसी टावर के लिए एयर-कूल्ड पैकेज यूनिट

कार्गो टर्मिनल

- कार्यालय क्षेत्रों की एयर-कंडीशनिंग के लिए एयर-कूल्ड पैकेज यूनिट
- कार्गो हैंडलिंग क्षेत्रों के लिए एयर-कूलिंग
- शौचालयों के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रणाली

हैंगर एनेक्स भवन

- वाटर-कूल्ड स्कू चिलिंग यूनिट

18. जल आपूर्ति और मलजल नेटवर्क

जल आपूर्ति प्रणाली

एचएमडब्ल्यूएस एंड एसबी से जल आपूर्ति हवाईअड्डा स्थल के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक जलाशय में प्राप्त की जाएगी। प्राप्त जल को भूमिगत टैंकों में संग्रहित किया जाएगा।

मुख्य रूप से नाममात्र कोएगुलेशन, प्रेशर सैंड फिल्ट्रेशन और क्लोरीनीकरण से युक्त जल उपचार प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य जल भंडारण सुविधा में निम्नलिखित टैंक होंगे:

- कच्चा / सिंचाई जल भंडारण टैंक
- घरेलू जल भंडारण टैंक (उपचार के बाद)
- अग्निशमन जल टैंक
- प्लशिंग / एसी मेक-अप जल भंडारण टैंक (एसटीपी से प्राप्त)

भूमिगत भंडारण टैंकों से जल को हाइड्रो-न्यूमेटिक प्रणाली द्वारा नीचे दर्शाए गए विभिन्न क्लस्टरों में वितरित किया जाएगा:

- क्लस्टर – I (यात्री टर्मिनल भवन)
- क्लस्टर – II (कार्गो टर्मिनल और एटीसी)
- क्लस्टर – III (रखरखाव क्षेत्र)
- क्लस्टर – IV (आवासीय कॉलोनी)

इन क्लस्टरों से जल को स्टैंडबाय सहित जल ट्रांसफर पंप, पाइपिंग सहित एयर वेसल और माइक्रोप्रोसेसर-आधारित नियंत्रण प्रणाली वाली हाइड्रो-न्यूमेटिक प्रणाली के माध्यम से विभिन्न भवनों में वितरित किया जाएगा।

मलजल नेटवर्क

एपीपीसीबी और एमओईएफ की शर्तों के आधार पर, पूरे हवाईअड्डा परिसर में उत्पन्न मलजल का उपचार किया जाना है और फिर हिमायतसागर जलाशय से 10 कि.मी. के सीमांकन क्षेत्र से आगे पूर्वी दिशा में उसका निपटान किया जाना है। चूंकि स्थल की स्थलाकृति ऐसी है कि 2/3 क्षेत्र पश्चिम की ओर ढलान वाला है, इसलिए मलजल को पश्चिम से पूर्वी दिशा में पंप करना आवश्यक है। नियमित अंतराल पर मलजल पंपिंग स्टेशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

पूरे हवाईअड्डा परिसर के लिए उपयुक्त व्यास वाले कास्ट आयरन / साल्ट ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइपों से भूमिगत सीवर नेटवर्क पर विचार किया गया है, जिसमें आवश्यक संख्या में मैनहोल और निरीक्षण कक्ष होंगे। इस नेटवर्क के माध्यम से एकत्रित मलजल का मलजल उपचार संयंत्र में उपचार किया जाएगा और उसका पुनः उपयोग किया जाएगा।

मलजल उपचार संयंत्र

हवाईअड्डे पर उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए मलजल उपचार संयंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। एसटीपी को प्रतिदिन 880 घन मीटर मलजल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है।

हवाईअड्डा स्थल पर लागू पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण, स्थल के पश्चिमी भाग के एयरसाइड पेवमेंट से आने वाले पूरे वर्षा जल को पश्चिमी भाग के निचले क्षेत्र में उपयुक्त रूप से स्थित एक तालाब में एकत्र किया जाएगा।

एकत्रित वर्षा जल का उपचार ऑयल-वॉटर सेपरेटर में किया जाएगा और उसके बाद वर्षा जल संचयन संरचनाओं में निपटान के लिए पूर्वी दिशा में पंप किया जाएगा। स्थल क्षेत्र के पूर्वी भाग में एकत्रित वर्षा जल को गुरुत्वाकर्षण द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं तक पहुँचाया जाएगा।

पक्के और हार्ड-लैंडस्केप वाले क्षेत्रों से वर्षा जल खुले लाइनयुक्त नालों या भूमिगत पाइपों और कल्वर्ट में प्रवाहित होगा। भूमि की सतहों को डिजाइन की गई ढलानों के अनुसार ग्रेड किया जाएगा और टैक्सीवे तथा सड़क क्रॉसिंग के नीचे कल्वर्ट द्वारा आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि बहता हुआ वर्षा जल खुले नाले में छोड़ा जा सके।

अनुसूची 9: भाग 2 – मानक

आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर मानक

निम्नलिखित मानदंडों का अनुच्छेद 9 के अनुसार वार्षिक आधार पर मापन किया जाएगा। सर्वेक्षणों का स्कोर आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर स्कोरिंग प्रणाली के अनुसार निर्धारित किया जाएगा (अर्थात् एक से पाँच के पैमाने पर, जहाँ एक बहुत खराब और पाँच उत्कृष्ट है):

- (i) अपना रास्ता खोजने में आसानी;
 - (ii) उड़ान सूचना स्क्रीन ;
 - (iii) उसी महाद्वीप के लिए कनेक्शन की उपलब्धता;
 - (iv) दूसरे महाद्वीप के लिए कनेक्शन की उपलब्धता;
 - (v) कनेक्शन बनाने में आसानी;
 - (vi) सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता;
 - (vii) हवाईअड्डा कर्मचारियों का शिष्टाचार;
 - (viii) रेस्तरां और भोजन की सुविधाएँ;
 - (ix) खरीदारी की सुविधाएँ;
 - (x) शौचालय;
 - (xi) पासपोर्ट निरीक्षण;
 - (xii) सीमा शुल्क निरीक्षण;
 - (xiii) प्रतीक्षा क्षेत्र/लाउंज;
 - (xiv) सामान वितरण सेवा;
 - (xv) शहर तक/से ग्राउंड परिवहन;
 - (xvi) पार्किंग सुविधाएँ;
 - (xvii) सुरक्षा की अनुभूति; और
 - (xviii) हवाईअड्डे का वातावरण।
-

अनुसूची 10: पूर्णता प्रमाणपत्र

हम भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति और हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच दिनांक [] के रियायत समझौते (जिसे आगे “रियायत समझौता” कहा गया है) का संदर्भ देते हैं। रियायत समझौते में परिभाषित सभी शर्तों का यहाँ वही अर्थ होगा।

ऋणदाताओं द्वारा हमें स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम इसके द्वारा रियायत समझौते के अनुच्छेद 7.3 के अनुसार यह पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हवाईअड्डा रियायत समझौते की अनुसूची 9 के भाग I में निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करता है।

दिनांक:

अनुसूची 11: बीमा

- 1. निर्माण चरण:** एचआईएएल और/या EPC ठेकेदार नागरिक निर्माण कार्यों और उपकरणों की हानि या क्षति, (संविदाकार की सभी जोखिम योजना, निर्माण सभी जोखिम योजना, समुद्री कार्गो योजना), तृतीय-पक्ष दायित्व और श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लेंगे।
 - 2. प्रचालन चरण:** एचआईएएल अपनी संपत्ति की हानि या क्षति, तृतीय-पक्ष दायित्व और श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लगा।
-

अनुसूची 12: कर लाभ

क) कुल आय से कटौती:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80A के अंतर्गत अवसंरचना सुविधा, अर्थात् हवाईअड्डे के विकास के व्यवसाय से होने वाले लाभ और अभिलाभ के संबंध में कर छूट के लिए लाभ की परिकल्पना की गई है। ऐसे व्यवसाय से प्राप्त लाभ और अभिलाभ की 100% कटौती 15 वर्षों में से किसी भी लगातार 10 आकलन वर्षों के लिए मान ली गई है, जो उस वर्ष से शुरू होंगे जिसमें एचआईएएल अवसंरचना सुविधा का संचालन और रखरखाव शुरू करता है।

आयकर अधिनियम की धारा 10(23जी) के अंतर्गत एचआईएएल को केंद्र सरकार द्वारा आकलन वर्ष ([] से []) के लिए एक उद्यम के रूप में अधिसूचित किया गया है (संदर्भ: अधिसूचना संख्या [] दिनांक [])। यह माना गया है कि आकलन वर्ष [] के बाद भी एचआईएएल को इस लाभ के लिए अधिसूचित किया जाता रहेगा। (आयकर अधिनियम की धारा 10(23जी) के अंतर्गत यह कर लाभ इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के अधीन एचआईएएल को उपलब्ध होगा।)

ख) कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय से छूट:

1 मलेशिया को तकनीकी शुल्क के भुगतान पर विदहोलिंग टैक्स, भारत और मलेशिया के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौतों के अनुसार जारी रहेगा।

2 विदेशी प्रवर्तकों को विकास लागत/पूर्व-एसएचए लागत की प्रतिपूर्ति पर कोई विदहोलिंग टैक्स नहीं होगा।

3 विदेशी प्रवर्तकों को की गई प्रेषण/प्रतिपूर्ति तथा तकनीकी सेवा समझौते के अंतर्गत किए गए भुगतानों पर कोई आरएण्डडी सेस देय नहीं होगा।

संलग्नक 1: मास्टर प्लान

[अनुमोदन के बाद संलग्न किया जाना है]